राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का २६ वां दिवस [संख्या १९

मंगलवार दिनाक १७ मार्च १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८. ०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, उद्योग, खनिज, यातायात, योजना, शक्ति, शिक्षा व सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास-भीनमाल

४५२. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि भीनमाल के आस-पास अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी हां। भीनमाल के आसपास अनुसूचित जाति का कोई राजकीय छात्रावास नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नये राजकीय छात्रावास खोलने के लिये कोई प्रावधान शेष नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, एक आदिवासी जाति का वहां छात्रावास है उसमें लड़के बिल्कुल कम हैं और अगर राज्य सरकार आदिवासी लड़कों के साथ शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के भी लेकर उसमें भर्ती कराये तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २० परसेन्ट वैसे ही कायदे से अलाउड है शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के उस छात्रावास में।

Page No.2

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उसमें लड़के कुछ भी नहीं हैं। सारा सरकार का खर्चा फालतू जाता है इसलिए मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार यह व्यवस्था करने के लिए तैयार है कि वहां लड़के पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के क्यों नहीं भर्ती किये जाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया कि यह प्रावधान है। अगर कहीं नहीं कियेगये है ऐसी शिकायत हो तो हम व्यवस्था कर सकते है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें भर्ती नहीं करते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २० पर्सेन्ट ऑफ दी टोटल स्ट्रेन्थ शिड्यूल्ड -कास्ट की भर्ती कर सकते है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : टोटल स्ट्रेन्थ ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट बॉयज या टोटल स्ट्रेन्थ ऑफ दी होस्टल ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टोटल स्ट्रेन्थ ऑफ दी होस्टल।

श्री रघुनाथ विश्नोई : होस्टल में लड़कों की ज्यादा स्ट्रेन्थ है लेकिन लड़के मिलते नहीं हैं इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के हों तो राज्य को उसमें क्या हानि है ?

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, उसमें ७ लड़के शिड्यूल्डकास्ट के हैं इसलिए उनकी संख्या बढ़ाई जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारी परिस्थिति को देखे बिना कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

गंगानगर शुगर मिल्स के क्लेरिकल व व सुपरवाइजरी स्टाफ के सर्विस रूल्स

४५३. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गंगानगर शुगर मिल्स के क्लेरिकल व सुपरवाइजरी स्टाफ के लियेकोई अलग से सर्विस रूल्स बने हुए हैं ? यदि हां, तो रूल्स की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इन रूल्स के अलावा और भी कोई सर्विस रूल्स इन पर लागू होते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ?

(३) यदि इनके लिये कोई अलग से सर्विस रूल्स नहीं हैं और कोई अन्य रूल्स भी लागू नहीं होते हैं तो उपरोक्त स्टाफ की नियुक्तियां, प्रमोशन, टरमिनेशन व डिस्मिसल किस आधार पर किये जाते हैं ?

मंत्री, राजकीय उद्योग (श्री मथुरादास-माथुर) : (१) जी हां, गंगानगर शुगर मिल्स लि० के सर्विस रूल्स की प्रति संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No.3

श्री अध्यक्ष : श्री जुझार सिंह

सेन्ड स्टोन पर रॉयल्टी

४५४. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान के विभिन्न जिलों से सेन्ड स्टोन पर कितनी कितनी रॉयल्टी फी १०० क्यूबिक फीट चार्ज की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा, जोधपुर व कोटा में ली जाने वाली रॉयल्टी की दरों में फर्क है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसादलड्ढा): (१) राजस्थान के विभिन्न जिलों में सैंड स्टोन पर रॉयल्टी की दरें क्यूबिक फीट या तौल पर चार्ज की जा रही है। जिसका वर्णन सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) जी हां, कुछ फर्क है और इसका कारण क्षेत्र की खानों में भिन्न भिन्न किस्म के पत्थरों का पाया जाना और राजस्थान बनने के पहले वहां के रॉयल्टी रेट में भिन्नता होना है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह कहीं घन फीट में और कहीं टन में बताया है लेकिन प्रपोरशन क्या है वह नहीं बताया उनकी रेट्स में वह बताने का कष्ट करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढाः it is a matter of calculation.

श्री जुझारसिंह : मैंने जो प्रश्न किया था वह यह है कि रेट्स में कितना फर्क है कितने परसेन्टेज का फर्क है क्योंकि उससे ट्रेड में फर्क पड़ता है। आपने अलवर का घन फीट में जवाब दिया है और अलवर में १२ न० पै० घन फीट और कोटा में २५ न० पै० घन फीट बताया है तो यह १०० परसेन्ट का फर्क पड़ गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढाः It is a matter of the quality of stone that is areailable.

श्री जुझारसिंह : सेम क्वालिटी में भी फर्क है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई फर्क नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मैं अर्ज करूं कि हमारे यहां पर जो पत्थर के व्यापारी है उनके बिजनेस पर आपके रेट्स की वजह से इतना फर्क पड़ा है कि उनका बिजनेस ठप्प हो गया है। तो एक ही क्वालिटी का पत्थर है और इसी वजह से वह सफर कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढाः माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बात यह है कि राजस्थान बनने से पहले भिन्न भिन्न स्टेट्स में भिन्न-भिन्न प्रणाली थी रॉयल्टी के असेसमेन्ट के सिलसिले में और राजस्थान बनने के बाद इन नियमों के अन्तर्गत हम धीरे धीरे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि यह जो असमानतायें रेट्स में हैं वह दूर हों। लेकिन प्रयत्न करने के बावजूद भी सभी जगह एक रेट कायमकरने की स्थिति में नहीं आ सकते क्योंकि मार्केटिंग कन्डीशन्स, क्वालिटी आफ स्टोन्स एण्ड अदर

Page No.4

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से कुछ न कुछ अन्तर हमेशा बना रहेगा।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने २५ परसेन्ट इन्क्रीज किन्हीं जगह पर रेट्स कम हैं वहां करने का बताया तो २५ परसेन्ट आपने रिएलाइज किया और उसकी वजह से दूसरी जगह इफेक्ट पड़ता था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह समानता की ओर जाने का प्रयास है कि जिसके तहत २५ परसेन्ट इन्क्रीज किया गया कुछ स्थानों पर।

श्री जुझार सिंह : लेकिन इसके बाद भी कितना फर्क रह जाता है इसकी जानकारी दे सकते हैं आप ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि सारी रेट्स मैंने दे रखी है २५ परसेन्ट इन्क्रीज किया यह दे रखा है। उसके बाद तो मैटर आफ कैलकुलेशन है। मैं हर जगह केलकुलेट करूं तो वह तो हर आदमी कर सकता है।

श्री भैंरोंसिंह(किशनपोल, जयपुर) : आप करें या नहीं; लेकिन जब प्रश्न पूछा गया है अन्तर बताने का तो आप केलकुलेट करके क्यों नहीं लाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो अन्तर पूछा था वह दे दिया।

श्री भैंरोंसिंह: इतना तो मैं भी समझता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर से प्रश्न पूछा गया था और पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब के यहां से कल आया है और मैंने आज जवाब दे दिया। मैं यह भी कह सकता था कि वह अपने टर्न पर देंगे, पर मैंने सोचा चलो जवाब दे दो।

श्री दलपत सिंह (आबू) : अब आप कमजोर क्यों पड़ते हो।

श्री गोविन्द सिंह (कुम्भलगढ) : मैं यह जानना चाहूंगा कि एक क्युबिक फीट में क्या वजन होता है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार इस पर विचार कर सकती है कि सारी रेट्स में जिनमें भिन्नता है उनको या तो घन फीट में या वजन में ले आयें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गयी बार भी यह सदन में आया था और इस पर हमने बहुत गहराई से विचार करके ही अभी २५ परसेन्ट इन्क्रीज किया। घन फीट और इसमें लाने में डिफिकल्टी, इसको इम्पलीमेन्ट करने में डिफिकल्टी और क्वालिटी की वजह से और दूसरे कारणों से सम्भव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको समानता की ओर ले जाने का प्रयास है।

श्री जुझारसिंह : एक ही क्वालिटी के पत्थर पर एक सी रेट्स हैं या एक ही क्वालिटी के पत्थर पर रेट्स में फर्क है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): युनिफार्म रेट्स लाने के लिए

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

आखिर सरकार ने यत्न क्या किया है ? यह जो कह रहे हैं कि प्रयास किया जारहा है तो उसके लिए सरकार ने स्टेप्स क्या लिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

बालोतरा-सांचोर रूट पर बस का समय निर्धारण

४५५. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सच है कि बालोतरा-सांचोर बस समय पर सांचोर कभी नहीं पहुंचती और इससे सांचोर-रानीवाड़ा बस को काफी देर तक इन्तजार करना पड़ता है ? अगर हां, तो क्या सरकार आर० टी० ए०,. जोधपुर द्वारा उक्त बस वालों का समय निर्धारित (सांचोर पहुंचने का करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : जी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या समय पर जाती है ?

श्री भीमसिंह : आपने पूछा है कि क्या यह सच है कि बालोतरा-सांचोर बस समय पर सांचोर कभी नहीं पहुंचती है इसका उत्तर मैंने निवेदन किया है कि जी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कभी का मतलब कामनसेन्स से पता लग सकता है कि समय पर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है इसकी आपकी तरफ से क्या जानकारी है ?

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि कभी देर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पहुंचती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कभी नहीं का सवाल नहीं है, ज्यादातर टाइम पर नहीं पहुंचती है, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री भीमसिंह : आपका क्वश्चन आने पर हमने स्पेशल स्टाफ भेज दिया है वह वहां पर कैम्प लगाकर बैठा है और रेकार्ड कर रहा है कि कितने टाइम से आ रही है और कब मिस करती है। उन सबको पुल अप कर रहे हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आपका प्रश्न नहीं आता तो क्या स्पेशल स्टाफ नहीं भेजते ?

श्री भीमसिंह : वहां पर इन्सपेक्टर की ड्यूटी है कि वह समय समय पर चक्कर लगाता रहे और चैक करता रहे। खास तौर से जानकारी आती है तो स्पेशली पुल अप करना पड़ता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्पेशल स्टाफ लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही परमिट के अनुसार टाइम निर्धारित है कि नहीं ? आर टी० ए० की तरफ से व्यवस्था है कि नहीं कि इतने टाइम पर पहुंचे ?

श्री भीमसिंह : टाइम निर्धारित है। बालोतरा-सांचोर बस को १० बजे सांचोर से स्टार्ट होकर ५ बजे पहुंचना चाहिए बालोतरा और इसी तरह से सांचोर से १० बजे स्टार्ट

(श्री भीमसिंह)

होकर बालोतरा ५ बजे पहुंचना चाहिए। यह समय है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटा ट्रॉन्सपोर्ट कम्पनी पर टैक्सेज की बकाया

४५६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कोटा ट्रान्सपोर्ट कं०, कोटा में यातायात विभाग के टैक्सेज की किस-किस वर्ष की कितनी कितनी बकाया है और उसकी समय पर वसूली क्यों नहीं की जा रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि निर्धारित समय पर टैक्स जमा कराये बिना सवारी गाड़ियां निर्धारित रूट्स पर नहीं चल सकती हैं ? यदि हां, तो फिर इस कम्पनी को ऐसी परमीशन किस प्रकार से प्राप्त हुई है ?

(ग) यदि कोई परमिशन नहीं है तो इस कम्पनी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (क) जिन गाड़ियों पर टैक्स बकाया है उनकी सूची इस ब्यौरे में संलग्न है। वसूली के लिए विभागीय कार्यवाही चालू हैं।

(ख) जिन गाड़ियों का निर्धारित समय पर टैक्स जमा नहीं किया गया उनमें से कई गाड़ियां बन्द रही व कइयों के खिलाफ एक्शन लिया गया। कोई परमिशन ऐसी गाड़ियों के चलाने की नहीं दी गई है।

(ग) इस कम्पनी का एक परमिट बारां नाहरगढ़ रूट पर गाड़ी बन्द रखने के कारण रद्द कर दिया गया है व और भी कई गाड़ियों के बारे में कानूनी नोटिस दिये हुए हैं जवाब आने पर आर० टी० ए० मीटिंग में वास्ते कार्यवाही रखे जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह कुल रकम कितनी है ?

श्री भीमसिंह : ३३,३३७.९० रु०।

श्री भैरोंसिंह : किस वर्ष से बाकी है ?

श्री भीमसिंह : करीब करीब ६३-६४ की है यह रकम।

श्री भैरोंसिंह : जिन गाड़ियों की रकम बाकी है तो क्या विभाग यह मानकर चलता है कि वे गाड़ियां रूट पर नहीं है ?

श्री भीमसिंह : रूट पर नहीं चल रही हैं यह जानकारी तो नहीं हैं, पर टैक्स जमा नहीं हुआ है यह सही है। टैक्स जरूरी आना चाहिए, इसके लिए नोटिस जारी किये गये हैं ?

श्री भैरोंसिंह : गाड़ी टैक्स दिये बिना रूट पर चलती है उसके लिए विभाग की क्या कार्यवाही होनी चाहिए थी ?

श्री भीमसिंह : नोटिस भी दिये गये हैं। एक गाड़ी का परमिट रद्द किया गया है।

(श्री भीमसिंह)

बाकी के केसेज आर० टी० ए० को पेश किये गये हैं जो कि अगली ६-४-६४ को टेक अप की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या ट्रान्सपोर्ट विभाग अपने अधिकारियों के द्वारा उन गाड़ियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है जो गाड़ियां बिना टोकन के लिये रुट पर चल रही हैं ?

श्री भीमसिंह : १६ गाडियां रोक दी गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब रोकी है ना ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बगैर टोकन लिए अब भी कुछ गाड़ियां चल रही है क्या यह सही है ?

श्री भीमसिंह : हो सकता है कि जिन गाडियों को नोटिस दिया गया है तो कोई छाने-छिपके कोई गाडी चल रही है। यह मैं नहीं कहता कि कोई नहीं चल रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : छाने-छिपके कैसे चल रही है !

श्री रामानन्द अग्रवाल : कायदे के अनुसार टोकन तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सब तरफ के टैक्सेज नहीं चुका दे और टोकन के बगैर चल रही है तो मोटर वेहिकल एक्ट का वायोलेशन है जिसके कारण चालान फौरन होना चाहिए और गाड़ियों का चलना एक दम बन्द होना चाहिए। लेकिन पूछा गया तो मंत्री महोदय कहते हैं कि हो सकता है कि चल रही हों तो गवर्नमेंट के दिल में उसके लिए सोफ्ट कार्नर क्यों है ?

श्री भीमसिंह : हो सकता है कि छाने-छिपके चल रही हों। रात के १२ बजे या १ बजे के टाइम पर लगा दी जांय जिससे कि इन्सपेक्टर चैक नही कर सकें। अगर इस तरह से चलायेंगे तो गिरफ्तार भी होंगे, चालान भी होगा और सभी कार्यवाही होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस डिपार्टमेंट आपके हाथ से निकल गया है इसलिए क्या पुलिस डिपार्टमेंट का कोआपरेशन नहीं मिल रहा है ?

श्री भीमसिंह : पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या गाड़ियां छाने-छुपके चल रही है, उनमें काफी सहयोग है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में अभिवृद्धि

४५७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): Will the planning Minister be Pleased to reply:-

1. What has been rate of the growth of industreal production in Rajasthan:-

(i) during the I Five Year Plan,

(ii) during the II Five Year Plan

Page No.8

(श्री रामा नन्द अग्रवाल)

(iii) during the first two years of III Five Year Plan,

and how does it compare with the all India average ?

2. Whether any index of industrial production in Rajasthan is being published by the Government ? If not, does the Government intend to do so ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन की अभिवृद्धि की गति की सूचना प्रश्न में उल्लिखित किसी काल के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राजस्थान राज्य के औद्योगिक उत्पादन का देशनांक नहीं है । उक्त उत्तर के अनुसार अखिल भारतवर्षीय औसत के तुलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

परन्तु राजस्थान के मुख्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के आंकड़ें उपलब्ध हैं । जिनसे इन वस्तुओं के उत्पादन की अभिवृद्धि की गति का अनुमान लगाया जा सकता है । इन मुख्य औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) औद्योगिक उत्पादन के देशनांक की सूचना किसी भी राज्य द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती और न ही यह सूचना राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जा रही है । राजस्थान राज्य के औद्योगिक उत्पादन के देशनांक बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो आपने तालिका दी है इस सारी के आधार पर गवर्नमेंट का क्या यह अनुमान है कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है सन् ५६ के बाद ? सेकण्ड फाइव ईयर प्लान शुरू होने के बाद इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन राजस्थान में बढ़ रहा है या घट रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह ओन दी होल बढ़ रहा है । किसी इन्डस्ट्री में कम हुआ है, लेकिन ओन दी होल जो कॉमोडिटीज मैंने बताई है उनके सम्बन्ध में बढ़ा है । शुगर में एवरेज घटा है । वह फीगर्स आप देख लें । मैंने दे दिया है आपको पूरा चार्ट का चार्ट । जिन कॉमोडिटीज के आंकड़ें मौजूद हैं उस का आपको दे दिया एपेन्डिक्स ए और बी में । उसका सम टोटल बढ़ा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो मुख्य धन्धे हैं, जो मुख्य उद्योग हैं, शुगर, काटन और ग्लास तो इसमें शुगर में सन् ५६ के मुकाबले में २२ पर्सेन्ट प्रोडक्शन में घटोत्तरी हुई है । जो अभी फीगर्स आपने दिये हैं १८ लाख टन्स और १३,७ लाख टन्स तो इसके हिसाब से घटोत्तरी हुई है । काटन क्लोथ की जो टैक्सटाइल इन्डस्ट्री है इसको मैक्जीमम प्रोडक्शन ६११ था उसमें १९५६ में यह हटकर ५६० होगया है १९६३ में । ग्लास में ८२३ सन् १९५६ में था और सन् १९६३ में वह ५१२ हो गया । इसमें ३३ पर्सेन्ट घटोत्तरी हुई है । हम जानते है कि जो टैक्सटाइल इन्डस्ट्री हमारी मुख्य इन्डस्ट्री है, राजस्थान में शुगर इन्डस्ट्री जो कि एक महत्वपूर्ण इन्डस्ट्री । राजस्थान की ग्लास इन्डस्ट्री

Page No.9

पर्सेन्ट गिरावट है और दूसरी में है २२ परसेंट इसके बावजूद आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जो कहा है वह सब कामोडिटीज का सम टोटल प्रोडक्शन देखकर कहा है । खास तौर से शुगर का कहा गया है तो शुगर की इन्डस्ट्री का मैं निवेदन करूं कि १९६० में १८,१२ हजार टन्स प्रोडक्शन हुआ था लेकिन इसमें १३.७ हो गया है उसका कारण यह था कि शुगर की क्राप कम हुई थी और गुड की तरफ डाइवर्शन हो गया था इसलिए केन शुगर का क्रशिंग कम हुआ, इसलिए नेचुरली प्रोडक्शन कम हुआ है ! आल इंडिया फीगर्स में कमी आई है । टेक्सटाइल के लिए भीलवाड़ा की एक मिल और ब्यावर की एक मिल थी वह बन्द थीं इसलिए गवर्नमेंट आफ इंडिया को टेक ओवर करना पड़ा और टेक ओवर करने के बाद उनका प्रोडक्शन बढ़ा है । इसलिए जो फीगर्स दिये गये हैं और जिस ईअर में आप डिप्रेशन देखते हैं तो इसका नतीजा क्लियर हैं कि वह कम आयेंगे । ओन दी होल मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कॉजेज कुछ भी हों लेकिन यह फैक्ट है कि जो फेक्चुअल स्टेटमेंट किया गया है कि बढ़ा है सेकण्ड फाइव ईअर प्लान के बाद तो वह गलत है । आल इंडिया फीगर्स को आप देखेंगे तो कान्स्टेन्टली इन्क्रीज हुआ है प्रोडक्शन १०० से १५० तक पहुंचा है, लेकिन राजस्थान में यह स्थिति है कारण इसके कुछ भी रहे हों, .

चाहे गवर्नमेन्ट की लेबर पोलिसी की बंगलिंग की वजह से भीलवाड़ा का मिल बंद हुआ हो या कुछ भी हो लेकिन फैक्ट यह है कि प्रोडक्शन ३३ परसेन्ट गिरा है, ग्लास में २२ परसेन्ट घटा है और शुगर में भी ५६ के मुकाबले में घटा है फिर भी आप इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ कैसे मानते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आंकड़े पढ़ दूं यदि आप चाहें तो । मैं कह रहा हूं कि ग्लास का प्रोडक्शन इसलिये घटा है कि धौलपुर में जो फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर में थी वह बंद हो गई, कोलेप्स हो गई । उसके बाद गवर्नमेन्ट ने खुद ने हाई टेक्निकल ग्लास फेक्ट्री वहां पर चालू करने का विचार किया है उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा । प्राइवेट सेक्टर में कोई फेक्टरी लिक्विडेशन में चली जाय तो प्रोडक्शन कम हो जायगा इसलिये गवर्नमेन्ट उसकी जवाबदारी नहीं ले सकती ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फेक्ट क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : फेक्ट कुछ भी हो प्राइवेट सेक्टर पर हमारा कंट्रोल नहीं है ।

अगर प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम होगया हो तो गवर्नमेन्ट उसको अपने हाथ में ले सकती है जैसा भीलवाड़ा टैक्स टाइल मिल को टेक ओवर किया । वहां बंगलिंग था तो मिल की तरफ से था । आल्टीमेटली गवर्नमेन्ट ने उसको टेक ओवर किया और अब वहां प्रोडक्शन बढ़ा है । आप सन् ५६ का एवरेज लेते हैं पर सेकन्ड फाइव ईयर एज ए होल का एवरेज कीजिये पहले प्रोडक्शन ५६ था

Page No.10

(श्री मथुरादास माथुर)

अब ५६.६ हुआ है। गवर्नमेन्ट ने लेने के बाद प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो तीन बातें कहीं हैं शुगर, टैक्सटाइल और ग्लास उसके रीजन्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन घटा है यह प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट अंडर टेकिंग है नहीं फिर भी गवर्नमेन्ट ने या तो टेक ओवर किया है या प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कारण कुछ भी हो, मेरा प्रश्न यह था कि आप इन्डेक्स नम्बर तैयार करते नहीं हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन में कुछ का प्रोडक्शन घटा है कुछ का बढ़ा है लेकिन टोटल बढ़ा है यह पोजिशन आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल्कुल सही है टोटल एवरेज निकालें सेकन्ड फाइव ईयर प्लान का एवरेज निकालें, आप सन् ५६ पीक ईयर का क्यों ले रहे हैं। सेकन्ड फायव ईयर प्लान का एवरेज निकालें उन कोमोडिटीज का जो मैंने लिस्ट में दी हैं कोटन, अम्ब्रेला, बाइसिकल्स, माइका, ओयल सीड्स सबका प्रोडक्शन बढ़ा है ओन दी होल बढ़ा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मंत्रीजी ने कहा कि गन्ने का प्रोडक्शन कम हो जाने से प्रोडक्शन पर असर पड़ा है और उसका कारण फसल बताया है। गन्ने की फसल सिंचाई पर निर्भर है फिर इसमें कमी क्यों आई ?

श्री मथुरादास माथुर : यह ट्रेन्ड पर निर्भर करता है पहले लोगों में गन्ने के लिये एन्थुजिआज्म था वह अब कोटन की तरफ शिफ्ट होगया इसलिये कोटन का प्रोडक्शन बढ़ गया। शुगर केन के बीज फ्री डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी काश्त करवाते है।

श्री मुरलीधरव्यास : प्लान्ड वे में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिये राज्य सरकार का इस प्रकार का प्लानिंग नहीं है। मार्केट कोटन का अच्छा है तो कोटन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, पहले गन्ने का अच्छा था तो प्रोडक्शन ठीक हो रहा था योजनाबद्ध तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। शुगर फेक्ट्री केवल गंगानगर में ही नहीं है दूसरी फेक्ट्री भोपालसागर में प्राइवेट सेक्टर में चलती थी उसके बंद हो जाने से प्रोडक्शन नहीं हुआ उसकी वजह से शुगर केन पर असर हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि निजी उद्योगों में प्रोडक्शन ज्यादा फेल हुआ है इस कारण निजी उद्योगों के ऊपर गवर्नमेन्ट का कंट्रोल होना चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो सवाल पूछा है कोटन, ग्लास, और शुगर के बारे में वे निजी उद्योग में आते हैं और निजी उद्योग के प्रोडक्शन पर जब तक वहां मिस मैनेजमेन्ट नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेन्ट पिक्चर में नहीं आती। जो आपने सवाल पूछा है वे तीनों चीजें निजी उद्योग में आती हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय सदस्य जानते हैं कि उन पर गवर्नमेन्ट का कितना कंट्रोल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि निजी उद्योगों में प्रोडक्शन का बढ़ना सराहनीय है लेकिन आप उनके स्टेटमेन्ट का विरोध कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ओन दी होल प्रोडक्शन बढ़ा है। आपने कोटन टेक्सटाइल का पूछा भीलवाड़ा की मिल बंद होगई थी इसलिये प्रोडक्शन पर असर पड़ा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : उसे तो आप अपने हाथ में ले चुके हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : २ साल से लिया है उसके बाद तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट इस पोजीशन को तो स्वीकार करती है कि यदि निजी उद्योगों के बजाय राजकीय क्षेत्र में उद्योग चलाये जावें तो प्रोडक्शन बढ़ता है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं एज ए मिनिस्टर फोर गवर्नमेन्ट अन्डरटेकिंग्ज यही कहूंगा।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : राजस्थान स्टेट की इन्कम के मुकाबले में इन्डस्ट्रीज का टोटल कांट्रिब्यूशन कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने उस समय स्टेटमेन्ट दिया था उस समय बताया था अब मुझे याद नहीं है करीब ३२.३३ परसेन्ट, this is subject to correction, but I made a statement in the House only two days before.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

पर कैपिटा इन्कम

४५८. **श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर) : Will the Planning Minister be pleased to state—

1. What was the estimated per capita income at the end of 1962-63 in Rajasthan ? What rise in percentage has been achieved as compared with the per capita income at the end of the 2nd Five Year Plan ?

2. What rise in the per capita income is expected by the end of this financial year ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : राजस्थान के १९६२. ६३ की आय के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः अनुमानतः प्रति व्यक्ति आय कितनी थी यह नहीं बताया जा सकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने में सफलता मिली हैं यह भी इसलिये नहीं बताया जा सकता।

परन्तु १९६१-६२ सम्बन्धी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्राप्त है जिनके अनुसार १९६१-६२ में १९५४-५५ के स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति की आय २५२ रुपये थी। १९६०-६१ में जो द्वितीय पंचवर्षीय

Page No.12

(मथुरादास माथुर)

योजना का अंतिम वर्ष है उसमें २४१ रुपये थी; इसलिये १९६१-६२ में १९६०-६१ की अपेक्षा ४.५६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(२) उपरोक्त उत्तर के आधार पर इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जो ४.५६ की वृद्धि आपने बताई है यह क्या ५४-५५ के स्थिर मूल्यों के आधार पर है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह उसीपर आधारित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस वित्तीय वर्ष में कमी हुई है, यह आपने माना है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने न 'हां' कहा है न 'ना' कहा है; बल्कि पर-केपिटा इन्कम........

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो आपने फिगर्स बताये है दूसरी पंचवर्षीय योजना में पर केपिटा इन्कम में बढ़ोतरी बताई है। वे आपने बताये हैं २४१ बमुकाबले पहले के २३६ के; ४.५६ की बढ़ोतरी कौन स ईयर की बताई है ?

श्री मथुरादास माथुर : Last year of the II Five year plan में Because of failure of Kharif and likely failure of Rabi also there is lilkelihood of fall in such crops. My figures will be ready by the end of August. Now 1963 has ended and 1964 has started. The figures will be compiled and by the end cf August I will be able to give you.

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल पर केपिटा इन्कम कितने परसेन्ट प्रति वर्ष बढ़ी है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न जुदा है लेकिन फिर भी on the average I can say that it has incrcased not less than 2.5 per cent. It is not bad so far as the all-India per capita income is concerned.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वह जो स्टेटमेन्ट राज्यपाल के भाषण में है जिसमें केवल ०.२० परसेन्ट बढ़ोतरी है क्योंकि मालूम होगा कि २३६ से २४६, ५ वर्षों में बढ़ी है तो प्रति वर्ष कम ही बढ़ी है ?

श्री मथुरादास माथुर : एवरी ईयर के अलग अलग फिगर्स होते हैं, ६०.६१ के एन्ड के फिगर्स हैं उनको ६१-६२ के फिगर्स से कंपेयर किया है। आप चाहते हैं ६२.६३ के फिगर्स, वे अभी अवेलेबल नहीं हैं। आप चाहें तो दूसरा प्रश्न पूछ लें। ऑल इन्डिया बेसिस पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, I challenge the figure of 1961-62.

१९५६ से ६१ तक, पांच वर्षों में आपकी पर केपिटा इन्कम २३६ से २४१ हुई है, जैसा बजट स्टडी में दिया है, जिसको गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट माना है और उसके पीछे एक साल

Page No.13

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में ११ बढ़ गया, २४१ से २५२ तक। इसमें कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जिससे इस प्रकार राइज हो सके। तो इसमें जो फिगर्स हैं इनके अन्दर कॉन्ट्रेडिक्शन मालूम पड़ता है, गलत मालूम पड़ते हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट जांच करेगी।

श्री मथुरादास माथुर : जो फिगर्स मैंने दिये हैं उसमें गलती नहीं है। १९६१-६२ में २५२ हुआ जब कि पहले २४१ था। इसके कॉजेज क्या हैं; इसके माननीय अध्यक्ष, बहुत से कॉजेज हैं....

श्री विजयसिंह भाला (नाथ द्वारा) : दो-चार बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता देता हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं और डिबेट करना चाहते हैं। मैं बता दूं कि पर-कैपिटा इन्कम और टोटल स्टेट इन्कम के राइज करने के चार-पांच फेक्टर्स होते हैं। इन्डस्ट्रियल आउट पुट, एग्रीकल्चर आउट पुट, ट्रान्सपोर्ट और मिसलेनिअस। इन फेक्टर्स में कौनसा फेक्टर कितना कान्ट्रीब्यूट करता है। मैंने पहले भी बताया था कि १९६१-६२ में एग्रीकल्चरल आउट पुट का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्डस्ट्रियल आउट पुट का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, इसलिए ऑन दी होल फिगर ज्यादा रहे हैं। मैंने टोटल में फिगर्स बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं कि प्रान्त में कितनी आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी इन्कम पर-कैपिटा इन्कम से कम है?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पर-कैपिटा इन्कम केलकुलेट करते हैं वह दो तरह करते हैं; एक तो टोटल इन्कम जो पांचों फेक्टर्स से होती है उसको पापूलेशन से डिवाइड कर देते हैं। यह ऑल इंडिया पेटर्न है। दूसरे हम सेम्पल सर्वे करते हैं और फिर पर-कैपिटा इन्कम से कम्पेअर करते हैं और उसमें कभी फिगर्स एक्सीड करते हैं या कम होते हैं। यह आल इंडिया पैटर्न नहीं है। यह डिफेक्ट है, मैं मानता हूं। मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे ठीक किया जाय क्योंकि टोटल इन्कम को पॉपूलेशन से डिवाइड करने का सिस्टम है वह ठीक नहीं। मैंने कोशिश की है मालूम करने की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्थ अलग अलग सेक्टर की कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्थ कितना पर्सेन्ट होता है मिडिल क्लास को, हायर क्लास को कितना ज्यादा है और लेबर के पास, एग्रीकल्चर लेबर के पास कितना जाता है। हमारी आबादी का ७० पर्सेन्ट, ८१ परसेन्ट गांवों में रहता है और कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ कम्पनीज में होता है, उसमें लिमिटेड है। तो ऑल इंडिया के फिगर्स होते है वे कम्पनीज के होते हैं। मेरे यहां के फिगर्स होते तो ऑल इंडिया के फिगर्स से they will give you a better reflection of the distribution of wealth than the all India pattern. यह पोजीशन है। मैं कोशिश कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्थ की पोजीशन जानने के लिए, जिस प्रकार केन्द्रीय फाइनेंन्स मिनिस्टर ने कमेटी ऑन मोनोपोलीज बनाई है, उसी प्रकार कोई कमेटी बनाऊं। हमारे यहां इस पर विचार कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हू कि क्लीअर

Page No.14

(श्री मथुरादास माथुर)

पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की मैं दे सकूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि डॉक्टर बागची की अध्यक्षता में जो इकोनोमिकल सर्वे कराया है, उसमें रूरल पोपूलेशन की पर-केपिटा इन्कम ८४ के करीब आई है ?

श्री मथुरादास माथुर : डॉक्टर बागची की रिपोर्ट आई है उसका कम्पाइलेशन हो रहा है। उसके बाद जैसा मैंने सदन को कहा है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का निकाला है उसका कितना एवरेज पड़ेगा यह मैं नहीं कह सकता। उसमें किसी डिस्ट्रिक्ट की एग्रीकल्चरल इन्कम ८४ नहीं है, २२० सबसे ज्यादा है। इसे, अध्यक्ष महोदय, आप खुद देख सकते हैं, गंगानगर के अन्दर सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हुए। तो उसका कम्पाइलेशन हम कर रहे हैं। १६ डिस्ट्रिक्टस की रिपोर्ट उन्होंने दे दी है। उन रिपोर्ट्स के आधार पर एवरेज निकाला जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने उन रिपोर्टस को देखा है, उसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की पर-केपिटा इन्कम के आंकड़े दिये गये है उनके अधार पर किसी डिस्ट्रिक्ट की प्रति व्यक्ति आय, नित्य प्रति आय साढ़े तीन आती है ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी जिले में नहीं है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : किसी जिले में प्रति व्यक्ति आय उससे भी कम है जिस प्रकार माननीय सदस्य ने कहा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आमदनी अलग अलग क्षेत्रों की निकलती है उसमें कम से कम कितनी है जब तक उसको निकालते नहीं है तब तक बिना निकाले मालूम नहीं पड़ सकता कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन हुआ है। और उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है, किसी में १५६ पड़ती है। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का बता दें। अगर गंगानगर में सबसे ज्यादा है तो दूसरे जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें कम हो जायगा और इस प्रकार पर केपिटा इन्कम कम होती जायगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला पूरा समझना है तो मैं बता दूं कि यह सही है कि बागची की रिपोर्ट के अनुसार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की इन्कम से पर केपिटा इन्कम निकालेंगे तो गलती करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से होने वाली इन्कम, हसबेन्ड्री और ऑग्जीलियरी प्रोफेशन्स से जो इन्कम होती है इन सब को जोड़ कर पर केपिटा इन्कम निकालनी पड़ेगी। बागची की रिपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स की पर केपिटा इन्कम निकाली है जब कि एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं निकाल सकते। मुझे आंकड़े याद हैं, लेकिन मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता जब तक कि वेरीफिकेशन उनका न हो जाय। जो एग्री-

(श्री मथुरादास माथुर)

कल्चर सेक्टर कन्ट्रीब्यूट करता है, हसबेन्ड्री और ऑक्जीलियरी प्रोफेशन्स कन्ट्रीब्यूट करते हैं उनका परसेन्ट निकालने की सरकार कोशिश कर रही है। एक एग्रीकल्चर लेबर खेती का काम करता है, उसके अलावा वह और काम करता है, गाड़ी चलाता है इसलिए ऑग्जीलियरी प्रोफेशन्स और हसबेन्ड्री और एग्रीकल्चर सब मिला कर इनका पर्सेन्ट देख कर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का देख कर पर केपिटा इन्कम निकालनी पड़ती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें तो सुखाड़ियाजी की भी आमदनी जुड़ जायगी ?

श्री मथुरादास माथुर : आपकी भी जुड़ जायगी, असेम्बली की भी जुड़ जायगी और वकालात की भी जुड़ जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार पर केपिटा इन्कम को तीन स्ट्रेटाज में डिवाइड करेगी, फर्स्ट स्ट्रेटा १० परसेन्ट ऑफ दी पोपूलेशन, सेकिंड स्ट्रेटा बाकी का ४० परसेन्ट ऑफ दी पोपूलेशन, और तीसरा स्ट्रेटा रिमेनिंग ५० परसेन्ट ऑफ दी पोपूलेशन और तीनों की निकाल कर कम्पेरेटिवली टेबल्ड फॉर्म (Tadleb forn) में सरक्यूलेट करेगी ? मेरे ख्याल से इससे माननीय सदस्यों को विचार करने का अवसर मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो सुझाव रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं कोशिश में हूं, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है…………

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह असम्भव नहीं। यह हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं असम्भव नहीं कहता। असम्भव कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैंने कोशिश चालू कर दी है। मैं इस कोशिश में हूं कि पूरा रिफ्लेक्शन पैदा हो सके, पर-केपिटा इन्कम डिफरेन्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की दी जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब हमारी सरकार का ध्येय यह है कि हम सोशियलिस्टिक समाज स्थापित करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह परमावश्यक है कि लोअर ५० पर सेन्ट की क्या स्थिति है, सरकार को इसकी जानकारी प्राप्त करना परमावश्यक है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं लोअर ५० परसेन्ट का ही नहीं कहता, मैं तो इस कोशिश में हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, लेबर सेक्टर, मिडल क्लॉस, इन्डस्ट्रियलिस्ट वगैरह डिफरेन्ट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के अन्दर केपीटल का, इन्कम का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको निकालने की कोशिश में हूं। काम मुश्किल है। इसलिए मैं कोई वायदा नहीं करता कि किस वक्त तक पूरा कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जो १६ जिलों की रिपोर्ट है क्या सरकार उसको आथेरिटेटिव मानती है ?

श्री मथुरादास माथुर : डॉक्टर बागची की १६ डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, वह इकोनोमिकल सर्वे की रिपोर्ट है। उसका जब तक कम्पाइलेशन नहीं होता तब तक आथेरिटेटिव है न नान आथेरिटेटिव।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : बाकी की स्टेट....

श्री अध्यक्ष : Orders please ! Next question.

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, इसमें जो रिपोर्ट्स का हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष : Next question has been called, hon. Member.

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : उठाइये !

श्री मानिकचन्द सुराना : जिन रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, उनको टेबल ऑफ दी हाउस पर रखाने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि जिन रिपोर्ट्स का हवाला दे दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : इसका हवाला कई दफा हो चुका है। समय पर कम्पाइलेशन हो जायगा तो पेश कर देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : कम्पाइलेशन तो....

श्री अध्यक्ष : There is no point of order. Disallowed.

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूलाल करोल।

गांवों को बिजली, जिला जयपुर

४५६. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में कस्बा सांगानेर के आस पास के ग्रामों को बिजली इस साल, यानी मार्च सन् १९६४ से पहले देने की योजना है ?

(ख) क्या यह सही है कि कस्बा चाकसू व बस्सी को भी बिजली अगले साल देने की योजना है ?

(ग) यदि हां तो कस्बा चाकसू का सर्वे कब तक करवाया जावेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद):

(क) जी हां, परन्तु यह काम जुलाई तक पूरा होगा यदि आवश्यक सामान जिनका ऑर्डर दिया गया है समय पर प्राप्त हो जाय।

(ख) जी हां।

(ग) मार्च के अंतिम सप्ताह में सर्वे कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

प्रश्न संख्या ४६०

श्री अध्यक्ष :

श्री मथुरेश बिहारी :

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६१.

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६२।

श्री रामकिशन।

(श्री हीराभाई के खड़े होने पर)

एक माननीय सदस्य : यह तो रामकिशनजी का प्रश्न है। हीराभाई का नहीं।

श्री अध्यक्ष : हीराभाई के कई स्वरूप हैं।

ग्रेजूएट अध्यापकों को ग्रेड, जिला भरतपुर

४६२. **श्री रामकिशन** (वेर) [श्री हीरा-

Page No.17

(श्री रामकिशन.)

भाई (कुशलगढ़ द्वारा पूछा गया) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भरतपुर जिले के ग्रेजुएट अध्यापकों को अभी तक दूसरा ग्रेजुएट ग्रेड नहीं दिया है, जबकि ८–१० वर्षों से कार्य कर रहे है ? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब से ग्रेड देने का इरादा रखती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग भरतपुर में नई नियुक्तियां ग्रेजुएट ग्रेड में की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) जी नहीं। उच्च तथा उच्चतर कक्षाओं को विभिन्न विषय पढाने वाले अध्यापकों की आवश्यताकानुसार प्रवरता सूची के आधार पर ८-१० वर्षों से कार्य करने वाले अध्यापकों को भी द्वितीय वेतन शृंखला के रिक्त स्थानों पर पदोन्नत्तियां दे दी गई है।

(२) ६३-६४ में भरतपुर में केवल ३३ नियुक्तियां ग्रेजुएट ग्रेड में केवल प्रशिक्षित तथा विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने वाले स्नातकों की की गई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह प्रश्न संख्या ४६३।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्नों के उत्तर देखने लगे।

श्री अध्यक्ष : बाद में उत्तर दे दें।

मिडिल स्कूल की अपूर्ण इमारत ग्राम गांधी, जिला गंगानगर

४६३. **श्री हरदत्तसिंह,** (नौहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) देहातों में जहां पहिले से मिडिल स्कूल चालू हैं वहां स्कूल भवन के निर्माण हेतु सरकार कितना प्रतिशत खर्चा देती है ?

(२) ग्राम गांधी (जिला गंगानगर) के मिडिल स्कूल के अधूरे पडे भवन की इमारत को पूर्ण करने हेतु ग्रामवासी १५ हजार रुपया देना चाहते हैं जिससे इमारत पूरी नहीं हो सकती इसलिये क्या सरकार इतना ही रुपये का खर्च स्वयं और करके इस भवन को पूर्ण करने में योग देगी ?

(उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

नैक्स्ट, श्री नत्थीसिंह

हरसाना (अलवर) में हायर सेकेन्डरी स्कूल

४६४. **श्री नत्थीसिंह :** (गोविन्दगढ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हरसाना (अलवर) की जनता ने वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये नियमानुसार धन राशि जमा करा दी है ? अगर हां, तो वहां अब तक हायर सेकेन्डरी कक्षाऐं क्यों नहीं खोली गई ?

(२) क्या सरकार अगले सैशन में हरसाने में हायर सेकेन्डरी कक्षाऐं खोलने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) :—(१) जी हां। ग्राम हरसाना जिला अलवर की जनता ने १०००० रु० दिनांक ७-८-६३ को माध्यमिक शाला,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हरसाना को जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल में सन् ६३-६४ में अपग्रेड कराने के लिये जमा करा दिये थे। इस माध्यमिक शाला को जूनियर उच्चतर माध्यमिक शाला में अपग्रेड करने के लिये बोर्ड आफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन, अजमेर को लिखा भी था पर देरी के कारण बोर्ड ने इसे नहीं माना।

(२) जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी भी यह प्रश्न विचाराधीन है क्या? जब आपने लिख दिया तो फिर बोर्ड के इसे नहीं मानने का क्या कारण है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोर्ड को खोलने के लिये लिख दिया है। यह तो मै डेफिनेटली कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब गवर्नमेंट खोलने का निर्णय करती है तो फिर बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन ने इसी साल क्यों नहीं खोला जब कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसी साल खोली जानी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने इस पर विचार करके बोर्ड को लिख दिया है। बोर्ड अन्तिम निर्णय लेता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इसका मतलब यह हुआ कि बोर्ड आपके लिखने को ओवर रूल कर सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर उसका जो डेटा होता है वह फुलफिल नहीं हो तो रिजेक्ट कर देता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

मांस उद्योग

४६५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान में सरकार मांस उद्योग चलाना चाहती है?

(२) क्या यह भी सही है कि इस उद्योग के सर्वेक्षण के लिए दल व समितियां नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट है?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) उद्योग विभाग के विचाराधीन कोई ऐसी योजना नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढदार।

जयपुर नगर के लिये नये हायर—सेकेन्डरी स्कूल

४६६–**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर में कुछ हायर सेकेन्डरी स्कूल कितने हैं और इनमें साइन्स कितने स्कूलों में पढ़ाई जाती है?

(२) क्या राज्य सरकार जयपुर नगर की जन संख्या को देखते हुए हायर सेकेन्डरी स्कूल पर्याप्त समझती है। और यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार जयपुर नगर में नए हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और कितने?

(३) जयपुर नगर में महाराजा मल्टीपरपज हायर सेकेन्डरी स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कितने कमरे हैं और क्या यह कमरे विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) ११ हायर सेकेडरी स्कूल हैं जिनमें से ६ में साइन्स पढ़ाई जाती है।

(२) जी हां, हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या पर्याप्त है।

(३) जयपुर नगर में महाराजा गर्ल्स मल्टीपर्पज हायर सेकेन्डरी स्कूल नाम की संस्था है उसमें कमरे व तिबारे मिलकर पर्याप्त मात्रा में है २२ कमरे है बाकी की कक्षाओं को तिबारों में बैठना पड़ता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रश्न है कि कितने हायर सेकेन्ड्री स्कूलें हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ११ हायर सेकेन्डरी स्कूलें है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हायर सेकेन्डरी स्कूलें है उनके कितने लड़के पढ़ते है उनकी संख्या क्या है और एक कमरे में कितने लड़के बैठते हैं और जो तिबारे है उनकी लम्बाई और चौड़ाई क्या है इसका भी ज्ञान हो।

मैं केवल जयपुर के लिये ही यह कहता हूं कि वर्तमान में स्कूलें चलती है, उनमें कितने कमरे हैं और तिबारे हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में लड़कों के लिये स्थान नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी बस्ती में जो स्कूल है उनमें जब नया सैशन चलता है तो उस समय विद्यार्थियों को स्थान नहीं मिलता और जगह की कमी होती है तो उनको एड्मिशन नहीं मिलता है और उन लड़कों के गार्जियन मारे मारे फिरते हैं ? क्या इसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन यह निश्चित है जैसा मैंने अर्ज किया कि इस हायर सेकेन्ड्री स्कूल में २२ कमरे हैं बाकी की कक्षाओं को तिबारों में बैठना पड़ता है और यह पर्याप्त स्थान है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आयन्दा आप कोई स्कूल खोलें, जिससे स्टुडेन्टस को जगह मिल सकें। क्या कोई इस प्रकार की योजना है ? क्या कोई इस संबन्ध में आपने कदम उठाने का विचार किया है या रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

नाइलोन फैक्ट्री, कोटा को ऋण

४६७. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(१) सरकार द्वारा नाइलोन फैक्ट्री कोटा के लिये जे० के० इन्वेस्टमेन्ट लि० कानपुर को दि० १८-१-५७ के इकरारनामे के अनुसार कब कब व कितना कितना रुपया उधार दिया गया ?

(२) उक्त ट्रस्ट अथवा फैक्ट्री ने सरकार के उपरोक्त ऋण की सुरक्षा के लिये क्या रहन किया ?

(३) क्या यह सही है कि इकरारनामें की शर्तों का उल्लंघन हुआ है यदि हां, तो कौन कौन सी शर्तों का और क्यों ?

(४) इकरारनामें की शर्त चरण कं० ८,६,१० के सम्बन्ध में सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

(५) उक्त फैक्ट्री से कितना "लीज मनी" तय होकर कितना कब प्राप्त हुआ ?

(६) उक्त फैक्ट्री से कितना रेन्ट तय हुआ तथा कब कब कितना कितना जमा हुआ ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) सरकार द्वारा नाइलोन फैक्ट्री कोटा के लिए मैसर्स जे० के० इनवेस्टमेन्ट ट्रस्ट लि० कानपुर को दिनांक १८-१-५७ के इकरारनामें के अनुसार ३० लाख रुपयों का ऋण निम्नानुसार दिया गया।

रु० २०,००,०००-२-६-१९५९.

रु० १०,००,००० २६-३-१९६१.

(२) उक्त कम्पनी ने उपरोक्त ऋण की सुरक्षा के लिए सरकार के पास विभिन्न कम्पनियों के शेयर्स प्लेज किए हैं।

(३) इकरारनामें की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ सिवाय इसके कि प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियों वश फैक्ट्री क्लॉज ७ तथा १३ (ए) में निर्धारित अवधि के अन्दर स्थापित नहीं हो सकी।

(४) इकरारनामें के क्लॉज ८ के अनुसार कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो डाइरेक्टर्स हैं। क्लॉज ६ के अनुसार फैक्ट्री की सम्पति को मोरगेज करने की कार्यवाही की जा रही है। क्लॉज १० के अनुरूप फैक्ट्री में अप्रेन्टिग ट्रेनिंग की व्यवस्था है।

(५) उक्त फैक्ट्रीयें लीज मनी (डवलपमेंट चार्जेज रु० २५०) प्रति एकड़ तय हुआ है। कुछ रकम रु० १७,५०० पार्टी द्वारा ४-१०-५८ को जमा कराई जा चुकी है।

(६) उक्त फैक्ट्री से रेंट ३०) रु० प्रति एकड़ वार्षिक तय हुआ है। ७-१०-६४ तक का रेंट रुपया १२,६०० पार्टी ने ४-६-६३ को जमा करा दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि अभी तक सरकार ने फैक्ट्री की मूवएबल प्रोपर्टी को मोरगेज नहीं किया है।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा है कि कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अभी तक कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में क्यों नहीं की गई ?

श्री चन्दनमल वैद : एग्रीमेंट में कोन्ट्रेक्ट था कि फर्स्ट चार्ज टोकियो की एक कम्पनी जिसने सामान भेजा था उसका था और सेकन्ड चार्ज हमारा था। अब उनकी अनुमति आ गई है........

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस रोज उनको एलोटमेंट किया गया, पैसे उसी समय क्यों नहीं लिये गये ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने आपको तारीख बतादी ४. १०. ५८ को दे दिये थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या एलॉटमेंट के साथ साथ लीज मनी का जमा होना जरूरी था और वह उसी रोज जमा नहीं हुआ ? लीज कब हुआ ?

Page No.21

श्री चन्दनमल वैद : लीज कब हुआ यह मैं आपको बता देता हूं।

The possession was delivered on 8. 10. 58:

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब लीज ८ अक्टूबर ५८ को हुआ तो रुपये पहले कैसे जमा कराये गये?

श्री चन्दनमल वैद : पजेशन ८ अक्टूबर को दिया गया और उन्होंने रुपये ४.१०.-५८ को जमा करा दिये तो उसमें कौनसी बात हो गई। पेमेन्ट पहले ही हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : टोकियो कम्पनी को फर्स्ट चार्ज है। उसी तरह से दूसरा चार्ज ये लोग किसी दूसरे को दे सकते हैं। इसलिये आपके पास सिक्योरिटी क्या है?

श्री चन्दनमल वैद : इसके लिये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं। जितना रुपया दिया गया है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार के पास दूसरी कम्पनियों के शेयर्स प्लेज किए गये हैं इसलिये चिन्ता की बात नहीं है। इम्मूवेबल प्रोपर्टी होगी उसका सेकन्ड चार्ज रहेगा। इसलिये इसमें आपको कोई व्यग्रता जाहिर करने की जरूरत नहीं है।

श्री मानिकचंद सुराणा : क्या इस कम्पनी को इस प्रकार की छूट दी गई है कि वह शेअर्स को और जगह भी प्लेज्ड कर सकती है?

श्री चन्दनमल वैद : मैं आपका प्रश्न समझा नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोटा की इस कम्पनी के जो शेअर्स हैं उन शेअर्स के लिये क्या कम्पनी को इस प्रकार की छूट दी गई है कि वह शेअर्स को दूसरी जगह भी प्लेज्ड कर सकती है?

श्री चन्दनमल वैद : हमारे शेअर्स प्लेज्ड हैं, वह दूसरी जगह कैसे प्लेज्ड हो सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसी तो छूट कम्पनी को नहीं है कि वह दूसरी जगह भी शेअर्स को प्लेज्ड कर सके?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि मूवेबल प्रोपर्टी को गवर्नमेंट के पास प्लेज्ड करे, उसको वह दूसरी जगह भी प्लेज्ड कर सकती है?

श्री चन्दनमल वैद : मशीनरी के लिये प्रावधान है कि कम्पनी जो मशीनरी भेजेगी उसका फर्स्ट चार्ज हो सकेगा, सेकन्ड चार्ज हमारा होगा, इस प्रकार का एग्रीमेंट है।

श्री अध्यक्ष : एग्रीमेंट के बाद भी शेअर्स प्लेज्ड रहेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : रहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बड़े केपिटलिस्ट को कर्ज देने की क्या आवश्यकता महसूस हुई। तमाम मोनोपोलिस्ट्स हिन्दुस्तान के हैं उनमें से यह एक है, फिर क्या आवश्यकता महसूस हुई कि राजस्थान जैसी

Page No.22

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भूखी सरकार को भी इस सेठ को कर्ज देना पड़ा।

(विराम)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार ने कभी देखा है कि वहां पर कोई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या व्यवस्था है, क्या कभी सरकार ने देखा है कि एग्रीमेंट के अनुसार किस प्रकार की व्यवस्था है ?

श्री चन्दनमल वैद : लोगों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। और ट्रेनिंग दी गई है।

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : जिस एग्रीमेंट का रेफेरेंस मन्त्री महोदय ने दिया है वह हाउस की टेबिल पर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह सदन की टेबल पर कई बार आ चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष, वहां ट्रेनिंग देने की किसी प्रकार....

श्री चन्दनमल वैद : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक विद्यार्थी बिड़ला इन्स्टीट्यूट से आया उसकी ट्रेनिंग का कार्य समाप्त हो चुका। एक विद्यार्थी उदयपुर की संस्था से आया उसकी शिक्षा का कार्य भी समाप्त हो चुका। और कई संस्थाओं से ट्रेनिंग के लिये विद्यार्थी आये, उनमें से कई ट्रेनिंग समाप्त कर चुके और कइयों की आधी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा हैं कि किसी प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं हैं, व्यवस्था नहीं हो ऐसी बात नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ट्रेनिंग के बारे में एग्रीमेंट में क्या व्यवस्था तय हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाचन्द सोन !

चीनी का कारखाना अन्ता

४६८ श्री **दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने अन्ता गांव में चीनी का कारखाना खोले जाने का निर्णय गत करीब दो तीन वर्ष पूर्व किया था ?

(२) यदि हां, तो वह आज तक क्यों नहीं स्थापित किया गया और भविष्य में कब तक खोल दिये जाने की आशा है ?

(३) क्या यह सही है कि अन्ता क्षेत्र में चारों तरफ नहर के कारण गन्ने की पैदावार आगामी एक दो वर्षों में काफी बढ़ जावेगी और उस आधार पर शक्कर का कारखाना यदि सरकार द्वारा स्थापित किया जावे तो

लोगों की बेरोजगारी दूर करने में सहायक होगा ? यदि हां, तो यह योजना कब लागू होगी।

उप-मंत्री उद्योग, (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) जी हां।

(२) भारत सरकार द्वारा उस समय की पॉलिसी के अनुसार कारखाने के लिये लाइसेंस नहीं दिया गया था। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है, और शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है।

(३) जी हां। भारत सरकार द्वारा लाइसेंस मिलते ही कारखाना स्थापित किया जावेगा।

श्री दयाचन्द सोन : क्या इस नगर में सरकार ने कारखाने के लिये जमीन घेर रखी है, कुछ लोगों की जमीन घेर रखी है ?

श्री चन्दनमल वैद : जमीन घेरने का प्रश्न नहीं, भारत सरकार को लिखा है कि लाइसेंस दी जाय, लाइसेंस मिलने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री दयाचन्द सोन : कोई जमीन कारखाने के लिये एक्वायर कर रखी है क्या ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

कामां से नन्देरा सतवास नोनहरा सड़क

४६६. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील कामां, जिला भरतपुर की उत्तरी सीमा के ५० ग्रामों में आवागमन का कोई साधन नहीं है और यह ग्राम पंजाब के कस्बा होड़ल से केवल ५ मील की दूरी पर स्थित है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा कामां से ग्राम नन्देरा सत बास नोनहरा तक सड़क बनाने का विचार रखती है, और क्या इस को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ले लिया जायेगा ? (३) यदि हां, तो क्या सरकार इसका वर्ष ६३—६४ में सर्वे करा सकेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है तथा भविष्य के लिये अभी नहीं कहा जा सकता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

ठेकेदारों की जब्त की गई सिक्योरिटी डिपोजिट

४७०. **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ५७ से लेकर अब तक पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कितने ठेकेदारों की दस हजार रुपयों से ज्यादा की सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त की गई और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इनमें से कितने ठेकेदारों की सिक्योरिटी इसलिये जब्त की गई कि उनका काम कम्पलीट होने पर डिफेक्ट्स पाये गये ?

(३) क्या इन डिफेक्ट्स के बारे में किन्हीं सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के विरुद्ध भी कोई एक्शन लिया गया है ? यदि हां, तो कितनों के खिलाफ ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सका है, इसका उत्तर अगले सप्ताह में दिया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह प्रश्न बहुत पुराना है, इसमें बहुत घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह में दिया जायगा।

श्री मोहनराज ?

रानी देसूरी सड़क

४७१. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अकाल ग्रस्त इलाकों में उन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जावे एवं तत्काल कार्य आरम्भ किया जाय जिनके लिये बजट में प्रावधान है ?

(२) क्या यह सही है कि इसी निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अकाल राहत समिति जिला पाली ने रानी—देसूरी सड़क के निर्माण को प्राथमिकता दे कर इस कार्य को तत्काल प्रारम्भ किये जाने का निवेदन राज्य सरकार को किया है क्योंकि इस निर्माण कार्य पर मजदूरी करने आने वाला वर्ग अकालग्रस्त ग्रामों से आयेगा ?

(३) यदि हां, तो अब कब तक यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

उप-मन्त्री, सर्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) आशा है वर्ष १९६४-६५ में।

श्री अध्यक्ष : श्री रविशंकर याज्ञनिक ?

विज्ञान ब्लॉक गवर्नमेंट कॉलेज, सिरोही

४७२. **श्री रविशंकर याज्ञनिक** (पिंडवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिरोही गवर्नमेंट कॉलेज के विज्ञान ब्लॉक के बनाने हेतु जिले की जनता ने पचास हजार रुपया सरकार को दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि उतनी ही रकम राज्य सरकार ने विज्ञान ब्लॉक के लिये मंजूर की है ?

(३) यदि हां, तो सिरोही कॉलेज में अभी तक विज्ञान ब्लॉक क्यों नहीं बन रहा है तथा अब कब तक बन जावेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सिरोही कॉलेज में विज्ञान कक्ष ब्लॉक की स्वीकृति २४ सितम्बर सन् १९६० में दी गई। खर्च की संशोधित स्वीकृति ३१ मार्च, १९६१ को दी गई किन्तु सन् १९६२-६३ में संकटकालीन स्थिति के कारण सभी नये काम को चालू नहीं किये गये थे वे स्थगित रखे गये। बाद में १८ मार्च, १९६३ में जो ५०,००० रुपये दान में इसके निर्माण हेतु प्राप्त हो गये थे, उस रकम तक खर्च करने की अनुमति दी गई। फलस्वरूप विज्ञान कक्ष का कुछ भाग तैयार हो गया है। बाकी कार्य को पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है हर संभव इस कार्य को अगले वर्ष पूरा करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जेठमल बरवड़ ?

अध्यापकों के इन्टरव्यू जिला शिक्षणालय, नागौर

४७३. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला शिक्षणालय नागौर के निरीक्षक ने सन् १९६३ में कितनी दफा अध्यापक लेने के लिये इन्टरव्यू लिया और उनमें कितने अध्यापक लिये गये ?

(२) क्या यह सही है कि जितनी दफा इन्टरव्यू हुआ उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लड़के आये थे परन्तु एक भी लड़का अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) केवल एक दफा इन्टरव्यू लिया जिसमें ३५ अध्यापक लिये गये।

(२) यह सही नहीं हैं इन्टरव्यू में ४ लड़के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के आये थे और सरकार द्वारा ४ की नियुक्ति दे दी गई मगर उनमें से २ ने तो कार्य भार संभाल लिया। अन्य दो व्यक्तियों ने कोई सूचना नहीं भेजी।

श्री जेठमल बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त इन्टरव्यू हुए उस समय लड़के आये थे उनको बिलकुल नहीं लिया गया बाद में दो लड़के लगाये गये।

निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, चार कुल लिये दो ने कार्यभार सम्हाल लिया, दो ने सूचना नहीं दी।

श्री जेठमल बरवड़ : माननीय अध्यक्ष जी तीन दफा लिस्ट निकाली गई तो इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने तीन दफा में एक भी अनुसूचित जाति के लड़के को नहीं लिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक दफा इन्टरव्यू लिया गया।

श्री जेठमल बरवड़ : जो दो लिये हैं वे अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जन जाति के ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग अलग मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गंगाराम चौधरी।

बाड़मेर में डिग्री कॉलेज

४७४. **श्री गंगाराम चोधरी** (गुढा-मालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में अब तक कितने जिला केन्द्रों पर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला भर में अब तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है ?

(३) क्या सरकार द्वारा सन् १९६२-६३ में बाड़मेर नगर में डिग्री कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया था ?

(४) अब कब तक सरकार बाड़मेर नगर में डिग्री कॉलेज खोलने का आदेश ज़ारी करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) निम्नलिखित जिला केन्द्रों पर कॉलेज नहीं है :

१. बाड़मेर २. जालौर ३. जैसलमेर ४. नागौर ५. सवाई माधोपुर।

किन्तु नागौर में डीडवाना तथा सवाई-माधोपुर में करौली में सरकारी कॉलेज हैं।

(२) जी हां।

(३) तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के किसी भी वर्ष बाड़मेर में कॉलेज खोलने का निर्णय है।

(४) बाड़मेर जिले में बालोतरा, सिवाना तथा मोकलसर स्थानों से कॉलेज खोले जाने पर समुचित जन सहयोग के वायदे आये इसलिये उपयुक्त स्थान का चुनाव करने हेतु जिलाधीश बाड़मेर की राय मांगी गई है; उसके आने पर ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री गंगाराम चौधरी : क्या जिला केन्द्र पर पहले कॉलेज खोलने का निर्णय सरकार नहीं लेती ?

श्री निरंजनना थ आचार्य : सरकार की यह नीति है कि जिला केन्द्र में पहले खोला जाय, उसके बाद दूसरी जगह।

एक माननीय सदस्य : नागौर के अन्दर भी कॉलेज खोलेने की सरकार की मंशा हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य ; हां, सरकार विचारशील है कि नागौर में खोला जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आसन का कोई आदेश है ?

एक माननीय सदस्य : वहां की जनता ने बार बार सरकार से निवेदन किया है कि नागौर में कॉलेज खोला जाय।

श्री अध्यक्ष : इससे मैं भी सहमत हूं।

(अनेक माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री विरदाराम।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : (जालौर) जिला जालौर में इस साल में कोई कॉलेज खोलने की योजना है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस साल में तो नहीं कहा जा सकता पर योजना जरूर है वहां कॉलेज खोलने की।

(६.०० म० पू०)

श्री मथुरादास माथुर (विधी मन्त्री) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में हर जिले में एक कॉलेज खोलने की योजना है। अभी राजस्थान के चार जिलो में कॉलेज खुलने हैं। बाड़मेर, जालौर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर। जैसलमेर को अभी डेवलप होने दिया जाय। वहां हायर सैकेंड्री स्कूल में बिल्कुल लड़के नहीं आते हैं। तो कॉलेज खोलने में पहले इन चार जिलों को प्रायोरिटी दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नागौर छोड़ गये, क्या दुश्मनी है उसके साथ ?

श्री मथुरादास माथुर : डीडवाना में है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

नृत्य अध्यापक की योग्यतायें

४७५. **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हायर सेकेंडरी स्कूल के नृत्य अध्यापक के लिए क्या योग्यता निर्धारित है ?

(२) एम०एम० गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में नृत्य अध्यापक कौन हैं और उनकी योग्यता क्या है तथा उनकी नियुक्ति कब की गई ?

(३) क्या पी० एस० सी० द्वारा लिए गये किसी टैस्ट में वे उपस्थित हुए हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(१) उच्चतर माध्यमिक शालाओं में नृत्य विषय नहीं है। संगीत का विषय है जिसमें नृत्य भी शामिल हैं। संगीतकार की योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी सूचना संलग्न है।

(२) एम० एम० गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक शाला में श्री बालमोहन शाह नृत्य अध्यापक हैं और उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा नहीं है। उनकी नियुक्ति १.१.५८. में अस्थाई रूप में हुई थी।

(३) पी० एस० सी० द्वारा नृत्य विषय का कोई टैस्ट नहीं लिया गया है अतः उसमें शामिल होने या न होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : इनको संगीत अध्यापक जब रखा गया है और उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको टैम्परेरी अपोइंमेंट आपने किस आधार पर दे दिया है और क्यों दिया है ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : साले का साला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, डिप्लोमा तो नहीं है लेकिन मणीपुरी की एक ऑनररी डिग्री है। कत्थक नृत्य के बहुत उच्चकोटि के ज्ञाता हैं और विभिन्न संस्थाओं में ७ साल का अनुभव रखते हैं। संगीत नाटक अकेडमी में रिसर्च ऑफीसर का काम करीब १।। वर्ष तक किया ऐसी स्थिति में इनके अनुभवों के आधार पर इनको टेम्परेरी नियुक्त किया गया । सत्र आरम्भ होने के वक्त उनको नियुक्त किया जाता है और सत्र समाप्त होते वक्त उनकी नियुक्ति समाप्त होती है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : संगीत नाटक अकेडमी में रिसर्च का काम किया वह किस पीरियड में किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पीरियड मेरे पास नहीं है, लेकिन १।। वर्ष तक किया है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो १।। वर्ष तक रिसर्च का काम किया वह १९५८ के बाद किया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे तिथि याद नहीं है कि पहले या बाद में किया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : तो रिसर्च के आधार पर किया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आधार नहीं। मैंने उसके अनुभव का एक तथ्य रखा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपने फरमाया कि उनकी नियुक्ति का आधार यह था कि १।। वर्ष तक संगीत नाटक अकेडमी से रिसर्च का काम किया। जब संगीत नाटक अकेडमी १-१-५८ के बाद बनी तो उसके बाद उसका अनुभव कैसे आपने रिट्रास्पेक्टिवली लागू कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : १.१.५८ को अस्थाई रूप से इसकी नियुक्ति हुई और १।। साल तक इसने रिसर्च का काम किया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : १९५८ से पहले क्या अनुभव था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मणीपुरी नृत्य भारतीय नाट्यम् और कत्थक नृत्य का विभिन्न संस्थाओं में ७ साल का अनुभव, संगीत नाटक अकेडमी में रिसर्च ऑफीसर, ये सब इनके अनुभव हैं। इनके आधार पर टैम्परेरी अपाइन्टमेंट् दिया गया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : १.१.५८ को जिस समय आपने इसको अस्थाई रूप से नियुक्त किया, उसको १।। वर्ष का संगीत नाटक अकेडमी में रिसर्च करने का अनुभव प्राप्त था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले था या बाद में लेकिन १॥ साल का रिसर्च ऑफीसर का अनुभव प्राप्त था। मुझे तारीख या सन् मालूम नहीं है। श्री बृजसुन्दर यहां है नहीं।

श्री मानिकचंद सुराणा : १९५८ से टैम्परेरी अपोइन्टमेन्ट चल रहा है ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : एक सर्टीफिकेट है, एक डिग्री है कि वह सुखाड़िया जी के साले के साले हैं, और कुछ नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीर बाद) : Point of order ! व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्य मिसगाइड कर रहे हैं। पहले तारीख में गड़बड़ करते हैं और फिर खबर गलत देते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं बिल्कुल सही खबर देता हूं। आप गड़बड़ा रहे है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइंट ऑफ ऑर्डर। एक माननीय सदस्य ने किसी........

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मेरी वकालत की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : वकालात नहीं करता हूं। माननीय सदस्य ने सुखाड़िया जी का नाम लिया। जब इस प्रकार की किसी सदस्य के खिलाफ चार्जेज हैं कि उसके साले का साला है........

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : Let the matter be sent to Privilege committee for decision,

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि जो यहां चार्जेज लगाये गए हैं यदि सही नहीं हैं तो मन्त्री महोदय कह दें की सही नहीं हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : म्यूजिक टीचर्स की जितनी भी एडवरटाइजमेंट्स आपने १९५८ के बाद निकाली हैं उनमें क्या श्री बालमोहन शाह पी. एस. सी. के सामने एपीयर हुआ है ?

श्री सतीशचंद्र अवाल : नहीं हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पी. एस. सी. का टैस्ट नही होता इस विषय पर।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या अपने पी. एस. सी. के मिनिस्टर साहब के सामने एपीयर हुआ।

श्री मानिकचंद सुराणा : म्यूजिक टीचर्स के लिए जो ६ क्वालीफिकेशन्स प्रेसक्राइब किए गये है, जिनकी सूची आपने दी है, इन ६ में से वह किसी को भी नहीं होल्ड करता है। राजस्थान में इन ६ क्वालीफिकेशन्स वाले म्यूजिक जानने वाले, नृत्य जानने वाले बहुत हैं। प्रश्न यह है कि उनके राइट को मारकर और आप इनको टैम्परेरी एपोइन्टमेन्ट देते हैं जो हर साल रिन्यू होती हैं इसका कारण क्या ? और आप इस पोस्ट को एडवरटाइज क्यों नहीं करते है और रिक्वीजिट क्वालीफिकेशन्स वाला आदमी वहां अपोइन्ट करते हैं ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : प्रोमोशन लेना है मिनिस्टर का।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसका कारण रिसर्च है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सवाल उठाया कि १६५८ से पहले अकेडमी नहीं थी और बाद में हुई। बाद में हुई तब भी वह टैम्परेरी है। जिसकी सूचना मैंने माननीय सदस्यों को दे दी। जो दूसरा प्रश्न उठाया कि टैम्परेरी क्यों है, एडवरटाइजमेंट क्यों नहीं हुआ, उसके लिए निवेदन करूं कि संगीत अध्यापक जो इन क्वालीफिकेशन्स को फुलफिल करता है वह प्राप्त नहीं हुआ। ये क्वालीफिकेशन्स ऐसे हैं कि साधारणतया व्यक्ति मिलना मुश्किल है। दो दो साल का संगीत के विषय का अनुभव हो। संगीत विशारद हो लखनऊ का और साथ में इलाहबाद युनिवर्सिटी का डिप्लोमा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्वेश्चन नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब क्वालीफिकेशन्स इतने जरूरी हैं कि इन क्वालीफिकेशन्स के आधार पर व्यक्ति नहीं मिलता है और तब ये टैम्परेरी चल रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : संगीत नाटक अकेडमी ने इस प्रश्न को कई बार उठाया है कि जो परम्परागत संगीतकार हैं उनको अगर डिप्लोमा न भी हो तो भी मान्यता दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका तो जीजाजी भी हैं। सब परम्परागत नाचगाने वाले हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : १६५८ के बाद इस पोस्ट को कितनी बार एडवरटाइज़ किया है राज्य सरकार ने।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्वालीफिकेशन है कि यह काम इनका परम्परागत है। इससे बढ़कर क्या क्वालीफिकेशन्स चाहिए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके यहां परम्परागत क्वालीफिकेशन को भी मानते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : बजट में यह पोस्ट परमानेन्ट रखी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोर्ड के नये कार्यक्रम के अनुसार १६६५ की परीक्षा के बाद यह स्थिति पैदा नहीं होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको कहां एब्ज़ोर्ब करोगे ?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या ४७६ का जवाब दिला दिया जाय। यह १।। साल से चल रहा है। लेप्स होता हुआ आ रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगित प्रश्न हैं वे पहले प्रारम्भ किये जाय और जो पहले किये जाते हैं वे बाद में लिये जांय।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार किया जा सकता है।

(शेष प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

(६. ११ म. पू.)

अताराङ्कित प्रश्नोत्तर

राजकीय छात्रावास तिलक नगर, जयपुर पर वार्षिक व्यय

१६६. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास, तिलकनगर, जयपुर में कितने लड़के हैं ? उनकी कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस छात्रावास पर कुल सालाना कितना खर्चा होता है ? ६२—६३ के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) इस छात्रावास में २५ छात्र हैं। उनकी कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) इस छात्रावास पर सन् १९६२-६३ में ६६६७) रु० खर्च हुये।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

सामान की खरीद, शिक्षा विभाग, अलवर

१७० **श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६२-६३ में अलवर शिक्षा निरीक्षणालय में कितना कितना सामान कितने कितने रुपये का किस किस के द्वारा खरीदा गया ?

(२) यह सामान टेन्डरों द्वारा खरीदा गया है या सरकार की निश्चित रेट के आधार पर ?

(३) सन् ६२—६३ में कितना कितना सामान किस किस किस्म का किस किस स्कूल को दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखा जावे।

उत्तर

१. सन् १९६२-६३ में अलवर शिक्षा निरीक्षक द्वारा जो सामान खरीदा उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची में पृथक पृथक फर्मों के नाम मय रुपयों के जिनसे सामान खरीदा गया है दिया हुआ है।

२. यह सामान टेन्डरों द्वारा खरीदा गया है।

३, १९६२. ६३ में स्कूलों को दिये गये सामान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान हाई कोर्ट में दायर की गई अपीलों की संख्या

१७१. **श्री रामानन्द अग्रवाल**

(अलवर) : Will the Minister for Law be pleased to state:—

(1) What was the number of Appeals that were filed in the Rajasthan High Court by the tenants against decrees for ejectment under Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1951 during the years 1950-51 to 1961-62 year wise ? How many of them were accepted and how many rejected ?

(2) What was the number of Appeals that were filed in the Rajasthan High Court by the landlords against dismissals ot suits for ejectment under Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 during the yerrs 1950-51 to 1961-62 yearwise ? How many of them were accepted and how many rejected ?

उत्तर

(१ व २) राजस्थान प्रिमंसिज (कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) एक्ट १९५० के अधीन आसामियों द्वारा निष्कासन की डिग्रीयों के विरूद्ध तथा भू-स्वामियों द्वारा निष्कासन के खारिज किए जाने के विरूद्ध राजस्थान हाइकोर्ट में दायर किए गए अपीलों की वर्षवार संख्या सलग्न प्रपत्र के अनुसार है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

विद्युत विभाग के कर्मचारी तथा सर्विस रुल्स

१७२. श्री श्रवणलाल, (हिन्डोन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) विद्युत विभागमें १ वर्ष से अधिक के किस किस वर्ष के कितने कितने कर्मचारी वर्कचार्ज पर हैं ? इनको परमानेन्ट न किये जाने के क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि जनवरी, १९६१ में जयपुर में जिन व्यक्तियों को वेकेन्ट पोस्ट्स पर नियुक्त किया गया था उनके विरुद्ध अपील दायर की गई थी ? यदि हां, तो कितने मामलों में अपील हुई थी और उनमें अब तक कितने मामलों का निर्णय हो चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि केजुअल लेबर जो दो वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं उनको इतवार का अवकाश वेतन सहित नहीं मिलता ? यदि हां तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि विद्युत कर्मचारियों को सेंक्शन्ड यूनिफार्म नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कहां कहां कब कब दी गई ?

(५) विद्युत विभाग में कितने ट्रेन्ड कर्मचारी ऐसे है जिन्हें विभाग द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई गई परन्तु ट्रेनिंग के अनुसार उनसे अब कार्य नहीं लिया जा रहा है ? यह क्यों ?

(६) विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर फैक्टरी एक्ट लागू है अथवा आर० एस० आर० तथा० कब से ? क्या यह सही है कि इन लागू नियमों का पूरा पालन नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.33

(७) क्या कर्मचारियों को कभी बोनस मिला है ? यदि हां, तो कब और कितना २ ?

(८) क्या विद्युत सेवाओं के लिए कोई सर्विस रूल्स बनाये गये हैं यदि नहीं, तो क्यों यदि हां, तो कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों की संख्या तथा वे कब से हैं इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। जैसे जैसे रिक्त स्थान होते जाते हैं उन पर वर्कचार्ज श्रमिकों को फिक्स कर दिया जाता है।

(२) जी हां। १०६ श्रमिकों की अपीलें सुनी गई थीं और सबका निर्णय हो चुका है।

(३) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

(६) फैक्टरी एक्ट और आर० एस० आर० दोनों विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू है। प्रश्न नहीं उठता।

(७) बोर्ड से कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला है। प्रश्न नहीं उठता।

(८) जी हां।

मिनिस्टीरियल स्टाफ के सर्विस रूल्स बन गये हैं और टेक्नीकल स्टाफ के रूल्स विचाराधीन है। बोर्ड ने यह तय किया है कि जब तक अपने रूल्स नहीं बनाये जाते हैं राजस्थान सर्विस रूल्स आदि ही, जब तक कि बोर्ड विशेष संशोधन न करें, लागू होगें। मिनिस्टीरिअल स्टाफ रूल्स की १ प्रति लिपि साथ संलग्न है।

(संलग्न पुस्तिका विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तिजारा--टपूकड़ा सड़क पर पुल

१७३. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तिजारा से टपूकडा जाने वाली सड़क के रास्ते में काफी नदी नाले पड़ते हैं ? यदि हां तो उनकी कुल संख्या कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि इनका सर्वे भी हो चुका है किन्तु अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त नदी नालों पर पुल बनाने की अति आवश्यकता है और काफी दिनों से यातायात और आम जनता को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां। लगभग २१ नाले हैं।

(२) जी नहीं। केवल एक को छोड़कर।

(३) जी हां, आवश्यक है। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

मालाखेडा व अकबरपुर की जनता द्वारा बिजली की मांग

१७४. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर से मालाखेडा केवल ११ मील की दूरी पर है और अलवर से अकबरपुर ६ मील दूर है जिनका अलवर जिले में काफी महत्व है?

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर की बिजली उक्त दोनों कस्बों में आसानी से दी जा सकती है?

(३) क्या यह सही है कि वहां की जनता की यह मांग रही है कि वहां पर बिजली शीघ्र पहुंचाई जावे? यदि हां तो वहां बिजली कब तक पहुंच जावेगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) मालाखेडा व अकबरपुर की आबादी ५००० से कम है। दोनों ग्रामों की सर्वे कराई जा रही है।

(३) मालाखेड़ा की जनता की मांग रही है और सन १९६४-६५ में अलवर से राजगढ़ तक लाइन खींचने की योजना है। उसी लाइन से मालाखेडा को भी बिजली दी जा सकेगी। अकबरपुर को भी उसी लाइन से लाइन खींची जा सकेगी।

तहसील लालसोट के गांवों को बिजली

१७५. **श्री रामसहाय** (लालसोट): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि लालसोट कस्बे में विद्युत पूरे क्षेत्र में नहीं पहुची है? अब कब तक पूरे कस्बे में विद्युत दे दी जावेगी?

(२) क्या यह सच है कि तहसील लालसोट के डीडवाना ग्राम में विद्युत दी जा रही है? यदि हां तो कब तक?

(३) क्या सरकार डीडवाना और बीछा पंचायत के बीच में ८० कुओं को विद्युत ६ मील में देकर अमरावाद, रामगढ़, निजामपुरा बीछा पंचायत क्षेत्र के किसानों को राहत देगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां। अभी कोई योजना नहीं है।

(२) जी हां। यह आवश्यक सामान के उपलब्ध होने पर निर्भर है।

(३) जी हां। किन्तु अभी तक योजना तैयार कर कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगपतियों को ऋण, जिला चित्तौड़गढ़

१७६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया, (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) चित्तौड़गढ जिले में किन किन उद्योगपतियों का कितना कितना व किस किस उद्योग के लिये उद्योग विभाग से सन् १९६३ के दिसम्बर तक ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) जिन जिन व्यक्तियों को यह ऋण दिया गया है उन्होंने कहां कहां किस किस चीज के उत्पादन के लिये उद्योग लगाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) क्या ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने ऋण तो ले लिया है पर उद्योग नहीं लगाया ? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(१) चाही गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह सूची नम्बर (अ) के कालम नम्बर १ व ५ में वर्णित है ।

(३) हां, इसकी सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर जिले के उद्योगपतियों को ऋण

१७७. श्री उमरावसिंह ढाबरिया, (बनेडा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले में दिसम्बर, १९६३ तक किन किन उद्योगपतियों को कितना कितना ऋण किस किस उद्योग के लिये दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) जो ऋण दिया गया उसमें से कितनी रकम ओवरड्यू किन किन में हो गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) इस रकम को वसूल करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? अब तक रकम वसूल नहीं होने के क्या क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) इसकी सूची नम्बर (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) इसकी सूची नम्बर (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है । जिन पार्टियों के सामने तारांक दिया है उनको नोटिस दिया गया है । और बाकी पार्टियों के खिलाफ P.D, R. Act के तहत कार्रवाई की जा रही है ।

(३) इस रकम को वसूल करने के लिये विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही की जा रही है:-

१-सभी ऐसे ऋण ग्राहीताओं को नियमानुसार सूचना रकम ड्यू होने की एक माह पहले दी जाती है ।

२-उद्योग प्रसार अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ऋण ग्राहिताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उन्हें समय पर रकम जमा कराने को आग्रह करते हैं।

३--इतना होने पर भी रकम समय पर जमा नहीं होती है तो नियमानुसार (शो काज-नोटिस दिया जाकर पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जाती है। और यह वसूली जिले के रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रीमियर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कोटा को स्टेन-लैस-स्टील का कोटा

१७८. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) प्रीमियर इन्डस्ट्रियल कोरपोरेशन कोटा को कब २ कितना २ अब तक स्टेन-लैस-स्टील का कोटा दिया गया है ?

(२) उक्त कोटा का यूटिलाइजेशन किन किन पदार्थों को कितनी २ मात्रा में उत्पादन करने में किया गया ?

(३) उक्त यूटिलाइजेशन किस अधिकारी द्वारा चैक किया गया ?

(४) क्या यह सत्य है कि कोटा का यूटिलाइजेशन ठीक न होने के संबंध में जांच करवाई गई थी ? अगर हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

१. प्रीमियर इन्डस्ट्रियल कोरपोरेशन कोटा को निम्न कोटा स्टेन-लैस-स्टील का दिया गया:--

कोटा देने की तारीख	परिमाण जिसका ई० सी० दिया	मालकी प्राप्ति का परिमाण
१.	२.	३.
२६-८-६३	१६.८०१ टन	१६.०६३ टन
२३-१२-६३	११.६२६ टन	८.६८४ टन
३१-१-६४	एक टन (बारटर इम्पोर्ट)	एक टन
टोटल:-	३२.४२७ टन	२८.७४७ टन

इसके अलावा अक्टूबर १६६३-मार्च १६६४ में ६ टन की सीलिंग दी गई है।

२. उक्त कोटा निम्नलिखित होस्पिटल के बर्तन इत्यादि बनाने को दिया गया:--

१. बावल्स बड़े व छोटे २. स्टूरलाइजर्स ३. बैड़ पैन्स ४. एनीमा पोट्स ५. थूकदान ६. बैसिनस ७. सर्जीकल ट्रे।

जिसमें से २८.७४७ टन कोटे का उपरोक्त माल उक्त पार्टी ने तैयार किया व ३.६८० टन माल पार्टी के पास मौजूद है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

३. यूटिलाइजेशन समय समय पर मैनेजर, औद्योगिक सम्पदा कोटा द्वारा चैक किया गया।

४. कोटा के माल का समय समय पर चैकिंग मैनेजर औद्योगिक सम्पदा द्वारा किया जाता है और उनकी रिपोर्ट में मिस यूटिलाइजेशन की कोई शिकायत न होने से किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल जेल, जयपुर में एक कैदी द्वारा भूख हड़ताल करने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : जयपुर सेन्ट्रल जेल में कैदी नारायणसिंह वल्द हुकमसिंह रावत द्वारा भूख हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

माननीय उप-मंत्री, गृह विभाग इस पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, बन्दी कजौड़ उर्फ नारायण सिंह पुत्र हुकम सिंह जैर दफा ३०२ आई. पी. सी. २९.११.५८ से सेशन जज भीलवाड़ा द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। अब तक इसने एक वर्ष सात माह का रेमिशन शामिल करके छः वर्ष दस माह अठारह दिन की सजा भुगत ली है।

सजा होने पर वह बन्दी केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में सजा भुगत रहा था, जहां इसका चाल चलन जेल में संतोषजनक नहीं था। भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर की विजिट के दौरान इस बन्दी ने अपना स्थानान्तरण कलकत्ता करने के लिये निवेदन किया था जो स्वीकृत नहीं फरमाया गया, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परस्पर स्थानान्तरण नियमानुसार उन्हीं बन्दियों का किया जाता है जो उस स्टेट के निवासी नहीं होते हैं जहां उनकी सजा होती है और जिस स्टेट के वे निवासी होते हैं वहां स्थानान्तरण पर जाना चाहते हैं। यह बन्दी जिला अजमेर राजस्थान का निवासी है इसलिए इसका स्थानान्तरण कलकत्ता करना स्वीकृत नहीं किया गया। इस पर इसने जेल में बड़ा असभ्य व्यवहार किया और यह धमकी भी दी कि यदि उसका स्थानान्तरण कलकत्ता नहीं किया जावेगा तो वह आत्म हत्या कर लेगा। इसकी ऐसी हरकतों पर इसका स्थानान्तरण केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से केन्द्रीय कारागृह, जयपुर कर दिया गया और १२.२.६३ से यह केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में सजा काट रहा है।

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में भी इसका चालचलन ठीक नहीं रहा है, जैसे कभी बिल्कुल चुप रहना, कभी भिष्टा पानी पीने के बरतनों में डाल देना, कभी खाना नहीं खाना, कभी उटपटांग बातें करना, इत्यादि इत्यादि। इसलिये इसको इलाज व निरीक्षण के लिए जेल मैडिकल ओफिसर जयपुर की निगरानी मे १९.२.६४ से रखा गया। १२.३.६४ को इसने कहा कि मुझे केन्द्रीय कारागृह जोधपुर नहीं भेजा जा रहा है इसलिए मैं भूख हड़ताल पर हूं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह बन्दी कभी कभी उग्र रूप धारण कर लेता है जैसे अपना सिर दीवार से टकराने लगता है। इसलिये इसको पागलखाने जयपुर के डाक्टर को मानसिक परीक्षा कराने हेतु १४.३.६४ को दिखाया गया। डाक्टरी परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न है। परन्तु जब तक वह भूख हड़ताल पर है इसको पागलखाने भेजना उचित नहीं समझा गया है।

इसकी हालत भूख हड़ताल के कारण कमजोर है जिसके लिए उसको नाक द्वारा दिन भर में डेढ किलो दूध, आधा किलो मौसमी का रस और आवश्यकतानुसार उचित विटामिन्स दिये जा रहे हैं। इसकी हालत इतनी ज्यादा गम्भीर नहीं है जैसा कि स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है। इसके स्थानान्तरण का प्रश्न उसी समय विचारणीय हो सकता है जब मानसिक चिकित्सालय के डाक्टर इसे मानसिक रोग से पीड़ित न बतावें और भूख हड़ताल समाप्त हो जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो भी वक्तव्य दिया है उसकी जहां तक पुरानी घटनायें क्या थीं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सारी घटनाओं को लेकर यह बताने की कोशिश की कि वह पहले से ही पागल था। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव करने के बाद १४ तारीख को पागल समझकर उसको पागल खाने भेजने का प्रश्न कैसे खड़ा हुआ? जिस प्रकार की स्थिति आपने स्टेटमेन्ट में बताई उससे यह स्पष्ट होता है कि वह पहले ही पागल था। सदन में एडजोर्नमेन्ट मोशन देने के बाद यह कहना कि उसका दिमाग खराब है, सिर फोड़ लेता है, क्या इस प्रकार की घटनायें थीं तो पहले क्या आपने कभी इसके सम्बन्ध में जांच कराई है। जांच में यह पाया गया कि पहले उसने कभी सिर फोड़ा है? इसके सम्बन्ध में कोई मैडीकल रिपोर्ट होगी और कभी कोई इसके सम्बन्ध में इलाज करवाया होगा।

जहां तक भूख हड़ताल का प्रश्न है वह एक महीने भर से भूख हड़ताल पर है और वह इसलिए कि उसको बहुत ज्यादा सताया गया है और हैरान किया गया है। इतना ही नहीं अभी जैसा आपने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेल डिपार्टमेन्ट ने आज से दो दिन पहले एडजोर्नमेन्ट मोशन के बाद में, मेन्टल होस्पिटल के किसी डाक्टर को बुलाया और उसको बताया और उसको कहा कि इसको मेन्टल हास्पिटल में भेज दिया जाय। डाक्टर ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि इसका दिमाग खराब है, मैं इसकी पहले जांच करूंगा और इसके पहिले आप उसको मेन्टल होस्पिटल में भेज दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जेल के अन्दर भी डाक्टर रहता है। उसकी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट है या नहीं? भूखा रहा है तो कितने दिन से भूखा रहा है? यदि ऐसी रिपोर्ट है और भूखा रहा है तो जैसे कि जेल के नियम हैं कि एक दिन भी भूख हड़ताल पर कोई आदमी रह जाता है तो उसकी जानकारी ऊपर तक दी जाती है। उसके लिए जानकारी दी या नहीं? महीने भर तक कोई आदमी भूख हड़ताल पर रहे और उसकी जानकारी जेल विभाग की ओर से ऊपर तक न दी जाय और एडजोर्नमेन्ट मोशन के बाद उसको मोसम्मी का रस पिलवाया जाना है, दूध दिया जाता है।

Page No.39

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह सारी कार्यवाही एडजोर्नमेन्ट मोशन देने के बाद की गई है। आप खुद घूम फिर कर जांच करते हैं-आप स्वयं इसकी जांच कर लें कि महीने भर से भूख हड़ताल पर है तो वह किस परिस्थिति में रहा है।

दूसरी चीज, यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर की रिपोर्ट है या नहीं ? महीने भर से भूख हड़ताल पर रहा है या नहीं डाक्टर की इस संबंध में कोई रिपोर्ट है या नहीं ? जेल के अधिकारियों ने उसको किस प्रकार से सताया है, किस प्रकार से हैरान किया है यह पता चल सकता है। यदि वह पहले से ही पागल है तो डाक्टर की रिपोर्ट होनी चाहिए। आप इसकी जांच कीजिए। जांच करने पर यह कार्यवाही हो सकती है। अभी भी आप कहते हैं कि हालत खराब नहीं है। मैं कहता हूँ आपको कि आप देखिए कि उसके सारे शरीर पर सूजन है, उसकी हालत खराब है। यदि आप किसी कारण इसकी जांच नहीं करेंगे तो कल मौत का कारण हो सकता है। स्वयं आप जाकर जांच करें कि किस प्रकार इसमें उन लोगों का हाथ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा आपने कहा कि मैं तो जांच करूं तो जांच कर लूंगा। आप यह चाहते है कि मैं स्वयं जाऊं तो चला जाऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I hope he will return back.

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'Return back' is a wrong expression.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He will come back......

श्री निरंजननाथ आचार्य : That may be a correct expression.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने कहा कि आत्म-हत्या की धमकी अधिकारियों को जेल में दी थी तो जब धमकी दी थी तो केस रजिस्टर करके प्रोसीक्युशन क्यों नहीं करते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कह दिया कि आत्म हत्या कर लूंगा तो इससे क्या प्रोसीक्युशन शुरु हो गया। माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं, विचार कर सकते हैं। He is a responsible man. Let him say... जिससे प्रोसिक्युशन शुरु हो जाय।

(६.१८ म० पू०)

हरद्वारीगढ़ (गंगानगर) में सरकार द्वारा एक व्यक्ति की भूमि अवाप्त करने विषयक स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक दिन में दो स्थगन प्रस्ताव आ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आ तो एक भी नहीं रहा हैं। एक दिन में एक से अधिक रिजेक्ट किये जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक दिन में एक माननीय सदस्य दो एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव नहीं कर सकते, यह नियम है ?

श्री अध्यक्ष : आज्ञा दी ही नहीं गयी है।

श्री भैरोंसिंह : एक माननीय सदस्य ने पहले दे दिया है और दूसरा और लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति नहीं है। मूव एक से अधिक नहीं कर सकते हैं। जब खारिज करने का प्रश्न है तो एक से अधिक पर उल्लेख किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार द्वारा जमींदारी, बिश्वेदारी अवाप्ति अधिनियम, १६५६ के तहत बाबा भुवासीनाथ धर्मार्थ ट्रस्ट हरद्वारीगढ़ २ एम. ए. श्री गंगानगर की जमीन ले लेने से इस ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय, दवाखाना आदि बन्द हो जाने तथा इसके फलस्वरूप सन् १६६२ से शिक्षकों का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आज इस पर विचार किया जाये। अतः इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल एक वक्तव्य दें।

इन्सपेक्टर को पीटने विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था उस बारे में कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया गया है मुझे केवल सूचना दी गई है कि इन्सपेक्टर को पीटने के बारे में सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कई दफा कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सदन में उल्लेख करना उचित नहीं समझा जाता, उसके लिये माननीय सदस्यों को सूचना कर देते हैं कि उचित कार्यवाही हो गई है और जांच जारी है।

श्री विजयसिंह झाला : वह भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इस प्रकार वाद-विवाद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

मेडिकल कालेज, बीकानेर न खुलने विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल(अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव था। आज बीकानेर मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है कि १५ दिन पहले प्री मेडिकल एक्जामिनेशन होना जरूरी है अप्रेल में एक्जामिनेशन होनेवाले हैं। नये प्रिन्सीपल की नियुक्ति होने के बाद भी, स्टूडेन्ट्स की अन्डरटेकिंग के बावजूद भी अभी तक कॉलेज नहीं खुला है। इस लिये खतरा है कि कहीं स्टूडेन्ट्स का एक साल बरबाद न हो जाय। गवर्नमेन्ट को इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बारे में नोटिस लेकर या तो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रबन्ध कर लिया जाय, या रूल्स में रिलेक्सेशन करवा कर प्री-मेडिकल एक्जामिनेशन न देना पड़े या यह व्यवस्था हो जाय या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन की व्यवस्था की जाय। किसी भी तरह से अनिश्चित स्थिति में डालना उचित नहीं है। प्री-मेडिकल एग्जामिनेशन की १७ तारीख लास्ट डेट है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर चुका था कि माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहा गया है। आज वे यहां नहीं हैं। संभवतः कल इस सम्बन्धी मांग जब आयगी उस समय सारी स्थिति के बारे में वे सदन को जानकारी दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन कोई स्वीकार करें या न करें लेकिन मंत्री महोदय को इस बारे में शीघ्र वक्तव्य देना चाहिये ताकि स्टूडेन्टस एवं उनके अभिभावकों में जो चिन्ता व्याप्त है वह दूर हो सकें। इसके साथ साथ माननीय सदस्य को एवं जनता को भी चिन्ता है वह भी मिटनी चाहिये। कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा प्री-मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में इमिजियेटली इनफोरमेशन आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय यहां पर हैं नहीं। माननीय सदस्य ने जो कहा है वह उचित है। मैंने भी यह कहा है कि या तो वे इस बारे में वक्तव्य देंगे, नहीं तो जिस समय उनकी मांग आयेगी उस समय सारी स्थिति को सदन के सामने रखेंगे। मुझे जैसा कि बताया गया है कालेज के प्रिन्सिपल यहां आये हुए हैं जो युनिवर्सिटी से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। यह सारी स्थिति व्यवस्थित ढंग से सदन के सामने आनी चाहिये यह बहुत अहम मसला है।

दवा में कीड़ा होने की शिकायत विषयक प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रस्ताव विषयक

श्रीकृष्णकुमार गोयल (कोटा) : श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उस दवा के बारे में जो उन्होंने सदन में पेश की थी। उस दवा में क्या निकला इसकी जानकारी अभी तक सदन को नहीं दी गई। मैं कल ही एक दवावाले के यहां खड़ा था। लोग यह कह रहे थे कि उसमें कीड़ा है आदि जो बातें जनता में फैल रही है। उस दवा के बारे में रिपोर्ट आ जाती तो इस प्रकार की बातें जनता में न आतीं। यह जांच यदि होगई है तो उसकी सूचना सदन में मिलनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : जांच में कीड़ा नहीं था फफून्द था।

सदन में मांगों को लेने की विविध विषयक चर्चा

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, अनुदानों की मांगों के लिये जो समय नियत किया गया है जिसकी लिस्ट

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हमारे पास आयी है कि दो दो मांगों को एक दिन में लिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण हम जिन जिन क्षेत्रों से सदस्य आये हैं वहां के अभाव अभियोग ठीक प्रकार से नहीं रख सकते। राजस्थान का बजट का यह भाग बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था दें ताकि एक ही डिमान्ड एक दिन में ली जाय और सब को बोलने का समय मिले ताकि हम जो नये सदस्य आये हैं अपने अपने क्षेत्रों के अभाव अभियोगों को सदन के सामने रख सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि जिस क्रम से मांग ली जाती है वह क्रम जनलेखा समिति द्वारा तय किया जाता है। गत वर्ष भी इसी प्रकार का क्रम रहा है और कई मांगों को सामूहिक रूप से एक साथ लेने की व्यवस्था भी की है वही व्यवस्था इस साल भी की गई है। जो व्यवस्था निर्धारित है उसको बदलना उचित नहीं है। आज दो मांगें रखी हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे दोनों मांगें प्रस्तुत करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दोनों मांगें साइमलटेनियसली ले ली जाय।

(६.२७ म० पू०)

मांग संख्या ३४ व २३—वन एवं श्रम और नियोजन

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९७,४७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८– श्रम और नियोजन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५७,३०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

मांग संख्या ३४

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलों के संरक्षण के लिये प्रयत्न के अभाव पर बहस करने हेतु)।

कंवर श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद) :

२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००)रु. की कटौती की जाय (प्लानटेशनों रिजर्वेशन में अव्यवस्था से व्याप्त असंतोष पर बहस करने हेतु)।

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

मांग संख्या २३

३. मांग संख्या २३ मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के मजदूरों की शोचनीय स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३४

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा–सु०) :

४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (जिला बांसवाड़ा के काश्तकारों को वन विभाग द्वारा समय पर लकड़ी नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरवलाल काला बादल (अकलेरा-सु०) :

५. मांग संख्या ३४, मुख्या शीर्षक ७०–वन में १) रु. की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा कृषकों को लकड़ी आदि की आवश्यकता को पूरा न किये जाने पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १)रु० की कटौती की जाय (इस विभाग द्वारा प्लानटेशन की योजना पर धन के अपव्यय पर बहस करने हेतु)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) :

७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (रेवेन्यू सेटलमेंट एवं फोरेस्ट सेटलमेन्ट के न मिलाने के कारण काश्तकारों को कठिनाई पर बहस करने हेतु)।

८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (सेमलपुरा में असंतोषजनक प्लानटेशन के बारे में बहस करने हेतु)।

९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (वनों की राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट होने के बारे में बहस करने हेतु)।

१०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (वनों से कृषकों को आवश्यक सहायता न मिलने पर बहस करने हेतु)।

११. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (हरिजनों को वनों से आवश्यकतानुसार समय पर सहायता न मिलने पर बहस करने हेतु)।

१२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा वर्किंग प्लान के आधार पर ब्लाक सिस्टम की नई स्कीम लागू करने से कृषकों की असुविधा पर बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

१३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा नये बन्दोबस्त में सामान्य जनता के पुराने अधिकारों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

१४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु. की कटौती की जाय (रूंध सीरावास, तहसील अलवर में जो जमीन वन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विभाग के अधीन है, को वापिस रेवेन्यू विभाग को देने के संबंध में बहस करने हेतु) ।

१५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा त्रिदलीय सम्मेलन के फैसलों को लागू करने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

१६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मजदूरों का मंहगाई भत्ता मंहगाई सूचक अंक से शत प्रतिशत जोड़ने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

१७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में Living Wage के सिद्धान्त के आधार पर मजदूरों का न्यूनतम वेतन नियत करने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

१८. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा दूसरे श्रमिक संगठनों के मुकाबले में इन्टक के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

१६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकारी क्षेत्र के मजदूरों के प्रति सरकार की मजदूर विरोधी व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

२०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (अलवर जिले में बुनकर मजदूरों की दयनीय आर्थिक स्थिति के प्रति सरकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

२१. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (जे० के० सिंथेटिक्स लिमिटेड, कोटा में मजदूरों की सर्विस कन्डीशन्स को सुधारने के बारे में सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

२२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर माचिस फैक्टरी के मजदूरों का पुराना बकाया वेतन सरकार द्वारा न दिलाये जाने के सम्बन्ध पर बहस करने हेतु) ।

२३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (निजी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मिलने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

श्री चंद्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा)

२४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ७० वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग में ठेके आदि में अनियमितता की सुगम व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

Page No.45

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा सु०)

२५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को कृषि औजार की लकड़ी व जलाऊ लकड़ी और मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी समय पर नहीं मिलने से होने वाली हानि को रोकने पर बहस करने हेतु) ।

२६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (आदिवासियों को जंगल से लकड़ी लाने व अपनी जीविका के लिये बेचने से रोकने पर आदिवासियों को होने वाले नुकसान को रोकने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जुझारसिंह (चेचट)

27. Demand No XXXIV, Major Head 70-Forest be reduced by Re. one to discuss the harassment of cultivators by Forest Staff in giving them forest produce).

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)

२८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (प्लानटेशन के नाम पर धन के अपव्यय पर बहस करने हेतु) ।

२९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलों के ठेके देने में फैले भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

३०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण करने के बाद उसकी बरबादी पर बहस करने हेतु) ।

३१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान के जंगलों की देख रेख न करने से बरबादी पर बहस करने हेतु) ।

३१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा जंगलों की बरबादी पर बहस करने हेतु) ।

३३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रमिकों के लिये चलती फिरती ट्रिब्यूनल कायम करने पर बहस करने हेतु) ।

३४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय(सीमेन्ट उद्योग, लाखेरी व सवाई माधोपुर में वेतन बोर्ड की सिफारिश लागू न करने पर बहस करने हेतु) ।

३५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूरों के शोषण पर बहस करने हेतु) ।

३६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (लाखेरी उद्योग में मजदूरों के लिये ग्रेनशाप की सहूलियत समाप्त करने पर बहस करने हेतु) ।

३७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जाय (लाखेरी श्रम कल्याण केन्द्र का समाज कल्याण की प्रारम्भिक प्रवृत्तियों पर बहस करने हेतु) ।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा):

38. Demand No. XXXIV, Major Head 70-Forest be reduced by rupee one (to discuss the sale of grass at Pindwara by the Forest Department at a very low price without proper notification of the auction last year when there was scarcity of fodder).

39. Demand No. XXXIV, Major Head 70-Forest be reduced by rupee one (to discuss the problem of the agriculturists for procuring wood for 'Araths' (well) agricultural impliments, bullock carts, Dandas and Bamboos for houses and fuel in Serohi District).

श्री केदारनाथ (गंगानगर)

40. Demand No. XXIII, Major Head 38--Labour and Employment be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to enforce the Industrial Truce Resolution and code of discipline on the employers (both in the Private and Public sectors).

41. Demand No. XXIII, Major Head 38- Labour & Employment be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government to increase the minimum wages of the labour (both in the Public and Private Sectors).

श्री चौसरसिंह (बेगूं)

४२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (रेन्ज बेगूं, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ में सैकड़ों काश्तकारों को रज़का व गन्ना के खेतों की रक्षा के लिये धवालिये नहीं मिलने से असन्तोष है, पर बहस करने हेतु) ।

४३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (चित्तौड़ जिले में वन सम्बन्धी किसानों की कठिनाइयों की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

४४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (बेगूं तहसील में आदिवासियों व हरिजनों के साथ कर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचारों पर बहस करने हेतु) ।

४५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (बेगूं तहसील में कूप शीकुवात में गलत जगह कायम करने व रास्ते नहीं बनाने से ज्यों के त्यों खड़े हैं जनता परेशान है इस पर बहस करने हेतु) ।

४६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (मध्य-प्रदेश से मिली हुई सीमा पर वन विभाग की सम्पत्ति की निगरानी माकूल नहीं होने से नुकसान हो रहा है, पर बहस करने हेतु) ।

(श्री चोसरसिंह)

४७. मांग संख्य ३४, मुख्या शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील बेगूं में घास लकड़ी हेल धवालियों के परमिट नियमपूर्वक जारी नहीं किये जाते इस पर बहस करने हेतु) ।

४८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को जंगलात की असीयाय के परमिट गांव गांव देने पर बहस करने हेतु) ।

४९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलात विभाग में भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

५०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७० वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग में कर्मचारियों के तबादलों में पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)

५१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (गिरवा क्षेत्र में किसानों को लकड़ी काटने और लाने की जो छूट है लेकिन फिर भी उनको रोका जाता है उस पर बहस करने हेतु) ।

५२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (लेबर के साथ श्रम विभाग के दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)

५३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (सादत नगर, जिला टोंक में ५०००० , के बबूल के पेड़ काटने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

५४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७० वन में १) रु० की कटौती की जाय (बूंदी जिले कोटा में चराई के ठेके तथा लकड़ी के ठेके देने की अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

५५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (वर्क चार्ज स्टाफ की आर्थिक स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (मांडल)

५६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (अन्य मद में B-२ (I) से (V) तक में जो राशि खर्च के लिये मांगी गई है उसमें कमी किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

५७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती को जाय (इस विभाग में काफी फिजूल खर्ची है अतः उसे बन्द किये जाने पर बहस करने हेतु ।

५८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७० वन में १) रु० की कटौती की जाय (इस विभाग में होने वाली अनियमितताओं से राजकीय कोष में काफी नुकसान होता है पर बहस करने हेतु) ।

५९. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

की जाय (देश में महंगाई को देखते हुए सभी उद्योगों में न्यूनतम वेतन लागू किये जाने पर बहस करने हेतु)।

६०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (सरकार की ढिलाई से राजस्थान राज्य में श्रम कानून पूरी तौर से लागू नहीं हुए हैं उन्हें किये जाने पर बहस करने हेतु)।

६१. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (सरकार ने सन् ६२-६३ में इस विभाग के खर्च में भारी कटौती करके श्रम हितकारी कार्य प्रायः बन्द कर दिये हैं उन्हें पुनः चालू किये जाने पर बहस करने हेतु)।

६२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (कपास की फैक्ट्रियों, पत्थर की क्वारीज पर, सोप स्टोन की खानों, चूने की खानों पर न्यूनतम वेतन अभी तक लागू करने के लिये कोई कमेटी नहीं बनाने पर बहस करने हेतु)।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) :

६३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (जयपुर रेंज के वनों की बर्बादी पर बहस हेतु)।

६४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (शहर जयपुर में काश्तकार लोग अपनी खुद की लकड़ी लाने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनको परेशान किये जाने पर बहस करने हेतु)।

६५. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगल के प्लान-टेशन में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

६६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलात की सीमा गांव से मिला देने से मवेशियों के आने जाने में दिक्कत, पर बहस करने हेतु)।

६७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (भेड़, बकरी, गाय भैंस की चराई की वसूली में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

६८. **श्री माधोलाल खानपुरिया** (अटरू) : मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन सम्पत्ति की रक्षा न करने से वन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

६९. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु०) : मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (आदिवासियों को रियायत पर ईमारती कबाड़ा (लकड़ी) नहीं देने पर बहस करने हेतु)।

Page No.49

श्री विजयसिंह कटास ७०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (पी. डब्ल्यू. डी. में कार्य करने वाले मजदूरों के साथ किये गये अन्याय पर बहस करने हेतु) ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : ७१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलात चौकियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ७२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १००) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु) ।

७३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा Industrial truce resolution एवं Code of discipline लागू करवाने में पूर्ण असफलता पर बहस करने हेतु) ।

७४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर की जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों में Factory Act की अवहेलना से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

७५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान केनाल, राणा प्रतापसागर बान्ध पर कार्य करने वाले श्रमिकों पर Minimum wages Act तक को लागू न करने पर बहस करने हेतु) ।

७६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय(शार्दूल टेक्सटाइल मिल,गंगानगर के मैनेजमेण्ट द्वारा लगातार किये जाने वाले मजदूरों को Victimisation एवम् Labour Laws की पूर्ण अवेहलना करने से पैदा हुई स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : ७७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा वनों को विकसित न कर सकने की असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

७८. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम विभाग द्वारा ट्रेड यूनियनों के प्रति विद्वेषपूर्ण व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

७९. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम में व्याप्त कमियों पर बहस करने हेतु) ।

८०. मांग संख्या, २३ मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन कानून को लागू करने की असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ८१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

१) रु० की कटौती की जाय (जंगलों के ठेके की प्रथा समाप्त करवाने पर बहस करने हेतु) ।

८२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८--श्रम और नियोजन में १)रु० की कटौती की जाय (श्रम विभाग द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन पर बहस करने हेतु) ।

83. Shri Raghunath Vishnoi (सांचोर) : Demand No. XXXIV, Major Head 70—Forest be reduced by rupee one (to discuss economic plantation in desert and semi-desert areas in Tahsil Sanchore).

८४. **श्री हरदत्त सिंह** (नौहर) : मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में सरकार की वन लगाने सम्बन्धी गलत प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

८५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की वन लगाने की असंतोषजनक प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

८६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा व चितौड़गढ़ नर्सरी पर बनाये गये बीज गोदाम पर लगी रकम में अनियमितता पर बहस करने हेतु) ।

८७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १००) रु० की कटौती की जाय (चितौड़ जिले में बस्सी जंगल का जितना हिस्सा ठेके पर दिया उससे ज्यादा काटा गया उस पर बहस करने हेतु) ।

८८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १)रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा की गई नियुक्तियों में हुए पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

८९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (कोटा तथा झालावाड़ के जंगलों में मवेशियों की चराई वसूल की जाने पर बहस करने हेतु)।

९०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय(बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा के रायसिंहपुरा गांव के पास लगाये गये जंगल से उत्पन्न कठिनाई पर बहस करने हेतु) ।

९१. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १)रु०की कटौती की जाय (भीलवाड़ा टेक्सटाइल मिल के चौकीदारों के साथ समझौते माफिक अमल न करने पर विचार करने हेतु) ।

९२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-- श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की मजदूर संस्थाओं को मान्यता देने की प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

९३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८--श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम विभाग के कर्मचारियों की बकाया पर बहस करने हेतु) ।

६४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों में फैले हुए असन्तोष पर बहस करने हेतु) ।

६५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान की शुगर मिल्स के मजदूरों की समस्याओं की ओर श्रम विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

६६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (Soil Conservation) द्वारा भूमि का कटाव नहीं रोका गया, इस पर बहस करने हेतु) ।

६७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (आदिवासियों के साथ वन विभाग के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

६८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (कृषक को आवश्यकतानुसार लकड़ी प्राप्त नहीं होने पर बहस करने हेतु) ।

६९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय(चराई की मनमानी वसूली पर बहस करने हेतु) ।

१००. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा स्ट्रा बोर्ड को अधिक व सस्ता दिया गया, घास पर बहस करने हेतु) ।

१०१. मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक ७०-वन में १)रु० की कटौती की जाय (विभाग में स्टाफ की कमी पर बहस करने हेतु) ।

१०२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रम अधिकारी व इन्सपेक्टर्स द्वारा उद्योगपतियों के इशारे पर मजदूरों की उपेक्षा करने पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

१०३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा ग्रामीण जनता को लकड़ी आदि देने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु) ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

104. Demand No.XXXIV, Major Head 70-Forest be reduced by Re-one (to discuss the corruption prevalent in the Forest Department).

श्री जयलाल (डग) १०५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा किसानों को जलाऊ लकड़ी व झाड़ कांटे समय पर नहीं मिलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां–सु०) १०६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १)रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा किसानों व मजदूरों को लकड़ी घास व झाड़ देने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

१०७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १) रु० की कटौती की जाय (बारां में नाकों पर ट्रान्जिट पास की व्यवस्था ठीक न होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री मोहनराज (बाली)

१०८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०- वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा पाली जिले के ग्रामों में मुआफिक इकरार ग्रामीणों को प्लानटेशन की भूमि से घास न ले जाने, देने एवं हकदारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न करने पर बहस करने हेतु) ।

१०९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०- वन में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले के पशु-पालकों द्वारा चराई पेटे जमा कराई गई करीब बीस हजार रुपये की रकम विभाग द्वारा न लौटाई जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा)

११०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०- वन में १००) रु० की कटौती की जाय (डिमार्केशन से जिला चित्तौड़गढ़ के कृषकों को होने वाली असुविधा पर बहस करने हेतु) ।

१११. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८- श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा मजदूरों के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैये पर बहस करने हेतु) ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय मु०)

११२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०- वन में १) रु० की कटौती की जाय (सिकराय तहसील में जो जमीन काबिले जंगलात बारानी पड़त है जो नला बेहड़ है उसमें वन (पौध लगाने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु) ।

श्री हरफूल (खंडार)

११३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०- वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग से काश्तकारों को झाड़ वगैरा दिलाने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

११४. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय(चूरू जिले के विभिन्न स्थानों में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने पर बहस करने हेतु) ।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा मु०) :

११५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०- वन में १) रु० की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में वन विभाग से काबिल काश्त जमीन जंगलात की बाउन्ड्री से निकलवा कर रेवेन्यू विभाग को दिलाई जाकर काश्तकारों को काश्त करने को दिलाई जाने पर बहस करने हेतु) ।

११६. मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक ७०- वन में एक रुपये की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा तथा खैरवाड़ा तहसील के जंगलों से काश्त काबिल जमीनें निकलवा कर रेवेन्यू विभाग को दिलाने पर बहस करने हेतु) ।

११७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में एक रु० की कटौती की जाय

(जिला उदयपुर ग्राम संचोरी जयसमन्द जंगली जानवरों की पूर्ण रूप से रक्षा नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

११८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय उदयपुर जिले में वन मजदूर सहकारी समितियों को वनों का ठेका नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ़) :

११९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (माण्डल गढ़ तथा जहाजपुर रेन्ज डिवीजन चित्तौड़ गढ़ के किसानों को जंगल के नियमानुसार सुविधा न मिलने पर बहस करने हेतु)।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : १२०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलात विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने पर जो जनता में असन्तोष है उस पर बहस करने हेतु)।

१२१. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (मजदूरों के लिये कल्याण कारी योजनाओं की कमी पर बहस हेतु)।

१२२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की कमी पर बहस करने हेतु)।

श्री उदयलाल बर्दिया (लसाड़िया) : १२३. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलात विभाग में पक्षपात बरते जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री केसरीसिंह (पाली) १२४. Demand No. XXXIV, Major Head 70 Forest be reduced by Re. 1/- (to discuss the in-efficient implementation of the scheme of growing village fores·s).

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) १२५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–में १) रु० की कटौती की जाय (अलग २ वनों में चराई की सुविधा नहीं होने तथा अलग २ व्यवस्था न होने पर बहस करने हेतु)

१२६. मांग संख्या २३ मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (श्रमिक वर्ग के प्रति श्रम विभाग की उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : १२७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १००) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा दिये गये ठेकों में बरती गई अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

१२८. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य में मजदूरों के बढ़ रहे असंतोष पर बहस करने हेतु)।

श्री लक्ष्मी चन्द (पीपलदा) :

१२९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलों की बरबादी को रोकने पर बहस करने हेतु)।

१३०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु लकड़ी उपलब्ध नहीं करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :
१३१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन श्रमिक समितियों की व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

१३२. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जंगलात विभाग द्वारा निर्धारित चराई दरों के अनौचित्य पर बहस करने हेतु) ।

१३३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८--श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार और मजदूरों के बीच हुए समझौतों का पालन कराने की असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :
१३४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन में १) रु. की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा पंचायत क्षेत्र के जंगलों की नीलामी पर बहस करने हेतु) ।

१३५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में १) रु० की कटौती की जाय (एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज द्वारा योग्य व्यक्तियों को काम देने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) :
१३६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (रेन्ज जमवा रामगढ़ में चराई की रेट ज्यादा वसूल किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) :

१३७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर रेंज में वन संपत्ति की अवैज्ञानिक ढंग से कटाई पर बहस करने हेतु) ।

१३८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (टोंक नगर में पशुओं के चरने के स्थानों को वन विभाग द्वारा परिसीमित कर देने से पशुओं के भूखे रहने की स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

१३९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील अलीगढ़ जिला टोंक के आमली रेंज (क्षेत्रों) में ऊंटों की चराई के लिये अधिक मात्रा में वन विभाग द्वारा वसूली पर बहस करने हेतु) ।

१४०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (सीमेंट फैक्टरी सवाई माधोपुर, जयपुर उद्योग लिमिटेड के श्रमिक वर्ग की असहाय स्थिति पर विशेष कर उन्हें बोनस आदि न दिये जाने की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

१४१. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८--श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

की जाय (टौंक के बीड़ी मजदूरों को समुचित पारिश्रमिक एवं लाभ हिस्सा न दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

१४२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (फलौदी की सीमेंट पत्थर की खानों पर काम करने वाले श्रमिकों एवं फैक्ट्री कर्मचारियों एवं व्यवस्थापकों के अप्रिय सम्बन्धों पर श्रम विभाग की उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

१४३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (पी. डब्ल्यू. डी. मजदूर यूनियन टौंक के कार्यकर्ताओं को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखने एवं उन्हें विक्टिमाइज किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

श्री वैद्य गोविंदसहाय (गंगापुर) :

१४४. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु. की कटौती की जाय (वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से जनता के साथ दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

१४५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (जंगलात के सरकारी कर्मचारियों की ओर से जंगलात की सीमा गांव से मिला देने से मवेशियों को न आने देने से परेशानी पर बहस करने हेतु) ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

१४६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु. की कटौती की जाय (राज्य में पशुओं को चराने के लिये वन विभाग द्वारा पर्याप्त भूमि नहीं रखे जाने पर बहस करने हेतु) ।

१४७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु. की कटौती की जाय (वन विभाग की आय कम होती जा रही है, उस पर विचार करने हेतु) ।

१४८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १००) रु. की कटौती की जाय (उदयपुर डिविजन में वन विभाग में भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

१४९. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १००) रु. की कटौती की जाय (भीलवाड़ा तथा उदयपुर के मजदूर संघ के साथ सरकारी व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

श्री अमरसिंह (दूदू) :

१५०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (तहसील दूदू ग्राम पालू, बिचूण व महसवास के पहाड़ों में वनों की दुर्दशा पर विचार करने हेतु) ।

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा-सु०) :

१५१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय

(कोटड़ा व गोगुन्दा में आदिवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं में पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

श्री सांवलिया राम (रूपवास-सु.) :

१५२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा न्याय पूर्ण कार्य न करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) :

१५३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (बढ़ती हुई बेकारी की समस्या को रोकने में सरकार असमर्थ रही है इस पर बहस करने हेतु) ।

१५४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (श्रमिक वर्ग के निवास आदि की उपयुक्त व्यवस्था करने में राज्य सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

१५५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (श्रम अधिकारी व इन्सपेक्टर्स द्वारा उद्योगपतियों के इशारे पर मजदूरों की उपेक्षा पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) :

१५६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (शिक्षित वर्ग में व्यापक बेरोजगारी पर बहस करने हेतु) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

१५७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (अर्द्ध शिक्षित युवकों को काम नहीं दिलाने से समाज के लिये अव्यवस्था उत्पन्न हुई, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) :

१५८. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के शिक्षित व अन्य उम्मीदवारों को रिजर्व कोटा के अनुसार राज्य सेवाओं में एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा स्थान नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु) ।

१५९. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति में व्याप्त बेरोजगारी व बेकारी को सरकार द्वारा दूर करने के लिये योजना-बद्ध कदम नहीं उठाये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री राम किशन (वैर) :

१६०. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (वन विकास की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

१६१. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (वन में निवास करने वाली आबादी को विभाग के रवैये से होने वाले कष्ट पर बहस करने हेतु) ।

१६२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (सरकार के श्रमिकों के प्रति दोषपूर्ण व्यवहार पर बहस करने हेतु) ।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) :

१६३. मांग संख्या ३४. मुख्य शीर्षक ७०-वन में १) रु. की कटौती की जाय (वन रक्षण में विभागीय अधिकारियों द्वारा होने वाली अनियमितताओं में सुधार लाने. पर बहस करने हेतु) ।

१६४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में १) रु. की कटौती की जाय (राजस्थान में मजदूरों के मजदूरी की दरों आदमी औरत के बीच में काफी अन्तर है एक दर करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री बालूराम चौधरी (फतहपुर) : १६५. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) की कटौती की जाय (जंगलात में चराई के सम्बन्ध में अनियमितता पर बहस करने हेतु) ।

१६६. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री दलपत सिंह (आबू) : १६७. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) रु० की कटौती की जाय (काश्तकारों को जंगल में से ३० जून तक लकड़ी काटने की सहूलियत देने की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

१६८. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन में से खेतीवाड़ी के औजारों के लिए लकड़ी काटने की चिट्ठी जारी करने की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

१६९. मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन सीमाओं के निर्धारण की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

१७०. **श्री भानुप्रसाद कोडिया** (चौमू) : मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०--वन में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील चाकसू में शिवडूंगरी बीड व नेवटा मुदाना के बीडों को खेती के लिये परिवर्तन पर बहस करने हेतु) ।

१७१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को कृषि औजार की लकड़ी व जलाऊ लकड़ी और मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी

(श्री हरलाल मीणा)

समय पर नहीं मिलने से होने वाली हानि को रोकने पर बहस करने हेतु) ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दोनों मांगो को साथ लिया जा रहा है, विभाग तो अलग अलग हैं, दोनों का क्रम किस प्रकार साथ साथ चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : कल भी इसी प्रकार की व्यवस्था की बात आयी थी, मैंने उस समय भी यह कहा था कि माननीय सदस्य हर पार्टी के यह विचार कर लें कि उनकी पार्टी से कौन बोलेगा । अगर यह तय हो जाता है तो इसमें सुविधा हो जाती है, नहीं तो जिस तरह से क्रम में नाम है उसी प्रकार पुकारे जायंगे और वे ही बोल सकेंगे । जिस माननीय सदस्य का नाम आये वे दोनों मांगों पर बोल लें ।

श्री मुरलीधर व्यास : दोनों के नम्बर तो एक से नहीं है । वन के कटौती के प्रस्तावों में उसका नम्बर कहीं है और श्रम के कटौती प्रस्तावों में उसका नम्बर कहीं है, इस तरह से दोनों कैसे चलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जिनका नाम पुकारा जायगा वे दोनों ही विभागों के संबन्ध में कटौती प्रस्तावों पर बोल सकेंगे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की कल व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था आज भी रहती है तो मुझे निवेदन करना है, कल शिक्षा के संबन्ध में प्राइमरी एज्युकेशन पर मेरे १५ कट मोशन्स थे, लेकिन मुझे बोलने का समय नहीं मिला । दूसरी तरफ जनसंघ दल के नेता ने यह आरोप लगाया था कि प्राइमरी एज्युकेशन पंचायतों के सुपुर्द करने के बाद उसके स्टेन्डर्ड में गिरावट आयी है । हम उसका खंडन करना चाहते थे उसका मौका हमे नहीं मिला । इतने अधिक कट मोशन देने पर भी मोका नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : जिस तरीके से नाम पुकारे जांय उसी तरीके से दोनों मांगों पर माननीय सदस्य बोल लें । सारे मसले जो सदन में आते हैं सभी अहम होते हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो फिर मोशन देने से फायदा क्या ?

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था चली आ रही है वह उपयुक्त है और इसी प्रकार से चलनी चाहिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक ७० के संबन्ध में मैं अपने कटौती प्रस्तावों को सदन के समक्ष रखता हूं ।

सरकार ने जो घास बैंक स्थापित करने की व्यवस्था की है उसका मैं स्वागत करता हूँ । इस संबन्ध में जो प्रावधान रखा है इस साल पांच लाख मन घास कटबाई जायगी । केवल इसी साल नहीं मेरा निवेदन है कि हर साल पांच लाख मन घास कटवाने की व्यवस्था होना परम आवश्यक है ।

सरकार ने वन संरक्षण के संबन्ध में जो मेमोरेन्डम वितरित किया है उसमें प्रावधान रखा है सालाना तीन लाख मन घास काटने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की व्यवस्था की जाय मैं समझता हूँ पांच लाख मन घास काटना आवश्यक है इस संबन्ध में सरकार को पांच लाख से कम घास काटने की व्यवस्था के बाबत विचार नहीं करना चाहिये।

मेरा यह भी निवेदन है कि घास एक अमुक समय पर ही कटाना चाहिये। १५ नवम्बर से १५ फरवरी के बीच में आप घास कटवाने की व्यवस्था करें। इस समय में घास पर ओस और शबनम गिरती है और घास में जीवनी शक्ति विशेष रहती हैं और अगर आप उस समय घास कटवाएंगे तो वह पुष्टिकारक और गुणवर्द्धक होगा। मवेशी उसको खावेगी तो उसको भूख भी लगेगी और अधिक भी खावेगी और वह घास जो जाड़े में कटवाएंगे उसको आप सुरक्षित रखेंगे तो वह दस बारह साल तक अच्छी हालत में रहेगी। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।

मेरा यह भी निवेदन हैं अध्यक्ष महोदय कि घास की गंजियां को व्यवस्था हो, अवश्य हो, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। किन्तु आप घास घर बनावें और ये घासघर लम्बे कैरोगेटेड टिन शैडों से ढ़के हुए बनावें। उनको अच्छी जगहों पर बनावें, ऊंची जगहों पर बनावें, पथरीली जगहों पर बनावें जहां दीमक नहीं खा सके उनको। मुझे यह सब बारीक छोटी छोटी बातें भी कहने की आवश्यकता यों अनुभव हुई कि सरकार अदूरदर्शिता पूर्वक कई बातें करके फिजूलखर्च कर जाती है और फिर पछताती है। आपको घास इकट्ठा करने के सम्बन्ध में प्राथमिकता देनी चाहिये। इसे महत्व देना चाहिये और मैं समझता हूं आप लाखों रुपयों की व्यवस्था कर सकते हैं और दुष्कालों को फाइट आउट करने की सुचारू रूप से इस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं यदि आप घास एकत्रित करने के सम्बन्ध में विचार करें तो।

मेरा यह भी अनुभव है कि फुटकर की बात दूसरी है, पर थोकबन्द घास की नीलामी करावें तो आप यह व्यवस्था करें कि कैबिनट के फैसले के बिना थोकबन्द घास नीलाम नहीं होनी चाहिये।

कल भी सदन के समक्ष एक प्रश्न आया था और मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि घास को आप धेले के दाम से नीलाम करते हैं, उसमें अनियमितताएं होती हैं और छोटे बड़े वन विभाग के कर्मचारियों में आपाधापी की, आपाधापी आपस में समझकर करते हैं और इस में जन साधारण की हानि होती है। आपने अपने मेमोरेण्डम में यह भी विचार व्यक्त किया है कि मारवाड़ से लाकर मेवाड़ के उदयपुर डिविजन के वनों में आप चराई को व्यवस्था करेंगे।

आपके वनों के अन्दर तो घास ही नहीं रही। बिना घास के जंगलों में आप मारवाड़ से मवेशियों को लाकर वहां पर क्या करेंगे? वहां पर आते आते तो आधे मवेशी मर जावेंगे और वहां आने के पश्चात् मैं समझता हूं बाकी के मवेशियों में आधे और मर जावेंगे। तो आपको चाहिये कि आप १५ नवम्बर और १५ फरवरी के बीच में घास कटवाएं इसके बाद में ढिलाई से घास कटवाएंगे तो घास के पत्ते गिर जावेंगे। घास को मवेशी चर जावेंगे और घास अधिकांश

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रूप से मवेशियों के पैरों में रौंद कर भी नष्ट हो जावेगी। इसलिये १५ फरवरी तक घास कटवाएं और एक महीने तक उन वनों को बन्द रखें। उसके पश्चात् योजनाबद्ध रूप से चराने के लिये मवेशियों को वहां पर आने दें। उन जंगलों को खोल कर बाकी का चारा मवेशियों के चराने की व्यवस्था करें।

मैं यह भी सरकार से निवेदन करूंगा कि आसपास के पड़ोसी आदिवासी बस्ती के लिये अगर घास कटवाने के लिये आप खुद व्यवस्था करें तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। उन भोले भाले लोगों के मवेशियों को खाने के लिये भी साल भर का घास का स्टाक उनके पास उपलब्ध होगा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा वह उन वनों के अन्दर एक तरह से अपना इन्टरेस्ट दिलचस्पी मानकर उन वनों को भी नष्ट नहीं होने देंगे तो आप ऐसी कोई पार्टनरशिप की जैसी व्यवस्था करें और अगर आप यह करते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस हद तक आप साधन जुटा सकते हैं कि साल भर तक अगर दुष्काल भी पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में गिरते हैं तो आप सफलतापूर्वक उससे लड़ सकते हैं और हजारों की तादाद में आप मवेशियों को दुष्काल के प्रभाव से बचा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कूप्स के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। बहुत से ग्रास कूप्स है खास कर चित्तौड़ जिले के जंगलों में जहां पर विस्तार करने का कोई रास्ता नहीं है। ऊंट गधे अन्दर जाकर लकड़ी वगैरह लाते हों वहां उनके लिये ऐसी भी व्यवस्था नहीं है।

आपने विधान किया है कि सड़कें बनें वनों के अन्दर। ठीक है। आप सड़कें बनाइये। लेकिन कूपों के अन्दर कम से कम ऊंटों या गधों के जाने की व्यवस्था हो सके, वे वहां जा सकें ऐसी आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो लकड़ी सुचारू रूप से नहीं निकाल सकेंगे वहां से। लकड़ी चोरी के द्वारा बरबाद होगी और काश्तकारों की आवश्यकता बाड आदि की पूर्ति भी नहीं हो सकेगी।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि सड़कें तो आपने बनाई। इन के ऊपर जीपें आप चलाते हैं, लेकिन जब तक आप व्यवस्था यह नहीं कर पाते कि डी. एफ. ओ. को कम से कम दस बारह दिन महीने में पैदल जंगलों में घूमना चाहिये और जब तक वहां वह नहीं घूमेंगे तबतक वनों की अन्दर में क्या हालत है वह सच्चे खरे रूप से कोई अनुभव नहीं कर सकता। पहले का भी शासन था। अंग्रेज डी. एफ. ओ. भी थे। पर उन पर भी यह आवश्यक इन्स्ट्रक्शन्स थे कि उनको कम से कम फुट पर चलकर जंगलों की हालत दस बारह दिन हर महीने देखना चाहिये और जबतक यह व्यवस्था नहीं हो पाती तबतक चोरी के द्वारा जो नुकसान जंगलों में हो रहा है उसका आप अनुमान भी कभी नहीं लगा सकते।

ठेका देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी मैं समझता हूं कि कुछ परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन का भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यह परिवर्तन विरोधी पक्ष की बहुत

(महाराव श्रील लक्ष्मणसिंह)

कड़ी आलोचना के पश्चात् आपने किये हैं। यह परिवर्तन मैं समझता हूं एक ऐसा स्वरूप लेकर आया है कि जिस से यह कहावत चरितार्थ होती है कि सौ सौ चूहे खाय बिलाई चली हज को।

अगर तरह तरह की अनियमितताओं को, अन्धाधुन्धी को रिश्वत वगैरह को जो ठेठ मन्त्रियों से लेकर नीचे के स्तर तक फैली हुई है और लाखों रुपयों की लकड़ी गुजरात को भेज दी है, जो हमारी धरोहर है और अब भी जा रही है, वह नहीं रुकी तो हमारे वनों की अपार हानि होगी। गत वर्ष भी मैंने माननीय वन मन्त्री को इस सम्बन्ध में निवेदन किया था और कहा था कि आप कुछ नहीं करते तो कम से कम यह तो करिये कि स्टेण्डर्ड वृक्ष जो दो दो सौ और डेड डेड सौ वर्ष के पुराने हैं उनको काटकर ठेकेदार लोग गुजरात ले गये उस सम्बन्ध में एन्क्वायरी तो कराइये। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है और भी मैं जाकर पता लगाऊंगा जहां तक मुझे मालूम है इस सम्बन्ध में सरकार उदासीन है, उपेक्षा की उसकी वृत्ति बनी हुई हैं। उपेक्षा वृत्ति ही नहीं सरकार रखती, किन्तु मैं तो सम्भवतः गलत होऊं, पर मुझे यह लगता है कि ठेकेदारों को हर तरह की उसकी ओर से शह मिल रही है।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में अगर आप उनको प्रोत्साहन देते हैं तो वह भी एक कदम मेरे खयाल में........

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे, विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि मिनिस्टर से लेकर नीचे तक रिश्वतें चलती हैं। यह आपने फरमाया। कृपया इसके ऊपर और रोशनी डालें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब ये चीजें, अध्यक्ष महोदय, कभी साबित तो हो नहीं सकतीं। कहने के रूप में, जो हमारी धारणाएं बनी हैं, उनको कुछ हद तक कहने का अधिकार हमें अवश्य है क्योंकि इसके कारण अध्यक्ष महोदय........

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि भ्रष्टाचार सारा का सारा मिनिस्टरों तक ही है। इसकी जांच के लिये एक कमेटी सदन की बिठा दी जावे और हम उसमें यह सब साबित करेंगे कि भ्रष्टाचार यह सारा का सारा ऊपर से चलता है, नीचे से नहीं चलता। ऊपर वाले भ्रष्ट हैं। एक कमेटी बिठा दी जावे और उसके चेयर मैन अध्यक्ष महोदय आप हो जावें। यह बड़ा अहम् मसला है, मानवीय मसला है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई भी निष्पक्ष रूप से वनों को जाकर देखे तो लाखों रुपयों के वन हजारों रुपयों के अन्दर ठेके दिये गये हैं और दिये जाते हैं और एक मोनोपोली बेसिस पर दिये जावें और वे एक वर्ष दो, तीन वर्ष ही नहीं दस दस और बीस बीस और तीस तीस वर्ष की

(महाराव श्री लक्ष्मणसिंह)

मोनोपोली पर दें तो यह तो कोई सोयशलिस्टिक मैन्टेलिटी नहीं है।

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री) : ऐसा तो कोई वन नहीं है जो बीस-तीस साल के मोनोपोली बेसिस पर दिया गया हो। विरोधी पक्ष के नेता सुन्दर सुझाव दे रहे थे। बीच में ही न मालूम कैसे कहा कि स्थिति में तनाव हुआ। जहां तक राजस्थान सरकार की नीति का सवाल है कोई ऐसा वन नहीं है जो इतने लम्बे वर्षों के लिए ठेके पर दिया गया हो। सिवाय एक के. जिसके बारे में माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं और जिसके बारे में काफी चर्चा सदन में हो चुकी है। बाकी जागीरदारों के जंगल हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वक्त में दस ग्यारह जो थे सबको रोक दिया है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : क्या आप अभी से जवाब दे रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वन मंत्री अपने कमिटमेन्ट को रखें अवश्य रखें और उसके अनुसार चलें लेकिन आखिरकार आपके वन की व्यवस्था है, आपके रूल्स हैं उनको आप ओवर-राइड मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि एक विस्तृत क्षेत्र मे स्टेन्डर्ड ट्रीज ही लापता हो जायें तो इसके बारे में कुछ न कुछ तो करना चाहिए। आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से यह व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है और इससे मुझे तो तसल्ली नहीं है।

सहकारी समितियों के द्वारा ठेका दिये जाने के संबंध में अगर आप व्यवस्था करते है तो उसका भी स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि यह कदम एक ठीक दिशा में आप ले रहे हैं। आज कई एक विषयों के संबंध में माननीय वन मंत्री जी की योजनाओं का मैं बारबार स्वागत करता हूँ। वह मेरी आदत नहीं है लेकिन यह महुआ के फूलों के संबंध में भी जो आपने व्यवस्था की है और आदिवासियों के लिए जो छूट दी है उसका भी मैं स्वागत करता हूं। बेचारे आदिवासी जिनकी खुराक महुआ है, महुआ उनके मवेशियों की खुराक है उस संबंध में जो आपने ठेका देने की व्यवस्था की थी वह निन्दनीय थी उसका मैं विरोध करता रहा हूं और आपने उस व्यवस्था में परिवर्तन लाकर और आदिवासियों को महुआ के फूल बीनने के संबंध में जो छूट दी है वह अनन्त काल से उनके हक़ूकों को महफ़ूज रखकर यह योजना की है वह भी कदम एक ठीक दिशा में आपने लिया है।

मैं समझता हूं कि जो सीमांकन की व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है। आपके छोटे छोटे कर्मचारी गांवों के किसी आदमी को बिना इत्तिला के वहां जाकर एक हिटलर नीति अख्तियार करते हैं, वे मर्जी से उधर सीमांकन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कुए से १५ जरीबे के फासले से हो तो २५ रुपये देना और ३० के फासले पर हो तो ५० रुपये देना। इस तरह से सौदागिरी की बात करके सीमांकन हो तो मेरे ख्याल से यह दुर्व्यवस्था है और जो सीमांकन आपने किया है वहां असन्तोष है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का पुरजोर रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और यह जांच सीमित नहीं रहनी चाहिए कर्मचारियों की हद तक। उसमें क्षेत्रीय एम. एल. ए. को एसोसियेट करना चाहिए और जहां अंधाधुंधी हो रही है वहां वन मंत्री जी एम. एल. ए. या व्यक्तिगत मेरे साथ आकर देखेंगे तो मैं बता सकता हूं कि किस हद तक यह अंधाधुंधी हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप असंतोष व्याप्त है और जानबूझकर नहीं कर रहे हैं और बैठे बैठे अपनी कुर्सी पर लेटकर हंस रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, १९६२-६३ के खर्चे के संबंध में इस मेमोरेन्डम में लिखा गया है कि खर्चा ८१ लाख ४३ हजार होगा और आमदनी ८० लाख ४४ हजार की होगी। अर्थात् एक लाख रुपये का घाटा बताया गया है। इसके साथ ही साथ इस मेमोरेन्डम के अन्दर, दूसरे पेराग्राफ के अन्दर अंत में यह लिखा गया है कि इस प्रकार राज्य के वनों से राजकोष में लगभग १०॥ लाख रुपये का योग दान दिया। तो जब १ लाख रुपये का घाटा है तो मैं नहीं समझ पाया कि यह १०॥ लाख रुपये का योग क्या है ? यह आमदनी है या और किसी रूप से यह योगदान है ? क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे कि यह १०॥ लाख रुपये का योगदान देने का उल्लेख उन्होंने किया है इसका अर्थ क्या है ?

इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में आपने प्रावधान रखा है कि १० लाख रुपये इस साल खर्च किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि यह इमारती लकड़ी के क्षेत्र कहां कहां आपने स्थापित किये है ? इमारती लकड़ी के लगाने की योजना आपने कहां कहां लागू की है इस संबंध में कृपा कर कुछ प्रकाश डालें तो जब भी मौका मिले वहां जाकर देखें कि किस तरह आपकी योजना आपके कर्मचारी कार्यान्वित कर रहे हैं।

रेशमी कीड़ों के सम्बन्ध में आपने कहा है कि अरंडों पर रेशमी कीड़े लगाने की व्यवस्था की जायेगी। ठीक है आप अरंडों पर रेशम के कीड़े लगाइये किन्तु मेरा भी निवेदन है कि आप तूत और शहतूत पर भी कीड़े लगाने की व्यवस्था करें। सब हिमालयन प्रदेशों में भी शहतूतो पर लगाने की व्यवस्था है। काश्मीर में भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मैं समझता हूं कि ऊंचे पहाड़ों पर गोगुन्डा आदि पहाड़ों पर शहतूत लगाकर रेशम के कीड़े लगायेंगे तो शहतूत के फलों द्वारा भी आदिवासियों का लाभ हो सकता है और आपकी आमदनी भी बढ़ सकती हैं और अरंडी से रेशमी कीड़े टिकाऊ रूप से लग सकते हैं यह मैं अनुमान करता हूं।

पहाड़ी क्षेत्रों में, अध्यक्ष महोदय, पतित वनों में प्लान्टेशन करने के सम्बन्ध में भी सरकार ने प्रावधान किया है। पतित वनों में और कुछ नहीं तो १० वर्षों में अमुक क्षेत्रों को बन्द करें अपने आप बिना खर्चे के वहां पतित वन पनपेंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत कम खर्चे के साथ आप १० वर्षों के अन्दर देखेंगे कि पहाड़ों पर सघन वन पनप कर एक सुन्दर दृश्य बन जायेगा और राजस्थान के लिए हितकर व्यवस्था होगी।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वन महोत्सव के सम्बन्ध में आपने एक शील्ड रखी हैं कि जिस जिले में विशेष वृक्ष लगाये जायें उस जिले को आप शील्ड देंगे। तो इस प्रतियोगिता के अन्दर डूंगरपुर जिले को आपने शील्ड दी। मेरे ख्याल से यह सब थोथी व्यवस्था है, एक ढकोसला मात्र है। आप यह तो देखिये कि डूंगरपुर जिले के अन्दर आपने पौधे कितने लगाये ? यह तो आपको पता है लेकिन वह जिन्दा कितने हैं यह पता है ? अगर नही हैं तो आप पता लगायें निश्चित रूप से। उसके साथ ही साथ मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पौधे कितने लगाये उनमें कितने मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ चोरी और ठेके आदि में कितने वृक्ष वहां पर कटे ? यानि आपका जो राष्ट्रीय धन है वह नष्ट कितना हुआ ? उसको आप पुनः पनपाने के लिए क्या योजना कर रहे हैं ? यह शील्ड वगैरह सब विन्डो ड्रेसिंग और धूतक है ? वह आप कीजिए। लेकिन वास्तव में डूंगरपुर जिले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि जिसके द्वारा आप उस जिले को शील्ड दें।

वन जन्तुओं के संरक्षण के संबंध में भी मैंने जहां तक देखा है मैं यह कहूँगा कि आपका बन्दोबस्त कुछ स्ट्रिक्ट, मोर एफीशियेन्ट ढंग से आपने करना शुरू किया है। किन्तु मैंने गत वर्ष भी काले हिरन के सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया था। मैं बराबर यह निवेदन करता हूँ कि मुझे पता नहीं कि सारे ऑल इन्डिया बेसिस पर शायद आपने वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को अपने यहां क्रियान्वित किया। लेकिन मैं समझता हूँ एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जांय। आपने सारे राजस्थान के अन्दर ब्लैक बक मारना बन्द कर दिया है जिसका कोई अर्थ नहीं। सारे राजस्थान के अन्दर आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आप अमुक क्षेत्रों के अन्दर अगर ब्लैक बक को प्रोटक्शन देंगे तो आप कभी न कभी स्थिति पर काबू भी पा सकते हैं।

मैंने यह भी निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय, कि जहां पर विश्नोइयों की बस्ती है वहां पर विश्नोई स्वयं हिरण को संरक्षण देते हैं। उसको पवित्र मानते हैं, उसको मारने नहीं देते हैं। क्यों नहीं ऐसे २-३ क्षेत्रों को तलाश करके सीमांकित कर दें कि जहां पर कि इस बेचारे ब्लैक बक, इस बेचारे काले हिरण को जो किसी का नुकसान नहीं करता है, जिसका मांस स्वादिष्ट है, जिसकी खाल उपयोगी है, जिसके सींग उपयोगी है, जिसका सारा संसार दुश्मन है। उसको बेचारे को क्यों नहीं संरक्षण देते हैं ? मेरे ख्याल से ब्लैक बक एक अपूर्व राष्ट्रीय धन है ; one of the finest and most beautiful antelopes of the इतना सुन्दर वन-पशु संसार में कहीं नहीं होगा। आप उसके सम्बन्ध में संरक्षण करने की व्यवस्था करेंगे तो मेरे ख्याल में ब्लैक बक जाति आपको हार्दिक धन्यवाद देगी।

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, जब कभी सरकारी पक्ष द्वारा जवाब दिया जाता है या किसी मंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है तो चाहे उन मुद्दों के ऊपर जो कि पक्ष-विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है, उनका जवाब दिया जाय या न दिया जाय, पर एक बात जरूर अपने भाषण में मंत्री महोदय

Page No.65

(कुं० श्री महेन्द्रसिंह)

कहते हैं कि सरकार जागरूक है। सरकार कितनी जागरूक है या नहीं है यह मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा कि सरकार कितनी जागरूक है या सरकार आज कितनी सो रही है। आज राजस्थान के कुछ इलाकों में अकाल पड़ा हुआ है, और अकाल पड़ने के कारण वहां के आदिवासी या निवासियों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है अपने मवेशियों के पालने के सम्बन्ध में, और सरकार स्वयं भी यह महसूस करती है कि उन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में चारे के अभाव के कारण वर्षा समय पर नहीं होने के कारण लोगों को मवेशी पालना अत्यन्त दुर्लभ हो रहा है और उसके लिए सरकार ने कई व्यवस्थाएं भी की हैं, लेकिन व्यवस्था करने के बाद भी सरकार यह महसूस करती है कि जितनी व्यवस्था होनी चायिए, जितना घास इकट्ठा करके पशुओं को चराने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए उतना आज तक नहीं हो पा रहा है, और यह महसूस करते हुए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्वार के लाइसेन्स सरकार ने गोंद बनाने के लिए दिये हैं। जो पशुओं का एक चारा है ग्वार वह मुतवातिर तरीके से काफी तादाद में गोंद बनाने के उपयोग में आज तक ली जा रही है, सरकार ने उन परमिटों को आज तक केन्सिल नहीं किया है। मैं समझता हूं कि सरकार ग्वार का उपयोग गोंद बनाने के निमित्त नहीं करे और सारी ग्वार की फसल का उपयोग यदि चरागाह के रूप में, चारे के रूप में मवेशियों को खिलाने की व्यवस्था करती तो चारे की होती।

जो समस्या हमारे सामने है वह बहुत कम

दूसरी बात मैं आपके सामने रखूंगा कि सरकार को चाहे जनहित का खयाल है या नहीं है, लेकिन सरकार को आज ख्याल इस बात का जरूर है कि जो भी काम सरकार के द्वारा किये जायें, जो कुछ भी सहूलियतें दी जाय या रियायतें सरकार द्वारा दी जाय उनका श्रेय सारे का सारा उनकी कांग्रेस पार्टी को ही मिले। और इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ इलाकों में कुछ घास कड़वी कमेटियां बनी हैं। कड़वी कमेटी सम्बन्धित इलाके में कुछ इलाकों से कड़वी इकट्ठी करके मवेशियों को चराने के लिए देती है और जिस कीमत पर खरीदती है उससे एक रुपया कम लेकर मवेशियों को कड़वी चराने के लिए कड़वी कमेटी परमिट इश्यु करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जितनी कड़वी कमेटियां बनाई गई हैं और कड़वी कमेटियों द्वारा जितनी कड़वी मवेशियों को चराने के लिए वितरित की जाती है वह सारी की सारी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से की जाती है।

जितनी कड़वी कमेटियों का निर्माण किया गया है वह कांग्रेस पार्टी की हैं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : कड़वी और ग्वार का गोंद क्या फारेस्ट में आता है ?

कुं० श्री महेन्द्रसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की जा रही है। सरकारी व्यवस्था के द्वारा कड़वी वितरण के लिए परमिट न दिये जाकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा परमिट वितरित किये जा रहे हैं।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : यह जो बोल रहे है तो न तो कड़वी का सवाल फोरेस्ट में आता है और न ग्वार फोरेस्ट प्रोड्यूस है। अब न मालूम जानकारी आपकी किस प्रकार की है ? सदन उसको सुनना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या वन विभाग द्वारा समितियां बनाई जा रही हैं ?

कु० श्री महेन्द्रसिंह : कड़वी कमेटियां बनाई गई हैं, वह वितरण के कार्य के लिए बनाई गई हैं और कांग्रेस मंडल के द्वारा कड़वी वितरित की जाती है और कांग्रेस कमटियों द्वारा परमिट इश्यु किये जा रहे हैं। एक परमिट पिलानी कांग्रेस कमेटी द्वारा इश्यु किया गया था उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं।

श्री भीखाभाई : Siv, these are very serious allegatons and we being members of the Congress party cannot hear all these wrong things. Congress party does not issue any permit, at all.

कुं० श्री महेन्द्रसिंह : आप हिन्दी में बोलिये, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं।

श्री भीखाभाई : आपने फर्माया कि कांग्रेस पार्टी की कमेटी बनी हुई हैं जो कि कड़वी के लिए परमिट देती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह न तो फारेस्ट प्रोड्यूस है और न कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही परमिट इश्यु करते है। यह सब बात गलत है कि किस प्रकार से क्या बात कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई परमिट इश्यु नहीं होते हैं।

कुं० श्री महेन्द्रसिंह : यह (परमिट दिखाकर) परमिट जो इश्यु हुआ है वह कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है। इस पर मंडल कांग्रेस कमेटी, पिलानी की मोहर है।

श्री भीखाभाई : इसको सदन में रख दें।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : सदन में ले लें क्या बात है ?

यदि इस प्रकार के कन्सेशन जो सरकार देती है किसानों को या वहां के लोगों को तो उनमें कांग्रेस पार्टी द्वारा परमिट इश्यु हुए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं व सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी परमिट इश्यु हुए हैं इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जितने भी कन्सेशन्स दिये गये हैं उनमें जितनी भी धनराशि की कमी है उस सारी धनराशि की कमी को सरकार कांग्रेस पार्टी से वसूल करे। (हियर, हियर) आप सरकार की धनराशि को या जनता की जो धनराशि है उस धनराशि को कांग्रेस पार्टी के मंडल बनाकर सारे के सारे लोगों की धनराशि का बंटवारा करना चाहते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा इस प्रकार से सरकारी धनराशि का वितरण किया जाता है या सरकार द्वारा कन्सेशन जो दिया जाता है वह किसी पार्टी विशेष के द्वारा वितरित कराये जाने का उसको अधिकार नहीं है। यदि किसी पार्टी को अगर कन्सेशन दिये जाते हैं तो जितनी भी धनराशि की कमी होती है या जितनी भी धनराशि का सरकार को नुकसान हो वह सारी की सारी

(कुं० श्री महेन्द्रसिंह)

धनराशि कांग्रेस पार्टी के फण्ड से वसूल की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर पूर्णतया विचार करेगी।

दूसरा मैं निवेदन यह आपसे करना चाहता हूं कि फारेस्ट के डेवलपमेंट के लिए नये एरियाज़ को एक्वायर करके प्लान्टेशन की योजना कर रही है, योजना अच्छी हो सकती है, लेकिन योजना को क्रियान्वित करते समय, योजना को लागू करते समय जनहित का ध्यान नहीं रखा जाता है जिससे अधिकतर लोग परेशान होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ग्राम जारडोली और मंडावा के पिजड़े एरियाज में सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा फोरेन्ट प्लान्टेशन के लिए गत वर्ष में रिज़र्व किया है और अब तीसरा एरिया फोरेस्ट प्लान्टेशन के लिए उसी एरिया में रिज़र्व किया जा रहा है और तीसरा फोरेस्ट प्लान्टेशन हो जाने के बाद यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कोई ऐसा एरिया नहीं बचता है कि ग्रामवासी अपने मवेशियों को चरा सकें और पालन-पोषण कर सकें। इस कारण वहां पर गम्भीर परिस्थिति उपस्थित हो गई है। वहां के लोगों ने कुछ प्रार्थना पत्र सरकार के पास पेश किये हैं। मैंने भी वन मंत्री महोदय से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन जरूर दिया है कि कुछ विचार करूंगा। कितना विचार हुआ और कहां तक हुआ या नहीं हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार प्लान्टेशन लगाये, फोरेस्ट एरिया को बढ़ाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखें प्लान्टेशन के लिए एरिया रिज़र्व करते हुए कि वहां के जो लोकल व्यक्ति हैं, वहां के जो उनके लोकल मवेशी हैं

(१०.०० म० पू०)

उनको चराने के लिए जगह नहीं रहे, इस बात की समस्या खड़ी न हो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार फोरेस्ट कल्टीवेशन के लिए जगह रिज़र्व करना चाहती है तो वह तब तक नहीं करे जब तक मवेशियों को चराने के लिए खुलासा नहीं कर दे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काली सिन्ध के रेविन्स में काफी ऐसी बंजर जमीन है जिसे सरकार कल्टीवेशन ऑफ फोरेस्ट के लिए रिजर्व करना चाहे तो कर सकती है लेकिन सरकार का ध्यान ऐसी जगहों की तरफ नहीं जाता। सरकार का ध्यान तो उस तरफ जाता है जहां लोग ऐतराज करते हैं। हमारी तरफ के एक गांव के बारे में पंचायत ने दो तीन पत्र मंत्रीजी को लिखे, चीफ फोरेस्ट ऑफिसर को पत्र लिखे लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और गत वर्ष इस ऐरिया को फोरेस्ट के लिए रिजर्व किया। आज वहां पर ऐसी परिस्थिति है कि वहां के लोग अपने मवेशियों को नहीं चरा सकते और वे बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं और वह गांव छोड़कर अन्य स्थान पर जाने का प्रयत्न करते हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कोई योजना सरकार बनावें या कोई कदम सरकार उठावे तो कम से कम इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि लोगों पर तो इसका प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार इन

(कुं० श्री महेन्द्रसिंह)

सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कदम उठायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०, वन के विषय में कुछ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा आमदनी और खर्चा देखा जाता है तो वह वन विभाग का है। आज वन विभाग का प्लान तो ऐसा चल रहा है जिसको देखते हुए राजस्थान का वन विभाग कुछ पनप सकता है ऐसा मालूम नहीं होता। लेकिन इस प्लान को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि आपका वन विभाग शुरु से आज तक असफल रहा है जब कि सरकार लाखों रुपये इस वन विभाग पर खर्च करती है फिर भी आमदनी देखेंगे तो खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, यह क्यों ? यहां के वन विभाग की आमदनी तो ज्यादा होनी चाहिए। राजस्थान में जितने जंगल थे, जितना कल्चरेबल एरिया था वह भी वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसको अपने कब्जे में लेते हुए भी आज तक आमदनी कम क्यों होती जा रही है, इसका क्या कारण है ? मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आपके इस वन विभाग में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना शायद और विभागों में नहीं होगा। वन विभाग आज इतना भ्रष्ट हो गया है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मैं हजारों शिकायतें आपको दे सकता हूं। मैं बांसवाड़ा जिले के लिए कहूंगा कि वहां हजारों लोगों की शिकायतें देने को मैं तैयार हूं। आज मैं आपके सामने कुछ नमूने पेश कर रहा हूं।

तीन साल पहले दानपुर बाड़ी घाटे पर करीब चार हजार रुपये खर्च किये गये वृक्षारोपण के लिए और आज वहां पर चार पेड़ भी नहीं पनप पाये। मैं गारन्टी से कहता हूँ मन्त्री जी मेरे साथ चलें वहां अगर चार पेड़ भी उनके रोपे हुए बचे हुए हैं तो मैं मानूंगा कि चार पेड़ तो खड़े हो गये वन विभाग ने चार हजार रुपये खर्च किये तो क्या हुआ....

एक माननीय सदस्य : गड्ढे तो खुदवाये होंगे।

श्री विट्ठल : गड्ढे खुदवाये होंगे। लेकिन मैं तो अपनी जानकारी दे रहा हूं। मंत्री जी जांच करें या न करें।

श्री भोलाभाई (वन मन्त्री) : कौनसा घाटा बताया ?

श्री विट्ठल : दूसरी बात मैं घास के विषय में कहना चाहता हूं। जो घास के बीड़ कटाये जाते हैं उधर तो किसान की मवेशी घास चरने से रोकी जाती है क्यों कि आजकल सारे एरिया की घास रुकी हुई है जिसके कारण किसानों को मवेशी चराने में दिक्कत आती है। दूसरी तरफ बीड़ की घास जो कटवाई जाती है एक तो पूरी रकम उस पर खर्च नहीं की जाती, है आधी रकम मजदूरों को दी जाती है और आधी रकम नौकरों के भ्रष्टाचार में जाती है। बाद में जो कटवाई हुई घास होती है उसमें से भी बहुत कुछ वहां पर जो स्थाई नौकर होते है वे बेच खाते है। मैं कहूंगा कि कुछ

(श्री विट्ठल)

कुशलगढ के हिस्से में रामगढ़ नाके पर कुशल गढ के रेन्जर ने मध्यप्रदेश के लोगों को ३०) बैलगाड़ी के हिसाब से घास दे दी लेकिन वहां के किसानों के मवेशियों को घास चरने की इजाजत नहीं दी (शेम शेम). दूसरे प्रान्त को घास देदी लेकिन अपने गांव के लोगों को नहीं। इस रेन्जर की शिकायत वहां के माननीय सदस्य ने की है उसकी जांच आपने की है या नहीं मुझे मालूम नहीं।

तीसरी बात घास के विषय में घाटोल तहसील के जगमेरजन्ना के जंगल से घास कटवाई और कटवाने के बाद उसकी निगरानी फोरेस्ट वालों ने नहीं की और वह घास जल गया। हो सकता है कि इसमें फोरेस्ट वालों का ही हाथ हो या उनका भ्रष्टाचार हो, घास कम हो और वन विभागवालों ने ही उसे जलवा दिया हो इसलिए कि जलने के बाद हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं पड़े। वहां के अम्बालाल रेन्जर ने आदिवासियों को बुलाकर बुरी तरह पीटा और उनसे कहा कि तुमने घास को क्यों जलवाया जबकि उन्होंने उसे जलाया न उन्होंने घास का नुकसान ही किया, ऐसा नुकसान वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही होना चाहिए। मैं यह आरोप लगाता हूं कि उन्होने ही यह सब कुछ किया है। यह जिम्मेदारी जंगलात विभाग की थी न कि किसानों की जो घास की निगरानी रखते है।

इस तरह से वन विभाग में कल्चर होता है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। मिसाल के तौर पर बारी लालपुरा के विषय में मैं कहूंगा। सन् ६२ में वहां कल्चर कटा। एक साल पड़ा रहा। गत वर्ष एक वन सोसायटी गांव वालों की बनी और उन्होंने मांग की कि यह लकड़ी हमको दी जाय। जब वन सोसाइटी ने उस कल्चर के पांच हजार तक रुपये देने की कार्यवाही की और ऊपर मन्जूरी के लिए कागज भेजे गये लेकिन अध्यक्ष महोदय, ६ महीने हो गये न तो मन्जूरी आई न कागज वापिस आये, वे लोग लटकते रहे और डी. एफ. ओ. जांच करते रहे। फिर वहां के रेन्जर ने उस समिति के अध्यक्ष को समझाकर कहा कि तुम लिख दो कि हम उसे लेना नहीं चाहते। वहां के आदिवासी अनपढ़ हैं। इन लोगों ने कागज पर लिख कर उनके अंगुश्त के निशान करवा लिए कि हम नहीं लेना चाहते। अब वह कल्चर छः महीने के बाद ढाई हजार में इस साल निलाम किया, जहां कि पांच हजार कोऑपरेटिव सोसायटी देती थी और चार हजार जंगल पर खर्च हुए थे, वहां उसको ढाई हजार में नीलाम किया। इससे कितना नुकसान हुआ लाभ होने के बजाय। यह नुकसान हुआ। इसके लिए मंत्री महोदय को कहूंगा कि इसकी वे जांच करायें और जिसने गल्ती की है उसको सस्पेन्ड करने की कार्यवाही करें। मैं कहूंगा, 'कि मंत्री महोदय का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

अब जो बांसवाड़ा जिला है आदिवासियों का, मैं बांसवाड़ा जिले के लिए ही नहीं कहूंगा पूरे राजस्थान के लिए कहूंगा, जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ आदि स्थान हैं जहां आदिवासी लोग बसते हैं, उनके लिए सरकार ने तीन साल के लिए मकान बनाने के लिए राहत दी हुई है कानून में कि उनको मकान के लिए फ्री कबाड़ा जाय। कानून में लिखा

(श्री विट्ठल)

हुआ है लेकिन वहां के अधिकारी उस कानून का पालन न करते हुए उन लोगों को फ्री कबाड़ा नहीं देते। अगर किसी को देते हैं तो उसके लिए जितने जंगलात में जाने के पास होंगे उनके लिए रिश्वत लेकर वह फ्री पास दे देते हैं। आप कहें तो मैं ऐसे हजारों पास बता दूंगा और एक एक से कहलवा सकता हूं........

श्री भीखाभाई : आप जो कह रहे हैं, दो प्रकार के पास आदिवासियों को दिये जाते हैं, एक तो फ्री पास जिसमें कबाड़ा मुफ्त मिलता है। जो आज्ञा के अनुसार मिलता है उसके ऊपर महसूल लेकर उस हिसाब से दिया जाता है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह कोई इन्सटान्स बता सकें तो में जांच करवा सकता हूं।

श्री विट्ठल : मुझे मालूम है फ्री कैसे दिया जाता है। मैंने कहा, वह आप समझे नहीं। जो फ्री पास दिया जाता है, वह रिश्वत लेकर दिया जाता है किसानों को। जो पास पैसा देकर दिया जाता है वह अलग है। उसमें भी जो रसीद लिखते हैं ... को तीस रुपये का पास दिया जायगा लेकिन उससे साठ रुपये लेलेंगे। अगर उससे तीस रुपये ले लेंगे तो पन्द्रह रुपये का पास होगा....

श्री भीखाभाई : सरपंच की तस्दीक से दिया जाता है। वह नाकेदार को देते हैं।

श्री विट्ठल : सरपंच तस्दीक कर देता है, लेकिन उसको आपके अधिकारी नहीं मानते, वे पास नहीं देते। अगर उसको पास देंगे तो वह दस दिन तक अपनी नाक रगड़ता है, मसाले से पूजता है-मुर्गा ले लीजिये, आटा ले लीजिये। तब जाकर उसको पास देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। आप कभी उधर दौरे पर जाते हैं तो मुझे बुलाते नहीं हैं क्योंकि मैं विरोधी हूं। आप जानते हैं मुझे बुला लेने से आपकी पोल खुलती है। अगर इसका सुधार करना चाहें तो आदिवासी के नाते मुझे बुला लीजिये, मैं कई मिसालें अच्छी तरह आपको दे सकता हूं, उन पर आप कार्यवाही करना चाहें तो कर सकते है।

श्री भीखाभाई : ठीक है, आपको बुला लेंगे।

श्री विट्ठल : दूसरी ओर हमारे जिले में इलाका है आदिवासियों का और इधर फारेस्ट एरिया ज्यादा है, रेवेन्यू की जमीन से, वह हमारी जन संख्या के आधार पर कम है और फारेस्ट एरिया ज्यादा है। गत साल जो डिमार्केशन हमारे इलाके में हुआ, उस वक्त डिमार्केशन वालों ने न तो वहां के सरपंच को इत्तला दी और न वहां के तहसील दार, गिरदावर वगैरह को इत्तला दी और जंगलात विभाग ने डिमार्केशन अपने सारे इलाके में किया। जब कि कानून में यह दिया हुआ है कि वहां का जो स्थाई सरपंच हो, वहां के इलाके का जो तहसीलदार है, गिरदावर है, पटवारी है उसके साथ रहते हुए डिमार्केशन होना जरूरी है लेकिन आपके विभाग ने तहसीलदार को इत्तला नहीं दी। मैंने अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी से भी जांच कर ली है, उन्होंने सरपंच को भी इत्तला नहीं दी। उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने खाने को सामान दिया, पैसा दिया उन

(श्री विट्ठल)

लोगों के कहने के मुताबिक जो उनकी जंगल में जमीन थी उसको छोड़ दिया और जिन लोगों ने नहीं दिया उनके कई मकान डिमार्केशन में ले लिये, जमीन को जंगल में ले लिया। उन लोगों की जमीन और मकान को डिमार्केशन में ले लिया जो वर्षों से काश्त करते आ रहे थे, वर्षों से वहां बसते आ रहे थे। हमने कई शिकायतें कीं, लेकिन आज इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं कहूंगा मंत्री महोदय से कि वहां के किसान लोग इस सम्बन्ध में काफी परेशान हैं। अगर वे जंगलात में आयें, अपने खेत पर खेती करते हैं तो इधर तो जंगलात वाले जुर्माना करते हैं और इधर तहसील वाले परेशान करते हैं। इसलिए इस पोइन्ट पर जब तक सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तब तक वे किसान परेशान रहेंगे और उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझा फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने डाल दिया है वह रहेगा। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि घायेल तहसील में, पीपल पट्टा इलाके में जो फारेस्ट इलाका किसानों के लिए पहले छोड़ रखा था उसको तोड़ा है इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय तो ठीक नहीं, नहीं तो वे बड़ा मुश्किल में है। पीपलभट्टा में किसान बसते हैं, वहां जंगलात का एरिया ज्यादा है। वहां जो हाल ही में डिमार्केशन किया गया है उसमें उनकी सारी जमीन चली गई है। अपने खेतों पर खेती करने के कारण उन पर जुर्माना भी हो रहा है। इसलिए कम से कम जन-संख्या के आधार पर किसानो के लिए जमीन रेवेन्यू लैंड में से निकालने के लिए कार्यवाही सरकार नहीं करेगी तो वहां के किसानों को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि जल्दी कार्यवाही करने की कोशिश करें और उन किसानों की जो दिक्कत है उससे मुक्त करने की कोशिश करें। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालाबादल !

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : (अकलेरा सु.) अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक ७० वन के बारे में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको भी मालूम है और हाउस भी जानता है कि एक तरफ तो हमारी राज्य सरकार यह मानती है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था में वनों का बहुत महत्व है और दूसरी तरफ इस अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों के हाथ में इन वनों को दे रखा है, जिन्हें दूसरी जगह काम करने के नाकाबिल समझ कर पेंशन दे दी गई है और जिनकी अवस्था ६० वर्ष की हो गई है। इस अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिये ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्तियों को हमारे राज्य में बिठाया है। मैं यह समझता हूं कि हमारे वन विभाग में बड़े बड़े सांभर शेर और हाथियों का बहुत बड़ा राजस्थान के गिरोह इन वनों में घूमता फिरता है जिन्होंने यहां के वन को उजाड़ दिया है....घने जंगलों को उजाड़ कर मैदान बना दिया है।

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्री जी किस में शामिल हैं ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैंने वनों के बारे में पहले भी कहा था कि गांव के

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

लोग, गरीब लोग बहुत दुःख पाते है वनों की व्यवस्था के कारण। मैंने यह भी कहा था कि जब राजस्थान बना तब से इस विभाग के जो भी फारेस्ट मिनिस्टर रहे, और जिनको यह वन विभाग दे दिया, वे मंत्री वापिस नहीं आये। मैं मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस मंत्री के लिए सोचा कि आगे भविष्य में यह नहीं आये, उसको ही यह मंत्रालय दे दिया और वह वापिस नहीं आया इस पद और सदन में।

श्री भीखाभाई (वनमंत्री) : मैं ऐसा नहीं करूंगा।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं आपको भूतपूर्व वन मंत्रियों के नाम गिना सकता हूं, सम्पतराम जी की होलत को देख लें गरीबों की हाय लगी कि वापिस नहीं आये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) ऐसा मिनिस्टर बतायें कोई जो आ गया हो।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : हमारे मुख्य मंत्री ऐसे चतुर हैं।

श्री भीखाभाई : मैं कह रहा हूं, अब नहीं होगा।

श्री भैरवलाल काला बादल : हमारे मुख्य मंत्री जी चतुर है वे सोच लेते है और जिसको वे हाउस में नहीं देखना चाहते उसको उठाकर वन का मंत्रालय दे देते हैं तो मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ, अध्यक्ष महोदय इस व्यवस्था पर। हमारे मुख्य मंत्री की जिन पर कृपा हो और उस कारण से इनको वन मंत्री बनाया हो तो मुझे बड़ा अफसोस है। हमारे भीखा भाई बहुत अच्छे हैं और आदिवासियों की भलाई का ध्यान देते हैं मगर फिर भी दुख है कि इस बात की तरफ इनका ध्यान नहीं गया है कि मैं वन विभाग नहीं लूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हरि भाऊ जी को यह वन विभाग दिला दें।

श्री भैरवलाल काला बादल : आगे आदिवासी इस मंत्रिमंडल में न आयेंगे यह बड़े दुख की बात होगी। हमारे लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बनों के बारे में हमारी परम्परा पुरानी यही रही है समाज के कोई भी व्यक्ति वृक्षों की रक्षा करते थे रात्रि में पत्तों को तोड़ना पाप समझते थे बनों में जिन गांव में रहने वाले लोग दुखी आदमी होते हैं और वे लोग जंगल में जो पैदावार होती है उससे अपना गुजारा करते है। आप उनको सताते हैं। उनको नहीं सताना चाहिये। इस बारे में कई लोग इस प्रकार कहते है कि दुबले को मत सताइये जाकि मोटी हाय," मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए"। यह वन तो महादेव की बाड़ी है बगीचा है। जंगल में बहुत बड़ी बड़ी उपयोगी बूटियें होती है और महादेव इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा जहर को भी हजम करते थे। इसलिये इसको महादेव की बाड़ी कहते हैं। महादेव की बाड़ी में महादेव के अजगर, सांप वगैरा तो छिपे रहते है जो वनों को प्यार करते हैं। मगर वनों का संरक्षण करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति हैं वे वनों का उजाड़ते है। बड़े बड़े

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

महारथी जिनके दिल नहीं, जिनका दिमाग नहीं जो बुड्ढे खुराट हो गये हैं जिनकी कमर में ताकत नहीं उनको वनों की रक्षा के लिये आप रखते है। सरकार उन लोगों से जिनका दिल और दिमाग बुड्ढा हो गया है उनसे किस तरह जंगलों की रक्षा कराना चाहती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ऐसे चले हुए कारतूसों से बनों की रक्षा करना चाहती है।

(चीयर्स)

कि आप के ये बुड्ढे खुर्राट कब्र में पैर लटकाने वाले यह काम नहीं कर सकते। अभी मैं यह निवेदन करूंगा कि समय नहीं है मगर मैं बहुत कम बोलता हूं और बार बार बोलने का समय भी नहीं मिलता। आप यह देखिये अध्यक्ष जी मैं आपके द्वारा हाउस में आज कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार पाप करते है और उसको छुपाना चाहते है वह छिप नहीं सकता है। कहते है :

" पाप छिपाये न छुपे, छिपे तो मोहांभाग,
आग दबाये न दबे रूई लपेटी आग।"

आप अपने पापों को छुपाने का कितना ही प्रयत्न करें मगर पाप छुपता नहीं है। आग रूई में लेपट दे तो भी वह नहीं दबती है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि बन देश की निधि है और इस देश की धन राशि की रक्षा ठीक तरह से नहीं की गई तो राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा होगा। यहां घने जंगल थे पहले उन घने जंगलो में से एक दो आदमी इधर से उधर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको यह भय रहता था कि घने जंगलों ने कहीं कोई लूट न ले या कोई जानवर न खा जाए। मगर आज उनको वनों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि उनको कौन खा गया उस जंगल में रहने वाले हाथी स.भरे और रोज तो नहीं खा गये ? उन जंगलों को वे बड़े बड़े हाथी खा गये। उनके पेड़ों को किसने गिराया। उनके पेड़ों को बड़े बड़े हाथियों ने लोगो को ठेका दे कर सारा जंगल कटवा दिये। घने जंगलों को मैदान बना दिया।

अब मैं कोटा के आस पास जहां पर सरकार ने गत्ता फैक्ट्री खोली है उसके बारे में निवेदन करूंगा। उस स्थान की हालत देखिये कि वहां पर उन फैक्ट्री वालों को ४० नये पैसे क्विन्टल के भाव से घास दिया जाता है जबकि आज इस अकाल पीड़ित लोगों को किसानों को सरकार तीन रुपये मन के भाव से देती है। जब बाजार में ५--६ रु. मन मिलता है। आज गत्ता फैक्टरी ने उस घास के एरिया को लीज पर घेर लिया है गत्ता फैक्ट्री या गधा फैक्ट्री जैसा भी आप समझें उनको दे दिया गया है। जहां पर पहले से आदिवासी रहते थे और अपना गुजारा करते थे वह एरिया आज गत्ता फैक्ट्री को दे दिया गया हैं। आज वे आदिवासी वहाँ पर उस फैक्ट्री के लिये घास इकट्ठा करते हैं और गाड़ी भरकर फेक्ट्री वाले चार रोज में उनको पैसों का चुकारा करते है। देखिये कि उन आदिवासियों के पास एक ही बैल की जोड़ी होती है, गाड़ी होती है और खुद चार रोज खाना खाता है। इस हिसाब से देखें तो जो चार दिन में उसको पेमेन्ट होता है वह हिसाब लगा कर उसको १२ आना रोज के पड़ते है। आप देखिये कि १२ आना

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

रोज मिलते है उससे उसका खुद का खर्चा भी पूरा नहीं पड़ता। क्या तो वह बच्चों को खिलाए क्या खुद खाए। इस कारण से आज वहां के आदिवासी भूखें मरते हैं। जब विरोधी दल के लोग उनके लिये आन्दोलन करते हैं तो आप लोग यह कहते हैं कि ये विरोधी दल के लोग हैं इसलिये यों ही आन्दोलन करते रहते हैं। अगर हम कांग्रेस वाले आन्दोलन करें तो यह कहा जाता है कि कांग्रेस वाले होकर अन्दोलन करते हैं। यह बड़ी मुसीबत हैं।

अब चराई की तरफ आप ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि आपने कितने ही नये नये कानून इस सम्बन्ध में बना दिये हैं। इसके अलावा आपके कानून हर साल बदलते ही रहते है। वहां पर चराई टैक्सेज के लिये बड़ा भारी अन्दोलन नेनवा ने चलाया था और लाखों आदमियों ने भाग लिया था और वहां नानका जी भील शहीद हुए थे। जिसके बच्चे छोरे आज भी बकरी चरा रहे हैं और अपना गुजर करते हैं। जब यह अन्दोलन हुआ था उस समय की सरकार ने कहा था और यह आश्वासन दिया था लोग बाग बेगार बराड भैंस बकरी की चराई हम नहीं लेंगे। मगर आज हम यह देखते हैं कि जो आश्वासन आपने उस समय दिया था आप उस पर अमल नही करते हैं। आज उस जमाने में आजादी के लिये जहां पर प्रेमचन्द भील ने आन्दोलन करने के लिये सारे भीलों को बागी बना लिया था और वे आदिवासी बेर, तेंदूर आदि से अपना गुजारा करते थे। जब आन्दोलन हुआ तो उन भीलो के घरो में नाज नहीं रहा और न बेर तेंदू ही मिलते तो वे भूखे मरने लगे और प्रेमचन्दजी को गालियें देने लगे। कहने लगे प्रेमचन्द तूने सभा कराई आच्छा भूखा मारया रे। वे कहते थे कि अब किस तरह से गुजारा करें। आज उन्ही आदिवासियों ने सहकारी समितियें बनाली हैं। मगर फिर भी आदिवासी लोगों को कुछ मिलता नहीं हैं। उनको कूप नहीं मिलते। उनको ऐसे कूप देते हैं जिसमें कुछ नहीं होता और अच्छी लकडी वाले जितने भी कूप होते है वे सब बड़े बड़े ठेकेदारों को देते हैं जो लकड़ी को बाहर निकलते हैं। क्योंकि वे सब बड़े बड़े हाथियों के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और आदिवासियों की पहुंच वहां बड़े बड़े हाथियों तक नहीं होती हैं इसलिये उनको अच्छे कूप नहीं मिलते। इस प्रकार की व्यवस्था आदिवासियों की है। इतना ही नहीं यदि कोई जंगल में से लकड़ी काट कर उसकी छाल छीलकर मोली बांध लाते हैं तो कहते हैं की छाल क्यों छोली। अगर छाल पाई जाती हैं तो उन पर ७०) ७०) रु० जुर्माना वन विभाग कर देते हैं।

अब रहा भैंस की चराई आदि के सम्बन्ध में। मैं यह कहूँगा कि यदि किसी के पास पांच भैस हुई तो टैक्स नहीं लेंगे और अगर ६ भैंस हो गई तो उनको एक भैंस का टैक्स लेना चाहिये मगर वे एक का न लेकर ६ भैसों का टैक्स ले लेते है। बकरियों की चराई को ही ले लीजिये जो रेवारियों के गांव है उनसे भी यह चराई वसूल करते है और इन सारी चीजों को देखने वाला कोई नहीं। इस प्रकार की आज हमारे शासन में व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा जिनके पास जमीन नहीं है और एक भैंस रखते हैं अगर वह भैंस इधर उधर चली जाती है तो आपके वन विभाग के लोग उसको पकड़ कर ले जाते है। आप उनको जमीन भी

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

नहीं देना चाहते और उनको किसान भी न हीं बनने देते और उनसे एक भैंस की भी चराई लेते हैं। यह उचित नहीं है। मगर यह हालत है हमारी सरकार की।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं प्लान्टेशन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं........

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : रेवेन्यू विभाग अधिकार देता है कि जिस किसान के अपने खेत की जमीन में पेड़ होंगे वे पेड़ उस किसान के होंगे। लेकिन मेरे इकलेरा मनोहर थाना रेंज में कितने ही किसानों पर केस चला चला कर कोर्ट में मुसीबत में डाल रखा है, सैकड़ों रुपया उन पर जुर्माना हुआ है, लेकिन इस पर कोई गौर सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। कोटा में सारा वन गत्ता फैक्ट्री को दे देने से कोटा के सारे मवेशी भूखे मर रहे है, तांगों वालों के घोड़े घास के अभाव में मरगये हैं। वहां एक रुपये का एक पूला बिकता है, ५० हजार में गत्ता फैक्ट्री को ठेका दे दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दो लाख में ठेका दे दिया है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अच्छा दो लाख में ठेका दे दिया है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : ये बड़ी सीरियस बातें हैं, ध्यान देने योग्य है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कोटा में दूसरे रेंज से मंडाना रेंज से चारा मंगाया गया, इसमें कितना खर्चा पड़ा, जबकि डिपो के पास जंगल था, वह तो गत्ता फैक्ट्री को दे दिया है। क्यों नहीं इस गत्ता फैक्ट्री को शाहबाद और किशनगन्ज के जंगलों में लगा देते। पर आप इसे कोटा में लगाना चाहते है। एक तरफ आप कहते हैं कि बच्चों को तन्दुरुस्त रखने के लिए दूध देना चाहते हैं और दूसरी ओर जो आदिवासी मवेशी पाल पाल कर बच्चों को दूध पिलाते थे, उन्हें इस घास का ठेका गत्ता फैक्ट्री को देकर मवेशी पालने से और बच्चों को दूध पिलाने से बन्द कर दिया है उन बच्चो का दूध बन्द कर दिया है, क्या उनकी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी ?

मुई खाल की स्वांस सों सार भस्म हो जाय।

मुई खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाता है तो ये तो जिन्दा लोगों की बद्दुआयें हैं।

मछलियों का ठेका देने का गजट में ऐलान किया गया। पर क्योंकि अपने व्यक्तिगत आदमी को ठेका देना था, सारे ठेकेदार आये लेकिन दिया जोधपुर वाले को।

श्री भीखाभाई : मछलियों का वन विभाग में क्या सवाल है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मुझे मालूम नहीं था, मैं समझा आज ही है। प्लान्टेशन वाले क्या करते है, गांवों की चरागाह की जमीनें थीं वहां तार लगा दिये। मन्त्री महोदय को साथ में बिठाकर फोरेस्ट विभाग वाले

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

मोटर में से दिखा देते हैं कि देखिये हमने कितना वृक्षारोपण किया है। यदि मन्त्री महोदय वहां जाकर देखें तो वहां उनको एरंड के दरख्त नजर आयेंगे। पर मन्त्री जी दूर से देखकर कहते हैं कि कितना अच्छा वृक्षारोपण किया है। हमारा डी. एफ. ओ. कितना काबिल आदमी है। पर वास्तव में वे एरंड के वृक्ष हैं जो तीन साल से ज्यादा नही ठहरते। अब वहां तुलसी के पेड़ लगा रहे हैं, अरे साहब तुलसी के पेड़ तो अपने आप ही ऊगते हैं। इस प्रकार मन्त्री महोदय को चकमा दे रहे हैं। तुलसी के पेड़ कुदरती पैदा होते हैं, यह दवाइओं के काम में आता है। हर वहां तुलसी के पेड़ लगा रहे हैं, कुदरती ऊगे हुये पेड़ों को बताकर लाखों रुपया खा जायेंगे। इस तरह की व्यवस्था फोरेस्ट विभाग में है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए एक मिसाल देना चाहता हूं।

एक बार ऐसा हुआ कि एक बादशाह जो अपने आपको बड़ा इन्साफी समझता था रात को सोया हुआ था तो गीदड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर राजा जग पड़ा और कहने लगा मैंने तो बहुत इन्शाफ किया है फिर ये गीदड़ क्यों चिल्ला रहे हैं। बादशाह ने अपने मन्त्री को, अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात है, ये क्यों चिल्लाते हैं। सेक्रेटरी ने कहा सर्दी की मौसम है इसलिए सर्दी के मारे ये गीदड़ चिल्ला रहे हैं। इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि कल सुबह ही इनके लिए रजाइयां बनाई जांय और उन सब को ओढा दी जांय। रजाइयां तो नहीं बनी, पर बादशाह ने पूछा कि क्या रजाइयां बना दी गई तो उन्होने जबाब दिया कि सब बन गई। उसने पूछा कि कितना खर्चा आया तो बता दिया कि ५ करोड़ चालीस लाख खर्चा आया। कहा बहुत अच्छी बात है, कोई गीदड़ बिना रजाई के बचा तो नहीं, दो चार गीदड़ बच गये हों तो और रजाई बनवा दो। सेक्रेटरी ने कहा कोई नहीं बचा सब इन्तजाम हो गया सबको आराम हो गया। दूसरी रात को जब बादशाह सोया तो रात को गीदड़ फिर चिल्लाने लगे। बादशाह ने सेक्रेट्री को बुलाया और कहा क्या बात हैं अब क्यों चिल्लाते हैं ? इतने और कहां से आगये, इतने बिना रजाइयों के कैसे बच गये, तो कहा कि हुजूर बचे कोई नहीं, ये सब आर्शीवाद दे रहे हैं कि हम सर्दी में जकड़े जा रहे थे, बादशाह ने हमें सर्दी से बचा लिया। तो इस प्रकार हमारे मन्त्रियों को चकमा देकर आर्शीवाद देने की बात करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री उपाध्याय।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ) : माननीय अध्यक्ष, मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक वन में मेरे ६ कटौती प्रस्ताव हैं। मैं यह अर्ज करूं कि वन राष्ट्र की एक ऐसी सम्पति है जिसके द्वारा हमारी सरकार को

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

काफी लाभ होता है और यह प्रकृति का भव्य सुन्दर दिग्दर्शन है जिसके द्वारा हमारे यहां बहुत अच्छी अच्छी दवाईयां, इमारती लकड़ी आदि बहुत उपयोगी चीजें पैदा होती है। मैं अर्ज करूं आपसे कि इनका संरक्षण नहीं हो रहा है। वन का संरक्षण करने का सम्बन्ध जिस विभाग से है उस विभाग द्वारा वनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं। खास तौर से वन का सम्बन्ध कृषकों और मजदूरों से रहा है, कृषक, मजदूर उस तबके के लोग हैं जो बिल्कुल गरीब हैं और हमेशा इनका गुजर बसर बनों से होता आया है। मैं मिसाल दूं, मैं एक मर्तबा अलोटमेन्ट कमेटी में गया, किसानों से बात की। एक किसान ने मुझे अलग हटाकर पूछा कि आप लोग या आपकी सरकार, यदि हम लोग वन में से चार आने की लकड़ी भी लाते हैं तो हम लोगों का चालान करवा देती है और कारावास की सजा देती है पर आपके वन विभाग द्वारा सैकड़ों एकड़ जंगल नष्ट कर दिये जाते हैं उसके लिए कुछ भी नहीं होता। ७.७.६२ को यह इत्तला मुझे मिलती है, उसका मैंने डी. एफ. ओ. साहब से जिक्र किया और २०.७.६२ से २३. ७. ६२ तक ६०० एकड़ जंगल को नष्ट करने का स्वयं ने मौके पर निरिक्षण कराया। इस तरह चित्तौड़ रेन्ज के रक्षित जंगल को बर्बाद कर दिया गया। साधारण सी लकड़ी यदि कोई किसान जंगल से ले जाय तो उसका चालान कर दिया जाता है पर उस जंगल को लोगों से मिलकर चित्तौड़ रेन्जर ने अपने मतहत कर्मचारियों द्वारा नुकसान कराया, आखिर उसकी किसी तरह जांच हुई, जांच के बाद उस विभाग का रेन्जर था उसको मोअत्तिल किया और सारे के सारे जंगल का मूल्यांकन कराया गया, उस ६०० एकड़ में से १३६ एकड़ बिल्कुल बर्बाद हो गया और आखिर क्या होता है कि उस रेन्जर और उन कर्मचारियों को सरकार ने बहाल कर दिया। एक ओर तो वन हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं जिसके द्वारा हमारी अर्थ व्यवस्था चलती है, उस राष्ट्रीय सम्पत्ति को इस प्रकार इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही बर्बाद किया जाता है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाय तो कैसे संरक्षण हो सकता है मैंने इसकीइत्तला समय समय पर वन मन्त्री को और मुख्य मन्त्री को भी दी पर उन्होंने कोई तवज्जोह नहीं दी।

इसी तरह वन के सिलसिले में निवेदन करूं कि हम जागीरदारी इलाके में रहते थे उस समय डिमार्केशन हुआ था। आबादी के पास डिमार्केशन निकाल दिया। वहां के आदमियों को सहूलियत नहीं मिली जंगल में जाने की, आस पास पहाड़ी इलाका होने से। मवेशी नहीं चरा सकते। डिमार्केशन का वहां के लोगों को पता नहीं रहता। वे अनजान किसान हैं, समझते नहीं हैं, उनके मवेशी जरा इधर उधर होते हैं तो उन गरीब किसानों से भारी पैनल्टी वसूल की जाती है, इस तरह हजारों रुपया उन से वसूल किया जाता है, कांजी होज में उनके मवेशियों को दाखिल किया जाता हैं और एक एक मवेशी पर इक्कीस इक्कीस रुपया पैनल्टी उनसे वसूल की जाती है। इस तरह साम्राज्यवाद को भी उन अधिकारियों ने मात कर दिया है।

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

आखिर चित्तौड़ गगरा तहसील के ५१ गांवों के प्रतिनिधियों का २८ मई १९६३ को किसान सम्मेलन हुआ, श्री वर्मा साहब के तत्वावधान में। वन मंत्री महोदय भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आसाइशों के बारे में व्यवस्था करेंगे और शिकायतों की जांच करेंगे। शिकायतों की जांच के सिलसिले में जून के माह में तारीख ४ को, ५, व ११ और १२ को डी. एफ. ओ. साहब वहां पधारे। लगभग ५० किसान थे। उनको बताया गया कि किस प्रकार गरीब किसान कानून नहीं जानते और पहले परमीशन देकर फिर मुकदमा चलाते हैं और किस तरह एक एक रुपये के पचास पचास पैसे वसूल करते है। ये सारी बातें उनको बतलाई और सारी जानकारी मंत्री महोदय को भी दी। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस शिकायत की जांच करके अवगत कराएंगे लेकिन आज तक उनका एक भी पत्र हमें नहीं मिला। किसानों का काम खेती करने का है और मजदूर जो आदिवासी रहते हैं उनका काम लकड़ी बेच कर अपना निर्वाह करने का हैं। उनके ऊपर इस प्रकार का दमनचक्र चले और यह समाजवादी लोकतंत्र राज दमनचक्र चलाए और वन मंत्री महोदय कोई ध्यान न दे तो बड़े दुःख की बात है।

दूसरी बात यह है कि वन विभाग ने पंचायतों को आश्वासन दिया था कि उनकी गोचर भूमि में से जो आमदनी होगी उसका मूल्यांकन करके ६॥ परसेंट काटकर वापस पंचायतों को दिया जायगा और इसका एक नोटीफिकेशन सरकार की ओर से १५-१०-५८ को निकला। लेकिन वन विभाग ने तो गवर्नर के आर्डर को भी नहीं माना। अब तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया। बड़े दुःख की बात है कि एक ओर तो हमारी सरकार समाजवादी लोकतंत्र कायम करना चाहती हैं और दूसरी ओर आज उनके आदेशों का पालन नहीं होता है। पहले वन संपत्ति रक्षित नहीं थी लेकिन सरकार ने बाद में रक्षित की। आदिवासियों को प्रोत्साहन दिया, उनको हर तरह से सहूलियतें दीं, कानून निकले लेकिन वे सहूलियतें केवल कागज पर रह गई।

मेवाड़ सरकार ने कूप कटाई के लिए केवल तीन साल की मयाद रखी। यह मयाद खतम हुई। लेकिन हमारे वन विभाग वालों ने भ्रष्टाचार करने के तरीके निकाले और दस वर्ष की मयाद करदी वहां मवेशियों को धकेल–कर एक एक सौ और दो दो सौ मवेशियों रखे जाते हैं और उनसे चार चार सौ और पांच पांच सौ रुपए एक साथ वसूल किये जाते हैं। आप बताइये गरीब किसान ५०० रुपये कैसे जमा करा सके। उसको मवेशियां बेचनी पड़ती हैं, मजबूर होकर क्योंकि उनको कानून मालूम नहीं है।

सेमलपुरा प्लान्टेशन के अन्दर १९५६-५७ में प्लांटेशन का काम हुआ उस वक्त बिलानाम जमीन और गोचर भूमि में प्लांटेशन लगाए और किसानों से वायदा किया कि जो घास प्लांटेशन्स से मिलने वाली हैं वह उन्हें फ्री दी जायगी। उस घास को बीच में अधिकारियों ने मिलकर न तो सरकार में जमा कराया और यह सरकार में बताया कि फ्री दी गई और घास को इधर उधर कर

(चतुर्भुज उपाध्याय)

दिया। डी. एफ. ओ. और रेन्जर साहब को दरख्वास्त दी गई लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं हुई। आज शासन के अन्दर गरीब मजदूर और किसान को संरक्षण नहीं रहता है और विभाग के आदमियों का संरक्षण रहता है तो बड़े दुख की बात है। किस तरह हम समाजवादी सरकार को चलाएंगे। मैं वन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूं कि जो जंगलों को समझते हैं कि जो सहूलियतें देनी चाहिए वे नहीं मिलतीं। हमारे किसानों को आसाइश देने के लिए ब्लाक सिस्टम से काम होता है। ब्लाक १०–१० मील की एरिया में होता है। वह ब्लाक अगर दो पहाड़ियों के बीच में है तो एक काश्तकार जो २ बिस्वा जमीन काश्त करे वह किसान वहां से आसाइश कैसे प्राप्त करे। नतीजा यह होता है कि उसकी आशा पूरी नहीं होती। बहुत कम परसेंटेज किसान लाभ उठा सकते हैं और वहां पर भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से भेड़, बकरी, ऊंट आदि चलाने के लिए यही हालत है। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान बनने के बाद में काफी काम हुआ है किन्तु इस तरह से जंगलों का नुकसान हो जाय और सरकार चुप बैठी रहे, वह उचित नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस समय वन श्रम तथा आयोजन तीन मांगों पर बहस तलब है। वन विभाग के संबंध में पीछे जिक्र करूंगा पहले श्रम विभाग के बारे में कहूंगा कि हमारे राजस्थान का श्रम विभाग किस प्रकार श्रमिकों के हकों का संरक्षण कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था बनाने का दावा करती हैं उस सरकार के श्रम विभाग की जिम्मेदारी केवल यह नहीं मानी जा सकती कि वह कुछ आंकड़े इकट्ठा करे कि कितनी फैक्टरियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनी यूनियन्स रजिस्टर हुई हैं और इस प्रकार के कुछ आंकड़े उपलब्ध कर दे कि कितने श्रम झगड़ों का निपटारा हुआ। बल्कि मुख्य जिम्मेवारी किसी भी श्रम मंत्रालय की एक वेल्फेयर स्टेट की भी है। वह यह है कि वह मजदूर वर्ग के हकों की पूरी तरह से रक्षा करे, वह यह देखे कि मजदूर वर्ग की रीअल वेजज उनको मिल रही हैं या नहीं। सरकार इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए तमाम श्रम विभाग का संगठन करती है, कानून बनाती है और उन कानूनों के जरिए यह विभाग स्टेट पालिसी को लागू करने की कोशिश करता है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस दृष्टिकोण से हम अपने राजस्थान के श्रम विभाग को आज अगर देखें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि यह श्रम विभाग वास्तव में एक समाजवादी समाजवाद की कल्पना तो दूर रही, एक वेलफेयर स्टेट का श्रम विभाग भी नहीं। बल्कि एक जोइंट स्टॉक कंपनी जो कैपीटलिस्ट द्वारा चलाई जाती हैं, मुनाफा कमाने के लिए वह जिस तरह से लेबर वेलफेयर आफिस अपना खोल देते हैं उस तरीके से हमारा यह श्रम विभाग कार्य करता है। इस लेबर वेलफेयर ऑफिसर का मक्सद, उनका मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि श्रम को, जो वेल्थ को प्रोड्यूस करता है उसने उसका सही हिस्सा उसको मिले, उस लेबर वेल्फेयर ऑफिसर का जोइंट स्टाक कम्पनी में यह फर्ज नहीं होता कि वास्तव में लेबर कानून का मैनेजमेंट पूरे तरीके से माने बल्कि उस लेबर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वेल्फेयर ऑफिसर का काम यह होता है कि वह मजदूरों को किसी न किसी तरीके से चुप चाप रखे, मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं। वह वेलफेयर ऑफिसर इस बात का खयाल करता है कि किस तरह से प्रोफिट यूनियन्स कायम करके एम्प्लोयर का पक्ष करे, मजदूरों में फूट डाली जाय और इस तरीके से मजदूर संगठित न हो सके। वह वेलफेयर ऑफिसर इस प्रकार प्रयत्न करता है कि एम्प्लोयर के मुनाफे में अधिक से अधिक बढोतरी हो और कम से कम तनख्वाह में जितने मजदूर मिल सके उनको काम पर लगाया जाय। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज का हमारा श्रम मंत्रालय, चाहे इसकी कुछ अपनी मजबूरियां हो, दूसरे मंत्रालयों की, स्टेट की पोलिसीज़ उनको मजबूर करती हो, उस हद तक उनकी जाने की मजबूरी हो लेकिन जो वास्तविक बाते है उनकी ओर से आंखे नहीं मूंदी जा सकती हैं। श्रम मत्रालय का वास्तविक उद्देश्य यही है और होना चाहिये कि मजदूरों के वास्तविक हितों की रक्षा हो, मजदूरों के जो रीयल वेजेज़ है वे उनको मिल जाय। उसका उद्देश्य इस बात को देखने में है कि राष्ट्र में प्रोडक्शन हो रहा है।

(१०.५० म० पू०)

राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन

जो वैल्थ इन्क्रीज़ हुई हैं, उसका बढ़ा हुआ हिस्सा मजदूरों को मिलना चाहिये जो नहीं मिलता है, इस बात को देखने में है कि मजदूरों को संरक्षण देने में, जो भी कानून बने सही रूप में बने और उनका सही तरीके से इम्पलीमेन्टेशन हो। इस काम में श्रम मंत्रालय बिल्कुल असफल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमारे देश में इमरजेन्सी की स्थिति पैदा हुई और उसमें हमारी सरकार ने ट्रूस करवाने की कोशिश की। मजदूरों, मालिकों और सरकार ने मिल कर एक ट्रूस रिजोल्यूशन पास किया जिसमें कुछ मजदूरों पर दायित्व था, सरकार पर दायित्व था और एम्प्लोयर्स पर भी दायित्व था।

जहां तक मजदूरों का सवाल है इस रिपोर्ट में भी सरकार ने माना है कि मजदूरों ने शानदार कान्ट्रिब्युशन राष्ट्रीय डिफेन्स फन्ड में किया। मजदूरों ने प्रोडक्शन को भी बढ़ाया। मजदूरों ने जहां तक संभव हुआ इस दौरान में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने की कोशिश की। लेकिन इसके मुकाबले में एम्प्लोयर्स ने क्या किया। क्या एम्प्लोयर्स ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे एम्प्लोयर्स हों, चाहे सरकार, उस ट्रूस रिजोल्यूशन के मुताबिक दोनों अपने दायित्व को निभाने में बिलकुल असमर्थ रहे?

उपाध्यक्ष महोदय, इस दौरान की सबसे बड़ी समस्या जो मजदूर वर्ग के सामने आयी वह है मंहगाई और उस ट्रूस रिजोल्यूशन का जो वाइटल हिस्सा था वह यह था कि गवर्नमेंट प्राइस लाइन को होल्ड करेगी। गवर्नमेन्ट ने यह सोलम एश्योरेन्स दिया था कि मंहगाई को नहीं बढ़ने दिया जायगा कि जिससे मज़दूरों के रीयल वेजेज में कमी नहीं पड़े। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता गवर्नमेन्ट प्राइस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लाइन को होल्ड करने में अटरली फेल हुई हैं। प्राइसेस किस कदर बढ़ी हैं उसका जिक्र हाउस में हो चुका है। मैंने अपने भाषण में यह जिक्र भी किया था कि ५४ करोड़ रुपया अन अर्न्ड इन्कम ब्लेकमार्केटियर्स और होर्ड्स कमा ले गये और वह गयी किस की जेब में ? श्रमिकों की नहीं। उस इन्कम में से जितना परसेन्टेज उनको मिलना चाहिये था श्रमिकों ने उसका नुक्सान उटाया।

उपाध्यक्ष महोदय, उस ट्रूस रिजोल्यूशन में यह बात भी थी कि अगर मंहगाई है तो एम्प्लोयर्स की तरफ से जहां ३०० से अधिक मजदूर होंगे वहां चीप ग्रेन शोप्स खोली जायेंगी ताकि प्राइस अगर बढ़ जायें तो सितम्बर १६६२ में जो प्राइसेस थीं उन प्राइसेज पर ही आवश्यक वस्तुएं खाद्यान्न वगैरह मजदूरों को मिलेंगे। लेकिन उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। तीन सौ मजदूर थे वहां पर भी एम्प्लोयर्स की तरफ से चीप ग्रेन शोप्स नहीं खोली गयीं। रिपोर्ट में कुछ दुकानें खोलने की बात कही गई है। जहां तक मेरी जानकारी है गवर्नमेन्ट की चीप ग्रेन शाप्स, जिनमें सड़ा गला जैसा भी अनाज सरकार देती है, उसमें बिक रहा है, जो मजदूरों को एश्योरेन्स दिया गया था कि मालिकों को अपने बजट में से चीप ग्रेन्स शाप्स खोलकर अच्छा अनाज मजदूरों को देना चाहिये था, उस एश्योरेन्स को मालिकों ने नहीं निभाया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से नेशनल डिफेन्स फन्ड में जबरदस्ती मजदूरों से काम लिया। मालिकों ने कहा कि यदि ओवरटाइम मजदूर काम करेंगे तो उनका जितना कान्ट्रिब्यूशन होगा, जितना वे कान्ट्रिब्यूट करेंगे उतना ही कान्ट्रिब्यूशन मालिकों की ओर से दिया जायगा। मजदूरों ने काम किया लेकिन मालिकों ने अपना कान्ट्रिब्यूशन नहीं दिया। इतना ही नहीं पाली और गंगानगर में इतवार की छुट्टी होती है। मजदूरों को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया गया। मजदूर इस बात के लिए तैयार थे कि सन्डे को काम करने की हालत में उनको ओवर टाइम का डबल वेतन मिलना चाहिये और मजदूर वह ओवर टाइम का डबल का डबल वेतन राष्ट्रीय डिफेन्स फन्ड में देने के लिए तैयार थे उस हालत में जब कि मालिक भी उतना ही डबल कान्ट्रिब्यूशन दे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ? लेबर डिपार्टमेन्ट ने ट्रूस रिजोल्यूशन के मुताबिक मजदूरों का समर्थन नहीं किया। जबरदस्ती सन्डेज को काम कराया गया। उनको डबल पेमेन्ट मिलना चाहिये वह न मिलकर एक वेज मजदूरों का मानकर और एक मालिकों का मानकर वह राष्ट्रीय डिफेन्स फन्ड में दिया गया।

इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, जो ट्रूस रिजोल्यूशन था उसमें मालिकों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया और सरकार ने भी उस वायदे को पूरा करने की कोशिश नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बात थी कि रिट्रेन्चमेन्ट नहीं किया जायगा। इस दौरान में मजदूरों से कहा गया था कि जहां वे हड़ताल नहीं करेंगे वहां यह आश्वासन उनको दिया गया था एम्प्लोयर्स की तरफ से कि रिट्रेन्चमेन्ट नहीं किया जायगा। अगर रिट्रेन्चमेन्ट में कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो भी जाय कि जिसमें

Page No.82

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी डिपार्टमेन्ट का बन्द करना आवश्यक ही हो तो ऐसी हालत में एम्प्लोयस उस मामले को लेबर डिपार्टमेन्ट को रेफर करेंगे और खोज बीन करने के बाद ही ऐसी कार्यवाही की जायगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय जो प्राइवेट क्षेत्र हैं उनकी तो बात ही क्या कहूं, खुद सरकार एक बहुत बड़ी एम्प्लोयर बन गयी है और अफसोस की बात है कि सरकार ने अपने ही जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जैसे पी० डब्ल्यू० डी० उसमें सरकार ने रिट्रेन्चमेन्ट किये और इस ट्रूस रिजोल्युशन के दौरान में लोगों को बेलदारों वगैरह को नौकरी से कम किया। काफी लोगों को कम किया और इस तरीके से उस ट्रूस रिजोल्युशन का खंडन किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी प्रोब्लेम इस दौरान की, जैसा मैंने जिक्र किया, मंहगाई की है। सरकार को यह चाहिये था कि अगर वह प्राइस लाइन होल्ड नहीं कर सकी तो जितनी मंहगाई बढ़ती गई थी उसके अनुपात से मजदूरों को मंहगाई भत्ता दिलाती। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह रिप्रेजेन्ट किया गया मजदूरों की तरफ कि जो मंहगाई सूचक अंक आप निकाल रहे हैं वे फ्राडूलेन्ट हैं, गलत हैं, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठायें। लेकिन इसके फ्राडुलेन्ट होने की वजह से कितना एम्प्लोयर्स को फायदा हुआ, कितने मजदूरों को नुकसान हुआ यह बात तो रही अलग इसका किस प्रकार घाटा पूरा करायेगी यह एक्सपर्ट कमेटी के आने पर ही मालूम होगा जब वह अपनी रिपोर्ट दे देगी। अकेले बम्बई शहर में कितने ही करोड़ रुपये मजदूरों को मिले हैं। फ्राड फीगर्स दिये लेकिन मालिकों को देना पड़ा और मजदूरों ने अपने संगठन की बिना पर लिया है। इस तरीके से यहां राजस्थान में अभी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बिठायी उसका में स्वागत करता हूँ। इस फ्रॉड की वजह से जितना मजदूर वर्ग को नुकसान हुआ वह तमाम घाटा मालिकों से दिलाने के लिये यह सरकार मजबूर करेगी, इस बात के लिये सरकार को आश्वासन देना चाहिये।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी इन्डेक्स नंबर में बढ़ोतरी हुई है सरकार ने उस हिसाब से मंहगाई भत्ता नहीं दिया है। आखिर जब मजदूरों को मिल कर सामूहिक रूप से कदम उठाना पड़ा और १६ दिसम्बर को जबरदस्त प्रदर्शन निजी क्षेत्र के मजदूरों द्वारा और सरकारी क्षेत्र के मजदूरों के द्वारा किया गया। उस प्रदर्शन में करीब १० हजार मजदूर शामिल हुए तब सरकार की आंखें खुलीं तब इस प्रकार की एक्सपर्ट कमेटी बिठाई। मंहगाई भत्ता देना चाहिये इस बात को स्वीकार किया। १८ तारीख को जब कि असेम्बली बैठ रही थी, मजदूरों द्वारा स्ट्राइक का नोटिस दिया गया केवल तीन दिन पहले पांच रुपये मंहगाई भत्ते की घोषणा की गई अन्तरिम तौर पर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब सरकार को दिखाई पड़ रहा था कि मंहगाई बढ़ती जा रही है मजदूरों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है उसके बावजूद एक तरफ आप मंहगाई नहीं रोक सके, ट्रूस रिजोल्यूशन के अनुसार, जिस अनुपात से मंहगाई बढ़ रही है उसी अनुपात से मंहगाई भत्ता दिया जायेगा उससे परे हटते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जा रहे हैं। अब भी आप जो मंहगाई भत्ता दे रहे हैं, पांच रुपया दे रहे हैं, एडहाक रूप में सरकारी क्षेत्र में जब कि पिछले अकड़े खुद सरकार ने माने हैं मंहगाई सूचक अंक १४५ तक पहुंच गया है। उसके बाद के आंकड़े लें तो वह लगभग १६० से ज्यादा तक पहुँच गया है। ४१ परसेन्ट अकेले जयपुर शहर के अन्दर बढोतरी हुई है, यहां पांच रुपये से आप कम नहीं कर सकते। आपके सामने एक सीधा सवाल है जिसमें इस सरकार को निर्णय लेना चाहिये कि वह क्या नीति अपनायेगी ? क्या इस आधार पर हमारे देश का जो डेवलपमेन्ट किया जा रहा है। आप देश का निर्माण मजदूरों की रिअल वेजेज से कटौती करके करना चाहते हैं ? हम यहां पर चाहते हैं कि मजदूर वर्ग देश के विकास में, देश की सुरक्षा में दिलचस्पी लें; हमेशा मजदूर वर्ग ने देश के लिये बलिदान किया है और हमेशा करता रहेगा। आज मजदूर वर्ग इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर सकता कि मजदूर वर्ग के रिअल वेजेज में कमी करके देश के अन्दर मोनोपोलीज को प्रोत्साहन दें। इस दौरान में जो कुछ हुआ, हमारे सामने स्थिति यह है कि रियल वेजेज के अन्दर कमी हुई है और एम्पलोयर्स का मुनाफा बढा है। उनको ज्यादा फायदा हुआ है इसलिये आज हम सरकार से यह चाहते हैं कि सरकार सीधे तरीके से घोषणा करे कि मजदूरों के रिअल वेजेज में कमी नहीं होने दी जायगी, इसका साफ मतलब यह है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को माने कि जितनी मंहगाई होगी उतना सेन्ट परसेन्ट न्यूट्रेलाइजेशन करके मंहगाई भत्ता मजदूरों को देंगे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो। उतना ही सरकार अपने कर्मचारियों को भी देगी और दिलायेगी। अगर आप किसी तरह से इस जिम्मेवारी से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि इस नीति को स्वीकार नहीं करते। रिअल वेजेज से मजदूरी को गिराने से रोकने की जिम्मेवारी की गारन्टी सरकार नहीं देना चाहती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने एक्सपर्ट कमेटी बिठायी है उसको आपने टर्म्स ऑफ रेफ़रेन्स क्या दिया उसमें ये सारी बातें निहित हैं या नहीं लेकिन मजदूरवर्ग की मांग है फुल न्युट्रेलाइजेशन होना चाहिये। जो तरीका सेकन्ड पे कमीशन ने अपनाया मजदूर वर्ग उसको स्वीकार करना नहीं चाहता। उसने बारह महीने का पीरियड रखा १० पोईन्ट बढे १२ महिने में तो १ पोइन्ट मंहगाई भत्ता दिया जायगा। इस बारह महीने की बात को मजदूरवर्ग नहीं मानता है। हम यह चाहते हैं कि आप हर महीने हिसाब करें अगर एक पोइन्ट बढे तो एक पोइन्ट पर मंहगाई बढे और महीने में उसी महीने में बढा दी जाय। हर महीने के हिसाब से रखें। और इसके साथ साथ फुल न्युट्रेलाइजेशन की बात करनी पड़ेगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि वेजेज के बारे में, बेसिक वेजेज के बारे में, उसके प्रिन्सिपल्स के बारेमें इस सरकार को अपनी नीति की घोषणा करनी चाहिए। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने जो अपनी नीति की घोषणा की है, मैं समझता हूं यह सरकार भी उसी पार्टी का हिस्सा है। १५ वीं लेबर

Page No.84

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कान्फ्रेन्स जो नैनीताल में हुई इस प्रिन्सिपल को स्वीकार किया गया, बेसिक वेजेज, न्यूनतम जो आवश्यकता है मिनिमम स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिये उसी आधार पर मुकर्रर की जानी चाहिये। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राजस्थान में जितनी मिनिमम वेजेज के लिये कमेटियां या रिवीजन के लिये कमेटियां बनाई गई उनमें किसी को कोई टर्म्स ऑफ रेफरेन्स नहीं दिया गया। मिनिमम वेजेज की पॉलिसी उसकी नीड के आधार पर बनायी जायगी यह किसी को नहीं कहा गया सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है कि बेसिक नीड के आधार मुकर्रर होनी चाहिये। इसी तरीके से चाहे सरकारी औद्योगिक क्षेत्र हो गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र हो, सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न हो सारे राजस्थान में बेसिक आधार पर वेजेज का राष्ट्रीयकरण किया जाना आवश्यक है। सरकारी कर्मचारियों के लिये पे कमीशन का मुकर्रर किया जाना आवश्यक है, वेजेज का जो स्ट्रक्चर बनायें, उसमें मिनिमम वेजेज इसी आधार पर तय हों। इसके बदले में हमारी सरकार क्या कर रही है? मजदूरों का कहना है कि अगर आप इस नीड के अनुसार वेजेज की पोलिसी को मानते हैं तो हर मजदूर को कम से कम आपको १०५) रुपया देना चाहिये। मजदूरों ने अपने मेमोरेन्डम में यह भी कहा है कि अगर आप इतना नहीं दे सकते हैं तो ८० रुपया इमीजियेटली कर दीजिये और डेढ वर्ष के अन्दर १०५) रु० के मिनिमम वेजेज तक पहुंचा दें। इधर पंजाब में सरकार ने मिनिमम वेजेज ८५) रुपया मुकर्रर कर दिया है। वे १००) रुपया भी करने वाले हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जो रिवीजन कमेटी बिठायी है उसके अन्दर ६०) और ६५) रु० से अधिक न बढे, इस बात का निर्देश दिया गया है।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : I raise an objection to this. we are not to force the Committee.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का दुर्लक्ष्य कितना है इस बात के अन्दर वह इस बात से साफ है कि सन् ५७ के बाद इस बात पर जोर डाला जा रहा है रिवीजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है उस पर विचार होकर अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है न मालूम कितना लम्बा वे इस मामले को ले जायेंगे।

आप इस बात पर आश्चर्य करेंगे, आपके इस फैसले को दूसरे डिपार्टमेन्ट नहीं मानने वाले हैं। आप मिनिमम वेजेज का कानून पी० डब्लू० डी० पर लागू नहीं कर सकते, पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर आपकी बात मानने वाले नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० में मिनिमम वेजेज के अनुसार ४५ रुपया मुकर्रर है। लेकिन स्केअरसिटी एरियाज के अन्दर आप १.२ आना देकर काम करवाते हैं। श्रम मंत्री पी० डब्लू० डी० मिनस्टिर का प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं करवाते कानून की अवहेलना कर रहे हैं, खुले तौर पर तोड़ रहे हैं........

श्री भीखाभाई : There the rates are regulated by the Famine Code.

Page No.85

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फेमीन कोड में ऐसी कोई चीज नहीं है। फेमीन कोड कोई कानून नहीं है, सिर्फ टिनेन्सी एक्ट के तहत रूल्स बने हुए हैं। क्या आप उसको ओवर राइड नहीं करते। मिनीमम वेजेज एक्ट के तहत कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि इन स्केयर्सिटी एरियाज के अन्दर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होगा।

इसके बावजूद यह वाकया है कि आपके पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर १ रुपया दो आने में मजदूरों से काम ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप, श्रम मन्त्री, ने क्या किया मजदूरों के हित में, उनके हितों की रक्षा करने के लिये ? क्या आप चाहते हैं कि अकाल पड़े, और जिस तरह पहले अकाल पड़ते थे तो उन अकालों का फायदा उठाकर राजा महाराजा लोगों ने अपने महल बनवाये सस्ती मजदूरी करके, मजदूरों का शोषण करके, उसी तरह आज आप भी अकाल डाल डाल कर मन्त्री बने, अपनी गलत नीतियां से अकाल डालें, और फिर पंचवर्षीय योजनाओं की सड़कों को मजदूरों का शोषण कर करके एक रुपया और दो दो आना दे देकर सस्ते में पूरा करना चाहते हैं ? यह कौनसा आपका कानून है। आप खुद अपने कानूनों को तोड़ते हैं और फिर आप दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे कानूनों को मानेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इम्पलीमेन्टेशन का सवाल है कानूनों के........

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly be brief now.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी पार्टी में सिर्फ मैं ही बोलने वाला हूं। I Shall finish within time.

उपाध्यक्ष महोदय, तीस मिनिट तक की इजाजत दी हुई है। कल मन्त्री महोदय से बातचीत हो रही थी तो कहने लगे निजी उद्योगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वे पांच रुपया डियरनैस दें। अगर सरकार कुछ वास्तव में इच्छा रखती है और मजदूरों का हित करना चाहती है तो वह कानून बना सकती है। मेरा ही एक प्राइवेट बिल है, आप उसको ही मन्जूर कर लीजिये। जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा। आप लीगल पॉवर अपने हाथ में लीजिये। सात आर्डिनेन्स पेश कर दिये और उनको पास करा लिया आपने दाई और नर्सों को भी रेगुलेट करने के लिये आपने आर्डिनेन्स का सहारा ले लिया तो इसमें कौनसी दिक्कत है आपको कि आप इसमें कानून भी नहीं बना सकते, बिल नहीं ला सकते यहां; यह सोचने की बात है। If there is a will, there is a way 'जहां चाह वहां राह' है। आपका डिपार्टमेन्ट सलाह आपको नहीं देता तो आप दूसरों से पूछ कर कर सकते हैं यह रास्ता है आप कानूनी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जहां तक कानून के इम्पलीमेन्टेशन की बात है, उन इम्पलीमेन्टेशन्स में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी यह सरकार इस तरह से बेबसी जाहिर करती है। आज जब यह सरकार समाजवादी समाज की बात करती है तो स्टेट सबसे पहले एम्प्लोयर बनती है सबसे बड़ी बनती है, और अगर सरकार के श्रम मन्त्री और मन्त्रालय की प्राइवेट कम्पनी के वेलफेयर लेबर आफीसर की जैसी स्थिति बन जाय तो हालत यह बन जावेगी कि यह समाजवादी-समाज नहीं रहकर स्टेट कैपिटेलिस्ट टाइप की कोई सरकार बन जावेगी। इसका मतलब यह होगा कि आप नेशनेलाइजेशन के नारे को डिफीट कर देंगे। नेशनेलाइजेशन के मजदूर खिलाफ हो जावेंगे। तो इस तरह सरकारी कब्जे में लेकर आप आमदनी करते हैं और पूरे वेजेज नहीं देते हैं तो असन्तोष बढ़ेगा। श्रम कानूनों को स्वयं सरकार पूरा नहीं करती है तो यह सरकार की नीति के खिलाफ पड़ जायेगा।

आज यह स्थिति है कि खुद पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर, आपने यहां जो पांच रुपया अन्तरिम तौर पर देने की घोषणा की, उसके अनुसार आपका इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, जो सेमी गवर्नमेन्ट संस्था है, उसने अपने कर्मचारियों को यह अन्तरिम भत्ता देने की अभी तक घोषणा नहीं की कि वह उनके कर्मचारियों को भी मिलेंगे। म्यूनिसिपल कमेटियों ने डिक्लेअर नहीं किया है और प्राइवेट उद्योगपतियों की मीटिंगों में तो आप जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और पैरों में पड़ते हैं और उनकी खुशामद करते हैं कि आप भी किसी तरह से यह बढ़ा दो।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) क्या आप नहीं करते ?

(अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से और कितने ही मामले हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) He has no party. Why he is taking the time of others.

श्री उपाध्यक्ष : He is within his time.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक सरकार द्वारा सरकार के स्वयं के कानूनों के इम्पलीमेन्टेशन की बात है, सरकार कुछ बड़े बड़े लोगों से, असरदार संस्थाओं से डरती है। मैं जिक्र करूं जो श्रमजीवी पत्रकार हैं उन के सवाल को यह सरकार हाथ में लेने से डरती है। जयपुर में ही एक 'लोकवाणी' अखबार निकलता है। वह प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट की बात तो अलग रही। वह एक पब्लिक संस्था है। उसमें आज क्या हालत है श्रमजीवी पत्रकारों की ? मैं बताता हूं। बीस-पच्चीस हजार रुपया आज की तारीख में वहां के श्रमजीवी पत्रकारों का उस संस्था की तरफ बाकी है। चाहे जब मैनेजमेन्ट की तरफ से कह दिया जाता है कि बस चार पांच महीने की तनख्वाह छोड़ दो और कह दिया जाता है उनको कि उसे तो आप होर्ड कर दो, आगे से रेगुलर मिला करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोवीडेन्ट फण्ड के नाम पर वह रकम जमा कर दी जाती है और, उपाध्यक्ष महोदय, जस्ट वन मिनिट, पर मैनेजमेन्ट की तरफ से कुछ नहीं रखा जाता। आज पैसे की कमी बताई जाती है। नये नये व्यक्तियों को नये नये तरीकों से भरती किया जाता है। पर मैं निवेदन करूंगा कि क्या सरकार 'लोकवाणी' के हिसाब किताब को देख नहीं सकती ? क्या वास्तविक स्थिति को देखकर मजदूरों की जो तनख्वाहें चढ़ी हुई हैं श्रमजीवी पत्रकारों को वे आप नहीं दिला सकते ? उनको दबाकर रखा जाता है। तीन चार हजार रुपया उनका चढ़ा हुआ है।

(समाप्ति)

(अनवरत समय सूचक घंटी)

तो इन बातों के साथ मैं कहूंगा कि सरकार श्रमनीति में बिलकुल असफल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बरफा।

श्री चन्द्रसिंह बरफा : (बिलाड़ा) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या ३७ मुख्य शीर्षक ७०-वन विभाग के सम्बन्ध में है।

माननीय वन मन्त्रीजी ने बजट अनुदान की मांगें पेश करते समय ३६ लाख ३७ हजार के खर्चे का बजट मन्जूरी के लिये सदन के सामने प्रस्तुत किया। उस बजट को देखने से यह प्रतीत होता है कि जहां खर्चा ८६ लाख ३७ हजार है वहां आमदनी सिर्फ ८६ लाख २२ हजार ही है १५ लाख १५ हजार का घाटा बताया है।

जिस वन विभाग को हम और हमारी सरकार एक आमदनी का जरिया मानती है उसी में घाटे का प्रश्न पैदा हो रहा है ?

इसके सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वन मन्त्रीजी से कहूंगा कि यह घाटा होने का एक ही कारण है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार अपकी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है। घास या पशु पालन के सम्बन्ध में जो वस्तुएं खर्च की जाती हैं उनमें से वहां के सरकारी स्टाफ के लोग खा जाते हैं, और जानवरों को कम सप्लाई करते हैं और अपने निजी फायदे में उनका उपयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में हमारी ओर से समय समय पर मन्त्री महोदय को काफी लिखा भी गया है।

जोधपुर में आज अकाल की स्थिति के कारण जोधपुर खण्ड में वन विभाग की ओर से कुछ काम चल रहे हैं। पर वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण या निजी फायदा उठाने के कारण सरकार का काफी नुकसान हो रहा है। वन मन्त्री का ध्यान लिख कर इस ओर आकर्षित भी किया, पर कुछ नहीं हुआ। मैं निवेदन करूं कि सबसे पहले मैंने मन्त्री महोदय को दिनांक १०-७-६३ को एक पत्र लिखा जिसमें गुढा एन्दला में गड़बड़ी का जिक्र किया था। कलेक्टर पाली को भी इस बारे में कान्फिडेन्शियल लेटर लिखा कि वहां के कर्मचारी वहां के मवेशियों द्वारा जिले के घास को नष्ट कर रहे हैं। आप इसे इस अकाल के वक्त में रोककर हमारी सरकार

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

के हाथ मजबूत करें। उसी दिन उस पत्र की कापी वन मन्त्रीजी को भी मैंने दी, पर अफसोस है, वन मन्त्री की ओर से भी उसकी जांच का कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया। इसके बाद में मैंने डी० एफ० ओ० से चिट्ठी लिखकर पर्सनल इन्टरव्यू के लिये समय मांगा पर नहीं दिया। वहां के ईमानदार कर्मचारियों ने अधिकारियों को रजिस्टर्ड लेटर लिख-लिख कर बताया कि यह टीप नीलाम किया जा रहा है उसमें बहुत अनियमितताएं हो रही हैं, जांच कराई जावे, पर कोई जांच नहीं हुई सो नहीं हुई, उल्टे ईमानदारी से काम करने वाले उन कर्मचारियों का तबादला वहां से कर दिया जाता है। एक को जैसलमेर फोरेस्ट गार्ड को भेजा और कहा कि तुम मशीन ड्राइवर की पोस्ट पर काम करो। बड़े शर्म की बात है, विभाग के अधिकारियों के लिये यह क्योंकि विभागीय अधिकारियों का निजी फायदा था, उसमें हस्तक्षेप करने वाले ईमानदार आदमियों को यह ईनाम मिला।

ऐसे ईमानदार आदमी का आज गला काटा जा रहा है। मैं निवेदन करूं कि एक श्री जेठसिंह जिसकी वाइफ दो साल से बीमार है उसको उसकी वाइफ के बीमार होने के कारण जोधपुर में रखा गया, वहां पर उस बेचारे को जहां एक बी०डी० जोड़ जो नीलाम करने का प्रश्न आया, क्योंकि उसके चार्ज में था उसने कहा कि पैसा कम आ रहा है इतना सा हस्तक्षेप किया। तो इतना कहने के बावजूद उसका दूसरी बार ठेका हुआ और जो कुछ पैसा बी०डी० ओ० या डी० एफ० ओ० को मिलना था वह नहीं मिला और इसके कारण उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। आज उसकी वाइफ बीमार है और वह अभी तक जैसलमेर के धोरों में टापे खा रहा है। यह श्रम मंत्री जी की ढिलाई का नाजायज़ फायदा उठाया जा रहा है।

जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य श्री 'कालाबादल' जी ने कहा था। मैं उनकी बातों की बिलकुल ताईद करता हूं और बिल्कुल उपयुक्त मानता हूँ। इसके बारे में जब कि मैंने इनसे इन्टरव्यू मांगा और हमारे चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट्स ने अपना जवाब दिया है तारीख ७-१-६४ को। कहते हैं कि हमने इन्क्वायरी के समय में कोई भी बात नहीं पाई ? क्यों नहीं पाई गयी, मैंने निवेदन किया कि मुझे साथ रखकर इन्क्वायरी कीजिए, लेकिन उसका सवाल पैदा नहीं हुआ। इसके साथ साथ एक वक्त इन जोड़ों के संबंध में मुख्य मंत्री जी के नाम का एक खुला पत्र निकला था लेकिन अफसोस है कि न तो मुख्य मंत्री जी की ओर से और न श्रम मंत्री जी की ओर से कोई एक्शन लिया गया।

हमारे जोधपुर में पशु-पालन के संबंध में मैं आपको बताऊं कि रीछों के लिए मांस और दूध आता है। उसमें डी० एफ० ओ० साहब के अलसेशन कुत्ते हैं जो कि उनके प्राईवेट हैं उनको एक पौंड फी कुत्ता मांस पहुंचता है और दूध पहुंचता है। इस तरह से इस हैड के अन्दर हमारे श्रम मंत्री ने जो १० हजार का खर्च मांगा है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं होता है।

इसके साथ ही ११-२-६४ को कुछ नीम काटे गये सरकार ने आदेश दिये या डिपार्टमेंट के आदेश थे कि इन गोलियों का नीलाम किया

Page No.89

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

जाये, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये श्रम मंत्री को बताना चाहता हूँ कि नीमों की गोलियां नीलाम न होकर, फर्नीचर बन रहा है रेंजर फतह राज खेमचा के यहां जब कि मैं निवेदन करूं कि जो गोदाम हैं अगर बनवाना है तो सरकारी गोदाम में रखवाते।

श्री भीखाभाई (श्रममंत्री) : मुझे रेफरेंन्स नहीं मालूम पड़ा कि माननीय सदस्य कहां का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : मैं जोधपुर खण्ड का जिक्र कर रहा हूं। मैंने पहले भी निवेदन कर दिया था......।

श्री भीखाभाई : फर्नीचर बना रहे हैं। कहां से लकड़ी आई है, क्या बात है, मुझे मालूम तो पड़े ?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : जोधपुर में रेंजर श्री फतहराज खेमचा के मकान में जो फॉरेस्ट की नीम की गोलियां आई थीं उसके नीलाम होने के ऑर्डर थे और बजाय नीलाम होने के फर्नीचर बन रहा है और प्राईवेटली ३ लेबरर्स को लगाकर रात दिन काम हो रहा है।.......

श्री भीखाभाई : नीमोली और लकड़ी का क्या मतलब है ?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : वह सरकारी लकड़ी है और डिपार्टमेंट से संबंध रखती है। पेड़ के तने को गोली कहते हैं हमारे यहां। आप निःसंकोच रहें गोली के नाम से डरें नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : वह तो स्वयं गोलियां देते हैं आयुर्वेद की।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है। एक मिनिट और दिया जाता है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : कल भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को समय नहीं मिला था।

श्री उपाध्यक्ष : कल भी मिला था और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन बोलने वाले बहुत हैं, इसलिए शीघ्र समाप्त करें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : इस प्रकार से जोधपुर के रेंज में होने वाली अनियमितताओं के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में २२ अगस्त, १९६३ को जोधपुर के एक समाचारपत्र में न्यूज निकली है। उसके सम्पादक महोदय ने मंत्री महोदय से कहा था कि ऐसे लोगों की अविलम्ब जांच कर उनके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये, वर्ना राज्य सरकार को इससे बड़ी भारी हानी उठानी पड़ेगी। फिर भी हमारे मंत्री महोदय सोते रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please !! Shri Davendra Kumar.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से अभी तक दो स्पीकर बोले हैं केवल दस दस मिनट के लिए। We have been given only 20 minutes.

(श्री चन्द्रसिंह नर्फा)

श्री उपाध्यक्ष : I have called Shri Devendra Kumar.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसलिए पार्टीज के हिसाब से समय देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह कहा गया था कि जिस क्रम में जिन लोगों के मोशन हैं उसी तरीके से माननीय सदस्य बोलेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन वह क्रम नहीं आ रहा है। क्योंकि लेबर डिपार्टमेन्ट में हमारी पार्टी का प्रथम मोशन है। इसलिए वह देख लें और वह क्रम जारी रख लें।

श्री उपाध्यक्ष : वह क्रमवार ही करीब करीब आ रहा है और जो माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि प्रत्येक पार्टी का एक समय निर्धारित है और उसके अन्दर या तो निर्धारित समय के अन्दर एक ही व्यक्ति बोल जाये या उसका बंटवारा आपस में करके बोलें, तो उस दृष्टि से चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी के भी एक माननीय सदस्य भी विट्ठल बोल चुके हैं २० मिनट के लिए।

श्री देवेन्द्र कुमार (सहाड़ा सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३४........

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि जो पार्टी अपने जितने सदस्यों को बुलवाना चाहें प्रत्येक मेम्बर उतना ही नियंत्रण रखेगा और उतना ही बोल सकेगा। अगर एक मेम्बर सारा समय ले लेगा तो मैं भी बाध्य हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पार्टी की तरफ से केवल एक ही सदस्य बोला है।

श्री देवेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आज सरकार ने हमारे आदिवासियों के लिए बहुत अच्छे नियम बनाये हैं। परन्तु दुख होता है कि जंगलात के संबंध में जो नियम बनाये गये हैं उनका दुरुपयोग होता है। हम लोगों को जो वन में रहते हैं उनको तीन चीजों की जरूरत होती है। खेती के लिए लकड़ी, कुओं पर रहट के लिए लकड़ी और मकान बनाने के लिए लकड़ी। परन्तु समय पर हमको वह लकड़ी नहीं दी जाती है और उसमें हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि इस तरह से आदिवासी न तो पढ़े-लिखे हैं और न इन नियमों को जानते हैं। जून-जुलाई के महीने में जिस समय आदिवासी अपने मकान बनाते हैं उस समय क्या होता है कि जो जंगलात होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और जो भी जाते हैं उनको कहते हैं कि वन तो सो गया और लकड़ी नहीं मिलेगी। यह आदिवासी सोने का नियम क्या जानें? सो जाने का मतलब यह है कि लकड़ी नहीं देने का कारण होता है। सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि हम आदिवासियों को किस तरह से सुविधायें दी जाती हैं। ठेका सहकारी समितियां बनायी जाती हैं उसका दुरुपयोग किस तरह से होता है, हम लोग जो गरीब फटे चिथड़ों वाले हैं जो वनों की रक्षा करने वाले हैं उनका दुरुपयोग कैसे किया जाता है?

(श्री देवेन्द्र कुमार)

मैं मानता हूं कि जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जो मोटर वाले लोग हैं, जो बंगले वाले लोग हैं, उनको ठेका दिया जाता है और हमारे आदिवासी जो गरीब है उनको ठेका नहीं दिया जाता है। उनकी सोसाइटी बनाकर भ्रम में डालना ठीक नहीं समझता। माननीय वन मन्त्री जी को निवेदन करूंगा कि हमारे को विश्वास था कि वन मन्त्री जी आदिवासी हैं और आदिवासी वन के लोगों की, फटे-चिथड़े वालों की तरफ ध्यान देंगे और उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन जो आदमी मोटर लेकर जाता है उन लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, उनको ठेका दिया जाता है और हमारे गरीब मजदूर आदिवासियों को ठेका नहीं दिया जाता है। इसका मेरे पास प्रूफ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि सराडा तहसील में रेंज परसार खरबर के अन्दर ठेका सहकारी समिति बनाई गई थी ६२ में उसमें १० हजार रुपये का गबन हुआ और उसका एक महाजन कुरीचन्द ने फायदा उठाया और उस ठेका सहकारी समिति का पतन हो गया, और आदिवासी जो अपने बल से इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते थे आज वे निराश होकर घर बैठे हुए हैं। क्या वह न्याय है? यह आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है यह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस तरह से हमारे आदिवासी मन्त्री होते हुए भी अभी जयसमुद्र का किस्सा है कि वहां गांव है पीलेघर वहां पर ज्यादातर आदिवासी रहते है। उन आदिवासियों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ। उसमें ७ दिन तक किस तरह से एक गांव में एक सिपाही ऊंकारसिंह ने अत्याचार किया है। उसके लिए मैंने वहां से रजिस्ट्री की, लेकिन उसके बारे में मन्त्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी कोशिश करने पर भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वहां पर आदिवासी रहते हैं पादडा के पास में जयसमुद्र के नीचे उनको घास तुरन्त मिल जाता है। घास लाने को उनको कहा जाता है लेकिन वहां फिर उन आदिवासियों को घास लाने से वंचित किया जाता है। यदि सेर, दो सेर भी हैं तो छूट दी जाती है। तो कानून आता है कि कभी मना किया जाता है और कभी छूट दी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि इस तरह से आदिवासियों के साथ में पक्षपात हुआ और गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है। जब कि मैंने वहां से रजिस्ट्री की तो भी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): गवर्नमेन्ट में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वालों को कहते नहीं हैं आप श्री मीणा-भाई को........

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री देवेन्द्र कुमार : गवर्नमेन्ट के नियम ठीक हैं, लेकिन मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की जो शिकायतें है। उनकी असुविधाओं को देखें, हमारे अन्दर क्या तकलीफें हैं उन तकलीफों को देखने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री कुम्भारसिंह।

Page No.92

श्री हरिप्रसाद शर्मा (भादन) : उपाध्यक्ष महोदय, इधर भी निगाह रखें।

श्री जुझार सिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव जंगल विभाग में फैली हुई अव्यवस्था के कारण जो काश्तकार को असुविधायें होती हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान दिलाने के लिए मूव किया गया है।

जो तकलीफ जंगल विभाग से होती है उसको मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा प्लानिंग साइड और तीसरा शार्टेज आफ मेटेरियल। जहां तक administrative side का सवाल है उसमें सबसे जो मुख्य बात है वह यह है कि जंगल विभाग में बरसों से सेन्स आफ इन्सिक्योरिटी चलती आ रही है। अभी तक इस विभाग के बारे में यह तय नहीं हो पा रहा है कि इसकी फाइनल शेप क्या होगी। बरसों से हैड आफ दी डिपार्टमेंट जो होते आये हैं उनको यिअर टू यिअर लीज मिलती आई है और मुस्तकिल तरीके से उसका एप्वाइन्टमेंट नहीं हो रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि जंगल विभाग के नीचे के अधिकारी हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके दिमाग में सेन्स आफ इन्सिक्योरिटी चलती आ रही है। बरसों से उनमें इन्ट्रीग्स चलती हैं और उनका सक्सेसर हर समय इस बात में लगा रहता है कि Chief को अलग किया जाय इसलिए उनकी सीनियोरिटी भी नहीं हुई है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और टॉप में इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से नीचे के अधिकारियों में एक तरह से असन्तोष है और सेन्स आफ सिक्योरिटी नहीं है। इसकी वजह से बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं।

दूसरी बात जो एडमिनिस्ट्रेटिव साईड में है वह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इन्तजाम किया गया है जंगल के लिए याने रेन्जेज हैं या डिस्ट्रिक्टस हैं या डिविजन्स हैं उनके बोर्डर के विलेजेज पर व्यवस्था ठीक नहीं है। जो लोग बोर्डर के गांवों में रहते हैं उनके लिए इतने हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं होने चाहियें कि बोर्डर के विलेजेज अपनी ही रेन्ज से या अपनी स्टेट से या अपने डिस्ट्रिक्टस से घास लकड़ी या दूसरी जंगल सम्बन्धी सुविधाओं की जरूरत पूरी करेगा, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था होने से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि जो उनकी रेन्जेज है जहां से उनको जंगल की सुविधायें मिलती हैं वे बहुत दूर होते हैं और बोर्डर विलेजेज वालों को उसको १०-१२ मील अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाना पड़ता है जिसकी वजह से स्वाभाविक तौर से लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं और उससे उन लोगों को तकलीफ होती है। मेरा यह सुझाव है कि इन बोर्डर विलेजेज को जो कि दो रेन्जेज के बीच में आते हैं या दो डिस्ट्रिक्टस के बीच में आते हैं उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरी रेन्ज के जो नजदीकी जंगल हैं उनसे फॉरेस्ट की प्रोड्यूस दिलाने की सुविधा हो। इससे उन लोगों को परेशानी नहीं हो।

उसी तरह से जंगलों से मिनिमम तकलीफ हो और लोगों को वह लकड़ी मिलने लगे कि कवाड़ी की व दूसरी मकानों के लिए लकड़ी मिलने की तकलीफ कम हो। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जंगल की कमी के कारण से केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही पूरी नहीं हो सकती हैं तो काश्तकारों को वहां से भी लकड़ी उपलब्ध हो सकती है फार्म से उपलब्ध होती हो या दूसरी जगह।

Page No.93

(श्री जुझारसिंह)

से उपलब्ध होती है उस लकड़ी में जो अड़चनें रेवेन्यू डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग लगाते हैं जैसे उनके खेत में खड़ी हुई लकड़ी को बिना इजाजत के काम में नहीं लेने देते, इस तरह की जो व्यवस्था है उसको ज्वाइन्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरे जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में मिलकर सॉल्व करना चाहिए।

इसी तरह से जो जंगलात, माल और पंचायत के बीच में झगड़े हैं जैसे कि मारजीनल लैंड हैं, अब की बार मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बधाई दे देना चाहता हूं कि इन्होंने स्वाइल कन्जर्वेशन के लिए १०-११ लाख रुपये की रकम रखी है। उसके अलावा चम्बल वैली फॉरेस्ट्स में ६ लाख की रकम रखी है जिसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कोटा डिविजन में स्वाइल कन्जर्वेशन का बहुत जबरदस्त प्रोब्लम है। इसको सीरियसली डील करने की जरूरत है क्योंकि अगर ज्यादा नेगलेक्ट किया गया तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो उसमें जो दिक्कत आती है वह यह है कि स्वाइल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट यहां एक कोऑर्डीनेटेड डिपार्टमेंट नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तीन डिपार्टमेंट में ऑपरेट होता है। स्वाइल कन्जर्वेशन का काम एग्रीकलचर डिपार्टमेंट भी करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी करता है और कहीं कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बीच में आता है। इनकी स्कीम्स कॉआर्डीनेट नहीं हो पाती हैं, इसलिए स्वाइल कन्जर्वेशन का काम इफेक्टिवली नहीं होता है। हमारे यहां तहसील सांगोद में स्वाइल कन्जर्वेशन का बड़ा प्रोब्लम है उसके बारे में मैंने दो साल से लिखा हुआ है। उसमें यही डिफिकल्टी आती है कि जिन एरियाज़ में फारेस्ट डिपार्टमेंट आपरेट करना चाहता है वे एरियाज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कब्जे में हैं और डिपार्टमेंट की प्रोसीजरल डिफिकल्टीज़ की वजह से पूरे दो साल में जो कि रेवीन एरिया है और जिसमें कि पेड़ आसानी से लग सकते हैं और जहां के लोग कोआपरेट करने को भी तैयार हैं उन एरियाज में रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक प्रोसीजर की वजह से दो साल से लिखने के बाद भी ट्रान्सफर नहीं कर पाई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस वजह से वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई ऑपरेशन नहीं कर पाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी जो कि स्वाइल कन्जर्वेशन के प्रोब्लम को डील करता है वह सिर्फ कल्टीवेटेड फील्ड्स में ऑपरेट करता है उसका गलीज़, रेवीन्स और एरकेचमेंट एरिया में कोई ऑपरेशन नहीं है बल्कि हाफ हार्टेडली जो काम होता है वह किसी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाता है।

इसी तरह से मार्जीनल एरियाज़ में allotment नहीं रोका जा रहा है जिससे खेतों में कटान बढ़ रहा है। मार्जीनल एरिया के एलॉटमेंट को रोका जाना चाहिए। यदि इस

(श्री जुझारसिंह)

मार्जीनल एरिया के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोऑर्डीनेशन नहीं होगा तो इरोजन के रोकने की जो स्कीम है वह कामयाब नहीं होगी क्योंकि यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ फोरेस्ट एरियाज़ में ही कन्फाइन करता है। इस इरोजन के मसले को सोल्व करने के लिए मारजिनल लैंड जो रेवेन्यू विभाग की लैंड हो सकती है, कई जगह एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, कई जगह एग्रीकल्चर की लैंड हो सकती है या वन डिपार्टमेंट की हो सकती है, तो सबमें जॉइन्ट एफर्ट नहीं हो सकता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इरोजन का मसला सॉल्व करना चाहिए। वन साइडेड यह सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेटेड एफर्ट करने चाहिए।

इसी तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मामला है········

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र ही आप समाप्त करें।

श्री जुझारसिंह : फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हमारे यहां कमी है। घास की एक समस्या है। घास लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं होता। राजस्थान सरकार ने फॉडर बैंक्स खोलने का निर्णय लिया है जो काबिल स्वागत है। लेकिन इसके कारण मौजूदा जंगलों में घास की कमी आजायेगी और इसके कारण आपने जो नई रेट्स मुकर्रर की हैं और कंसोलिडेटेड एरियाज डिक्लेयर किये उसमें हैं आपने रेट्स दुगुनी कर दी है। जिस जगह चराई नहीं लगती थी वहां ३) गाय कर दी है उन्हें घास कम मिलेगा। यह जो कंसोलिडेटेड एरियाज करने की पॉलिसी है और साथ ही साथ फॉडर एरिया में चराई की रेट दुगुनी करदी है उससे घास उपलब्ध नहीं होगी इससे किसानों को नुकसान होगा। यह जो फॉडर बैंक का सुझाव है उसके साथ ही कंसोलिडेटेड एरिया रखना ठीक नहीं होगा········

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात कह कर बैठना चाहूंगा। घास के बारे में अभी बहुत सी शिकायतें आई····

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री जुझारसिंह : एक पॉइन्ट और कह कर बैठना चाहता हूं। घास के मामले में बहुत सी अनियमिततायें चलती है। अभी ५-७ दिन पहले मैंने अर्ज किया था कि बारां के फॉरेस्ट आफीसर ने ८८०रु० का घास इकट्ठा किया था। जिसे एक साल तक उसको वहीं पड़ा रखा गया। नीलाम नहीं बोला और वह घास खराब हो गया। इसी तरह की शिकायत बांसवाड़ा, सिरोही और दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी इस हाउस में आई है। उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो परमानेंट पॉलिसी हो गई है फॉडर बैंक खोलने की उसके बारे में आपको यह देखना चाहिए कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छी तरह से घास प्रिजर्व नहीं कर पाये, वह बिगड़ गया और किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो उससे नुकसान होगा। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ कर यह काम करना चाहिए नहीं तो यह उपयोगी नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मजदूरों सम्बन्धी मांग को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। आज सब ने माना है कि देश में श्रमिक एक ऐसा वर्ग है जिसके द्वारा आज देश का नव निर्माण होता है। चाहे वह किसानों से सम्बन्धित हो, चाहे मजदूरों से संबंधित हो, खास तौर से इस संकट काल में इस बात की बड़ी आवश्यकता है। देश के नेताओं की आवाज है कि फैक्ट्री के मजदूर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और उनके अभाव-अभियोग हैं तो उनको दूसरी तरह से निपटाना चाहिये। मैं पहले यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक औद्योगिक समझौता कायम किया है उसके द्वारा मजदूरों की व्यवस्था किस प्रकार चले, हड़ताल नहीं हो, तालाबन्दी नहीं हो और मजदूरों पर मेनेजमेन्ट ज्यादा जुल्म न करें इसके लिये इसमें कहा है कि औद्योगिक शान्ति के लिये, श्रमिकों के आर्थिक हित के लिये, झगड़ों को शान्ति से निपटाने के लिये यदि उनके अभाव-अभियोग हो, झगड़ा हो तो राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी है कि पंच फैसले से उनको निपटाया जाय। उन्होंने उसमें यह भी बताया है कि आजकल संकट-काल में मजदूरों को बर्खास्त करने व उनके काम के घंटे बढ़ाने आदि का काम भी पंच फैसले से तय होगा। और उसमें यह भी बताया, उपाध्यक्ष महोदय, कि मजदूर वर्ग की भलाई के लिये और शान्ति कायम रखने के लिये मजदूरों के अभाव-अभियोगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। इन सारी बातों को मानने के बाद भी आज आपका श्रम विभाग इतना निकम्मा है कि जिसके कारण मैं मानता हूं कि कर्ता धर्ता ही निकम्मा हो तो समाज कैसे चल सकता है? हमें गर्व इस बात का है जिस वीर भूमि में राणा प्रताप ने आदर्श कायम रखा, घास की रोटी खाकर उन्होंने अपना ईमान कायम रखा....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इनका भी ईमान कायम है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक तो यह आदर्श हमारे सामने है और दूसरी तरफ आज मजदूरों के हिस्से के बोनस की कमाई का हिस्सा चुनाव के लिये बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लेकर उनसे जीप्स लेकर राणा प्रताप की भूमि से आने वाले हमारे मुख्य मंत्री और हमारे श्रम मंत्री इन उद्योगपतियों के हाथ में बिक रहे हैं। राणा प्रताप के आदर्शों पर कलंक स्वरूप मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री मजदूरों की छाती पर विधान सभा में बैठे है। चुनाव के चंदे के रूप में इन उद्योगपतियों से इनको ८-८ जीपें और एक-एक लाख रुपये मिलते हैं तो श्रम विभाग कैसे इन सब से मुक्त हो सकता है?

मैं वेज बोर्ड के बारे में बताऊंगा। सीमेन्ट उद्योग पर वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू होनी चाहिये। राजस्थान में सीमेन्ट के दो उद्योग हैं जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं लेकिन उन पर वेज बोर्ड की सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गई हैं और जहां पर लागू की गई हैं वहां मजदूरों के ग्रेडेशन को इस प्रकार से ट्विस्ट किया है कि मजदूर आगे नहीं बढ़ सकें और आज प्रत्येक उद्योग में असंतोष फैल रहा है खास करके सवाई माधोपुर और लाखेरी में। वेज बोर्ड ने बताया कि ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी और सरकार ने माना है कि ठेकेदारी प्रथा का अंत होना चाहिये,

Page No.96

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

यह प्रथम समाप्त होनी चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वहां पर जाते हैं, उनके गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, उनके यहां खाते हैं, उनसे स्वागत करवाते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मजदूरों के लिये किया क्या है ? मैं यह जानता हूँ कि आप वहां से भाग कर आये हैं। आज माधोपुर में ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। उसमें श्रम विभाग के अधिकारियों का भी हिस्सा है। वेज बोर्ड की जो सिफारिश है उसके अनुसार आप इस बात के लिये बाध्य हैं कि ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिये फिर यह क्यों चल रही है ?

साथ ही वेज बोर्ड लागू होने से पहले श्रमिकों को जो सुविधाएं मिलती थीं उसमें कटौती नहीं की जायगी यह भी उसमें कहा गया है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि लाखेरी के मैनेजमेन्ट की तरफ से २० वर्षों से २॥ सेर का गेहूँ और ४॥ सेर की ज्वार दी जाती थी उसको खत्म कर दिया। आज वहां के मजदूरों की ओर से आन्दोलन करने की तैयारी चल रही है।

आज आपका श्रम विभाग निकम्मा है। जितना उसका बजट है उसमें से सारा का सारा खर्चा स्टाफ पर हो जाता है। मजदूरों की भलाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज भवानी मंडी में मजदूरों की क्या हालत है ? वहां का सबसे बड़ा सेठ हीराभाई डंके की चोट कहता है कि राजस्थान का मंत्री मंडल हमारे पैसों पर नाचता है, किसकी मजाल है जो हमसे कानून मनवाले। आपका श्रम विभाग जानता है कि वहां के मजदूर ८ महीने काम करते हैं और ४ महीने बिना काम रहते हैं। आप कोटा की तरफ ध्यान दीजिये वहां की नाईलोन फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्रीज सारी की सारी मजदूरों को साल-साल भर के बाद निकाल देती है। किसी को परमानेन्ट नहीं किया जाता है। यही हालत आपके पी. डब्ल्यु. डी. और बिजली बोर्ड के मजदूरों की है। मजदूरों का शोषण चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसके लिये यदि कोई दोषी है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, कोई इसके लिये दोषी है तो राजस्थान के श्रम मंत्री हैं, क्योंकि पूंजीपतियों के सामने घुटने टेके हुए हैं उनकी जीपों से चुनाव लड़ते हैं, उनके पैसों के सहारे कुर्सियों पर टिके हुए हैं। इसलिये मेरा दावा है कि श्रमिकों के कोई दुश्मन हैं तो मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री हैं जिनको कानून का ज्ञान नहीं। यदि श्रम मंत्री कुछ करना चाहें तो उनकी चलती नहीं।

अब मैं आपको बजट के बारे में बताना चाहता हूँ। ६० लाख का बजट बनाया है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ६० लाख का बजट किसका है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप बोलो तब ठीक कर लेना। इसमें श्रम-कल्याण केन्द्र की जितनी योजना बताते हैं, जो ३ लाख २५ हजार का प्रावधान रखा है उसमें से एक लाख का सारा का सारा खर्चा स्टाफ में चला जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि मजदूरों को न्याय देने के लिए कोई सुविधा नहीं है। राजस्थान में यह जो ट्रिब्यूनल है इसके पास इतने केस पेंडिंग हैं और यह ट्रिब्यूनल मजदूरों को राहत नहीं

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

दे सका है। आप प्रोसीजर देखिये, किसी मजदूर को डिसमिस करने के लिए ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कोई गरीब मजदूर अपनी पैरवी कर सकता है। एक तरफ तो उद्योगपतियों का लाखों रुपया, उनके वकील और बेरिस्टर लाखों रुपये लेकर आते हैं और दूसरी तरफ साधारण मजदूर। उसको अगर डिसमिस कर दिया, वह किस तरह वर्षों तक कोर्ट में अपना केस लड़ सकता है ? उस गरीब मजदूर के लिए पेट भरने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है, वह भूखे पेट न्याय पाने के बेरिस्टर कहां से लायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये जैसी कि पहले भी व्यवस्था थी कि किसी भी मजदूर को डिसमिस करने से पहले मालिक को ट्रिब्यूनल की इजाजत लेनी पड़ेगी। जो उस पर चार्जेज लगाये जांय उनके लिए ट्रिब्यूनल की इजाजत ली जाय। अगर उसे वार्निंग दी जाय तो उसकी ट्रिब्यूनल से इजाजत ली जाय। यह तीन चार बातें रखी जायं। आज मजदूर की सैलेरी और तरक्की बन्द हो जाती है और उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार कानून में प्रावधान था कि मैनेजमेंट को किसी मजदूर को वार्निंग देनी हो, चार्ज शीट देनी हो तो लेबर डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करना चाहिए और उसकी इजाजत लेनी चाहिए, ट्रिब्यूनल की इजाजत लेनी चाहिए। वह व्यवस्था लागू की जायं। इसके साथ ही मैं सुझाव देना चाहूंगा कि किसी मजदूर को डिसमिस करना चाहते हैं तो जितने दिन वह डिसमिस रहे उसके लिए पूरी या आधी तनख्वाह उसे मैनेजमेंट के द्वारा दिलानी चाहिए और उसकी पैरवी के लिए श्रम विभाग की ओर से एक बेरिस्टर कायम किया जाना चाहिए जो उसके अधिकारों की रक्षा कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह बढ़ता हुआ मैनेजमेंट का जुर्म कम होगा, मजदूरों का हित होगा और उनको न्याय मिल सकेगा। अगर आपके कानून में यह व्यवस्था नहीं हुई तो उनको न्याय नहीं मिलने वाला है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं एक मिनट और लूंगा। मैं मजदूरों के बारे में तो कह चुका हूं, अब दो शब्दों में मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

आप वन विभाग के करप्शन के बारे में और कुछ करें या न करें, मैंने जैसा लिख कर दिया है, बूंदी के जिले में जयपुर से तिलवास सड़क बन रही है, उस पर एक पांच मील का टुकड़ा है, वह जो जंगल है वह तीन सौ रुपये में बिका है। जब कि वह पांच हजार का जंगल है। मैंने यह लिख कर दिया था और मैं मौके पर ले जाकर आपको बताना चाहता था। लेकिन आप नहीं गये और आपने उसकी उपेक्षा की। इसका आप जवाब दीजिये।

इसके अलावा श्रम सहकारियों के नाम पर जो जंगल इन श्रम सहकारी समितियों को दिये जा रहे हैं उनकी लाखों एकड़ जमीन को खत्म किया जा रहा है और साथ ही

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

ठेकेदार के मुकाबले में कम पैसे में इनको दिया जा रहा है। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूं कि अगर ठेकेदार को दिया जाता तो ज्यादा पैसा आता। आपने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जिन सहकारी समितियों को वन भूमि दी है, वे घाटे में चल रही हैं (समय—समाप्ति—सूचक घंटी) आज जो पेट की आस करते हैं और बच्चों के समान जिनके आपसे ताल्लुक हैं उनकी समस्या को हल नहीं करते है और दूसरी ओर इन श्रम सहकारी समितियों के द्वारा लाखों एकड़ जमीन बरबाद कराते आ रहे हैं और नये कान्ट्रेक्ट की घोषणा करते हैं। मैं इस करप्शन को खत्म करने की आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रवीशंकर याज्ञनिक।

श्री रविशंकर याज्ञिनक (पिंडवारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर विचार-विमर्श करने के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था दी गई थी आसन की ओर से कि स्वतंत्र पार्टी को एक दिन में चालीस मिनट का समय दिया जायगा कल हमारी पार्टी को चालीस मिनट से कम समय मिला, आज महारावल साहब दस मिनट बोल चुके हैं और तीस मिनट का समय बाकी है। अभी बारह बजने वाले हैं। इसलिए इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा जो आसन ने व्यवस्था दे दी है उसकी ओर उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आसन पूर्ण रूप से यथाशक्ति समय के बंटवारे का ध्यान रख रहा है और जहां तक मुझे याद है, स्वतंत्र पार्टी को अपना समय ही नहीं उससे अधिक टाइम मिला है। यदि ऐसा कहा जाता है तो सम्भव है वह आसन पर आक्षेप भी हो सकता है। इस बात की आसन पूरी जिम्मेदारी महसूस करता है कि जितना समय दिया जा सके, दिया जाय। अगर कहीं रह जाता है तो मैं आपकी सूचनार्थ यह भी कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ अभी काफी समय बाकी है और स्वतंत्र पार्टी का काफी समय बाकी है और जनसंघ का भी समय बाकी है। यथाशक्ति यह प्रयत्न किया जायगा कि इन सभी पार्टियों को पूरा पूरा समय दिया जाय, लेकिन यह माननीय सदस्यों के सहयोग मात्र पर निर्भर है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ३४, फोरेस्ट पर है? मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है वह यह है कि सिरोही जिले के अन्दर काश्तकार को अपनी खेती के लिए और घरेलू उपयोग के लिए जो लकड़ी मिलती है उसको पाने में उसे कितनी मुश्किलें पड़ती हैं, उसको कदम कदम के ऊपर किस तरह भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं गत सप्ताह बजट भाषण के दरम्यान एक बात कही थी कि सरकार ने रेवेन्यू लॉज प्रगतिशील बना कर जिस तरह

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

काश्तकारों को राहत दी है, उस सम्बन्ध में मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि आज....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a Point of order, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यह ट्रेजरीबेंचेज और माफ करियेगा आप, यहां सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। मंत्री महोदय सुनते नहीं और सदस्य कहे जा रहे हैं। आपकी मार्फत बात हो रही हैं, आप लिख रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : (श्रम मंत्री) मैं वही लिख रहा हूं जो माननीय सदस्य बोल रहें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन केवल अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है, समय लिखने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए इस तरह के आसन पर आक्षेप करने से पूर्व आप सोचें समझें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने फेक्ट की बात कही है, मैंने आक्षेप नहीं किया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (मांडल) बात मिनिस्टर साहब के लिए थी, माननीय मंत्री लिखते रहते हैं, सुनते नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : मैं वह सब लिख रहा हूं जो आप बोल रहे हैं। उसको लिखना जरूरी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा–ये कविता लिख रहे हैं, ये गाना लिख रहे हैं।

आप कागज ले लीजिये, टेबल आॅफ दी हाउस पर रखा जाय !

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कागज सामने बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member is bree to move a motion of privilege against the Ministetr for doing 'Kavita.'

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सूरज को क्या रोशनी दिखानी पड़ेगी ? इनका कागज ले लिया जाय, अभी पता चल जायगा !

श्री उपाध्यक्ष : शांति रखिये।

श्री रविशंकर याज्ञिक– मैं कह रहा था। जिस तरह से........

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस की पांच मिनट श्री ज्वालाप्रसाद जी ले चुके हैं।

श्री रविशंकर याज्ञिक– प्रगतिशील कानून के जरिये जो जमीन को जोते उसको उसका मालिकाना हक दिया है, उससे मुझे खुशी है। लेकिन मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि उतना ही दुःख एक काश्तकार को, जो जंगल का कानून बना है, उससे होता है और किसान को पग पग पर कदम कदम पर मुश्किलों का और भ्रष्टाचार का सामना करना

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

पड़ता है। मैं इसके लिये कुछ ठोस विचार आपको दूंगा।

सबसे पहली बात यह है कि जिस वक्त फारेस्ट का सेटिलमेंट हुआ उस वक्त सरकार ने जिस तरह चाहिये उस तरह से नोटीफिकेशन नहीं निकाला कि एक किसान को कितने समय के अन्दर अपने राइट्स को रिकार्ड कराने के लिए अपने हितों को रिकार्ड कराने के लिए लिख कर देना है। आज सिरोही जिले के अन्दर सौ गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर जो राइट्स हैं, उनके हक हैं वह रिकार्ड नहीं हुए हैं। इस वजह से वे बेचारे गरीब लोग अपने हकों से वंचित रह गये हैं। इसका नतीजा क्या होता है, आखिर में किसान को लकड़ी तो चाहिए ही। जब उसका राइट नहीं है तो किसी प्रकार, येन केन प्रकारेण वह लकड़ी लाता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करूंगा कि कानून में जो गलती रह गई है और जिस कारण गरीब काश्तकारों को राइट्स नहीं मिले हैं, जैसा कि मैंने सिरोही जिले के सौ गांवों के लिए अर्ज किया इस लिए इस प्रश्न को वापिस लेकर उनके राइट्स रिकार्ड कराने के संबंध में कदम उठायें।

दूसरी बात यह है कि जो लिमिटेशन्स हैं या वर्षा के पहले, १५ मई को जंगल काटना बन्द कर देते हैं और १५ अक्टूबर तक वह खुलता है। इस सम्बन्ध में आपसे मेरा निवेदन है कि एक काश्तकार पूरे मई के एण्ड तक अपने खेत में लगा रहता है और हमारे राजस्थान के अन्दर एक जुलाई के एण्ड तक वर्षा नहीं आती है। काश्तकारों को पानी जुलाई में मिलता है, तब तक अपने खेतों के लिए और घरेलू उपयोग के लिये वह लकड़ी ले सकता है।

(१२.०० मध्यान्ह)

मेरा निवेदन है कि अगर आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि किसानों को तकलीफ लकड़ी आदि की न हो तो आप जंगल बन्द करते हैं वह १५ मई से करते हैं उसे एक जुलाई से बन्द करें और वापिस उनको १५ सितम्बर को खोल दीजिये। हमारे यहां राजस्थान में दो महीने मानसून आता है और १५ सितम्बर के बाद काश्तकार भी अपनी खेती करने और अनाज बोने में लग जाते हैं और कृषि का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए उनको कुओं व अन्य खेती के कार्य के लिए लकड़ी चाहिये वह ले सके अगर कभी कहीं कम वर्षा हुई तो भी उनको लकडी तो चाहिए ही। तो यह जो मयाद है वह आप कामकर के जो जंगल हैं वह कम से कम १५ सितम्बर को खुल जाने चाहिये इससे मैं यह निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार भी कम होगा और किसानों को भी सहूलियतें मिल जावेगी। आखिर आप जानते हैं कि किसानों को लकड़ी तो चाहिये ही और जब उनको लकड़ी नहीं मिलेगी तो, वे लकड़ी को लावेंगे ही। इससे भ्रष्टाचार को जो प्रोत्साहन मिलता है वह कम हो जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है वह यह कि जब सेटिलमेंट हुआ उस समय जो आदिवासी हैं और जो जंगलों में रहते हैं वे पहाड़ों में अपने झौंपड़े बना लेते हैं।

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

जहां पर उनके झौंपडे बने हुये हैं उनके पास से होकर डिमार्केशन लाइन जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि वे अपने मवेशियों को अपने घरों से बाहर नहीं निकाल सकते। यदि उनका मवेशी उनके मकान से १० कदम भी जावेगा तो जंगलात के लोग उसको पकड़ कर ले जावेंगे और उस पर अनाप सनाप दंड रख देते हैं। तो इस पर भी सोचना होगा और अगर नहीं सोचेंगे तो इससे लोग बहुत दुखी होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में रहने वाले किसान बैल गाडी से खेती सम्बन्धि कोई भी चीज एक दूसरी जगह से लाते हैं इसलिये उस बैल गाड़ी के लिए लकड़ी मिलना बहुत जरूरी है। यह लकड़ी उनको मिलनी चाहिये। इसके अलावा जो जंगलों को काटने का ठेका दिया जाता है वह आदिवासियों की सेवा समिति बना कर उनको देना चाहिये, जिससे कि उन लोगों को फायदा हो लेकिन आज हम देखते हैं कि ठेकेदार लोग अफसरों से मिल कर ठेका ले लेते हैं और जितने जंगल काटने का उनको ठेका दिया हुआ होता है उससे ज्यादा जंगल काट लेते हैं यह जो समस्या सरकार के सामने हैं वह भी दूर हो जावेगी और आदिवासियों को भी लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम पंचायतों को बीड़ देते है और हमने सिरोही जिले में बीड़ दिये हैं। सस्ती कीमत पर मगर मैं आपको क्या अर्ज करूं कि डी. एफ. ओ. डाक्यूमेन्ट लिखने के लिए तैयार नहीं। सरपंच उनके पीछे पीछे फिरते हैं। बड़ी मुसकिल से डोकुमेंट लिखवाता है। सरपंच की यह हालत है तो आप खुद ही सोचिये एक किसान की क्या होगी? तो सरपंच से कहते हैं कि जमानत लाओ। मैं यह कहूंगा कि जिस सरपंच को सरकार लाखों रुपयों की संपति देती है वह सरकार तो उससे कोई जमानत नहीं लेती है और हमारे वन विभाग के अधिकारी सरपंच से जमानत लेते हैं इससे बढ़ कर अफसोस की बात और क्या हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: Please wind up early now.

श्री रविशंकर याज्ञिक: इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को गौचर भूमि की मिलकियत दी गई है और उसकी पैदाइश का ठेका देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कानून में कोई भी अगर तरमीम हो तो वह विधान सभा कर सकती है। मगर राज्य सरकार गौचर भूमि में आंवल का ठेका देती है और आज तक यह अधिकार पंचायतों को १०:१० साल हो गये मिले नहीं हैं अधिकार पंचायत को मिलने चाहिये :

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रविशंकर याज्ञिक: सिर्फ एक प्रश्न इसके अलावा काश्तकारों को अपने मकानों के लिये बल्ली और बांस की जरूरत होती है। उनको हरे बांस चाहिये वह उनको मिलते नहीं हैं।

एक माननीय सदस्यः मिलते हैं।

श्री रविशंकर याज्ञिक : हमेशा हरे बांस काटते हैं। मगर उनको काटने नहीं देते आप छोटे कोमल बांस मत काटने दीजिये लेकिन बड़े पक्के बांस का फ्री पास किसान को जरूर मिलना चाहिये और उसके बदले में बड़े बड़े बांस कटने देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और उसको बल्ली के लिए लकड़ी लेनी पड़ती है। वह भी उसको नहीं मिलती इसके लिए किसानों को रेन्जर की इजाज़त लेनी पड़ती है जो उनको मिलती नहीं इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरकार यह चाहती है कि भ्रष्टाचार न हो तो उन किसानों को बल्ली और हरे बांस काटने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने किनका नाम बोला है।

श्री उपाध्यक्षः श्री केदारनाथ का नाम बोला है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अलग अलग पार्टीज के लिये अलग अलग समय है मेरा नम्बर उस में पहला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस व्यवस्था को लागू करने के लिए कह रहे हैं उसी व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहा है। आपका नम्बर ५० वां है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा नम्बर फर्स्ट लिस्ट में नं० १ पर है। लेबर पर बोलने का पहला नम्बर मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दूसरे सदस्य बोलना चाहें, उनको नहीं बोलना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जो लिस्ट आई हैं उस पर मेरा नाम नं० १ पर है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नं० १ पर नहीं है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कोई शक नहीं कि लेबर हमारा कोनकरेन्ट सबजेक्ट है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट जैसी नीति निर्धारित करती है उसके मुताबिक हमें industrial लेबर रिलेशन्स करने पड़ते हैं मगर हमारी हालत अलग होने के कारण मेरा यह निवेदन है कि हमारा श्रम इस इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स से है उसके अन्दर कुछ डिपारचर्स करें। अभी हाल मेरे से पहले बोलनेवाले व्यक्तियों ने यह भी अर्ज की कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इस प्रोबलम को हमारी सरकार ने माना और इसके मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। मगर मैं यह समझता हूं कि इसमें यह बात तय होगी फुल न्युटरेलाइजेशन लागू किया जाय, मालिक और मजदूर इस बात को मानेंगे और साथ साथ यह एलान होगा कि

(श्री केदारनाथ)

इन्टेरिम रिलीफ के नाम पर कुछ १०) प्रति माह मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी होती और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर प्राइवेट अन्डरटेकिंग्ज में काम करते हैं। उसके अलावा एक और डिफेक्ट मालूम पड़ा कि जितनी ट्रेडस एन्ड इन्डस्टीज हैं जैसे सुगर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, आदि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्डर में हैं, क्या एक्सपर्ट कमेटी के रिकमन्डेशन्स उन पर लागू होंगी। मंहगाई की तेजी हमारे मजदूरों पर एक सी है। तो मैं यह मान कर चलूं कि लाजमी हमारे इन्डस्ट्रीज की बढ़ोतरी हो रही है उसको फायदा मिलेगा। विशेष तौर से सारदूल टैक्सटाइल मिल की हालत देखते हुए कहूंगा कि इस पर डा. बागची की कमेटी की रिकमन्डेशन का कोई भी असर नहीं हुआ। आपने जो फैसला किया कि मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुइ उसका भी कोई सारदूल टैक्सटाइल मिल पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मालिकों का रवैया ऐसा ही है। अगर समय मिला तो इस पर मैं बोलूंगा।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सारे इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स को देखें तो मालूम होगा कि जो इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूटस एक्ट बना उसमें एमेंडमेंट करना चाहिये क्योंकि काफी अर्सा बीत गया है। मिनिमम वेजेज एक्ट भी है, ताकि हम साबित कर सकें, समाज में साबित करना चाहिये कि इसकी क्या स्थिति है। इन्डस्ट्रीज में लेबर का क्या रिलेशन और क्या शेअर होना चाहिये और लेबर में मिनिमम वेजेज के बारे में जब भी हम फैसला करते हैं तो मान्यवर जब तक नोर्म्स जो एक्सेप्ट किये गये है उनको को मानते हुए कम से कम वेतन होना चाहिये जिसकी ओर ध्यान नहीं देते।

मैं उन नोर्म्स को रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ :

"(i) In calculating the minimum wage, the standard working class family should be taken to consist of 3 consumption units for one earner, the earnings of women, chieldren and adolescents should be disregarded;

(ii) Minimum food requirements should be calculated on the basis of a net intake of 2700 calories as recommended by Dr. Aykroyd for an average Indian adult of moderate activity;

(iii) Clothing requirements should be estimated at a per capita consumption of 18 yards per annum which would give for the average worker's family of four a total of 72 yards.

(iv) In respect of housing, the norm should be the minimum rent charged by Government in any area for house provided under the subsidised Industrial Housing Scheme for low income groups;

(v) Fuel, lighting and other miscellaneous items of expenditure should constitute 20 per cent of the total minimum wage."

(श्री केदारनाथ)

ये नोर्म्स जो हमारे हिन्दुस्तान की सरकार ने तय किये, जब भी रिविजन वेजेज का किया जाता है तो इनके मुताबिक रिविजन नहीं होता है। खेती में काम करने वाले, बीड़ी उद्योग में मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके मिनिमम वेजेज का रिविजन इन नोर्म्स के मुताबिक नहीं हुआ। इसलिये लाजमी तौर से हमारी सरकार माने कि जो नोर्म्स तय किये हुए हैं, हर रिविजन के वक्त इन नोर्म्स को ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेजेज़ तय किये जायं।

सबसे बड़ी प्रोबलम हमारे यहां गंगानगर जीनिंग फैक्टरी की है, उनके लिये कोई मिनिमम वेजेज के रूल्स नहीं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, मालिक चाहे तो उनको रखे, नहीं चाहे तो नहीं रखे, कोई टाइम लिमिट नहीं, १२ से १६ घंटे काम करते हैं। आज बीस पच्चीस साल से ज्यादा हो गये इस जीनिंग फैक्टरी को काम करते हुए पर आज तक सरकार कोई वर्किंग पोलिसी डिसाइड नहीं कर सकी है।

तीसरी बात पब्लिक सैक्टर की है, जब हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर के प्रति आस्था बढ़े। जो पब्लिक सैक्टर का पैटर्न है, इन्डस्ट्रियल अन्डरस्टेन्डिंग्स हैं ऐसी होनी चाहिये कि जिससे मजदूरों को पब्लिक सैक्टर में आस्था बढ़े लेकिन आज जितने पब्लिक सैक्टर हैं, जितने पब्लिक इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स हैं, वे सब प्राइवेट सैक्टर के पैटर्न पर ही चल रही हैं न वहां अच्छे सर्विस रूल्स हैं, न वर्कर्स की यूनियन के रिकॉग्निशन का सवाल ठीक तरीके से हल होता है पब्लिक सैक्टर में इस तरह के रूल्स होने चाहिये, इस तरह की फेसिलिटीज मजदूरों को दी जानी चाहिये जिनका कि असर प्राईवेट सैक्टर में काम करने वाले लोगों पर पड़े, मजदूरों में पब्लिक सैक्टर के प्रति आस्था बढ़े कि जब राज्य इनको अपने हाथ में लेगा, जब भी इनका नेशनेलाइजेशन होगा तो हमको इस प्रकार का फायदा मिलेगा। हम समाजवाद लाना चाहते है। मजदूर आहिस्ता आहिस्ता इनके मेनेजमेंट में हिस्सा लें मालिक बन कर मजदूर काम करें, यह समाजवादी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। इसके लिये हमें पब्लिक सैक्टर में इस प्रकार का पैटर्न लाना होगा।

शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स के बारे में मैंने निवेदन किया कि मजदूरों का बड़ा कन्ट्रिब्यूशन इमर्जेन्सी में रहा, मजदूरों ने खूब काम किया, अधिक समय तक काम करके मजदूरों ने प्रोडक्शन बढाया, पर इसका कोई फायदा मजदूरों को नहीं दिया गया, इस इमर्जेन्सी का फायदा एम्प्लोयर ने उठाया। और १०० से ऊपर मजदूरों को निकाल दिया गया, डिस्मिस, बर्खास्त और सस्पेन्ड किया गया, फिर भी मजदूरों का कन्ट्रीब्यूशन बढा, मिल का प्रोडक्शन बढा, वहां की प्रोडक्टिविटी बढी पर न उनके वेजेज बढाये गये न उनको कोई बोनस दिया गया न और किसी तरह का फायदा उनको दिया गया। उसी के बमुकाबिल शुगर फैक्टरी है, दो महीने पहले वहां की बड़ी खराब हालत थी पर जब इसके नये मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसकी हालत को सुधारा, वहां के लम्बे अर्से के डिस्प्यूट को पंच फैसले के सुपुर्द कर दिया। जहां मजदूर महनत करता है उस इन्डस्ट्री के बैनिफिट्स में मजदूर का

Page No.105

(श्री केदारनाथ)

हिस्सा होना चाहिये। तो मेरा निवेदन है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के बारे में आपको लाजमी अपना कन्सेप्ट बदलना होगा ताकि उनका एक स्थाई, अच्छा असर हो सके। और इसके असर से प्राईवेट सैक्टर में काम करने वाले लोगों के दिलों में एक आस्था पैदा हो मजदूरों की बार्गेनिंग पावर बढ़े, मजदूरों का हिस्सा इस तरह से तय हो कि जिससे समाजवादी समाज लाया जा सके।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियेलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हम चाहते हैं कि बाहर से आकर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हमारे यहां इन्डस्ट्रीज कायम करें पर हमें हमेशा यह खयाल रखना होगा कि कहीं हमारी स्टेट हन्टिंग ग्राउन्ड मोनोपोलिस्ट्स के लिये नहीं बन जाय। विवियन बोस कमीशन की रिपोर्ट के बाद सिराजुद्दीन केस के बाद जिनमें साफ कहा गया कि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिये काफी छूट दे रखी है। तो मैं समझता हूं कि जो ये गबन घोटाले हमारे सामने आये, इन सबको मद्देनजर रखते हुए कार्य करना चाहिये। जब तक हम इन्डस्ट्रीज का प्री-ऑडिटिंग (Pre-auditing) नहीं करेंगे तब तक इनमें काम करने वाले मजदूरों के बोनस के मामले, वर्किंग कन्डिशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मिनिमम वेजेज इत्यादि कभी ठीक नहीं हो सकेंगे।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो रूल्स हमारे यहां बने हुए हैं, उनका रिविजन, अमेंडमेंट इन हालात में जरूर होना चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह !

श्री चौसरसिंह बावेल (बैंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३४ मुख्य शीर्षक ७० वन में मेरे ६ कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा निवेदन है कि चित्तौड़ जिले में यह सरकार जंगलात सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने में असफल रही है और आज तक वहां के किसानों के साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं। अभी अभी २५०० किसान बैंगू में इकट्ठे हुए और उन्होंने असन्तोष प्रकट किया कि उनको रजका व गन्नों के खेतों की रक्षा के लिये धवालिये नहीं मिल रहे हैं जिससे उनके रजका व गन्ना के खेत बर्बाद हो रहे हैं। मन्त्री महोदय को यह सब कहा गया तो मन्त्री महोदय ने सी. सी. एफ. को टैलिफोन किया पर अभी तक कोई प्रबन्ध इस सबन्ध में नहीं हुआ है। मेरे पास कल भी परसों भी तार आये हैं और ऊपर से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पहाड़ी इलाका है, जंगल में गाड़ियां नहीं जा सकतीं, किसान नहीं जा सकते तो वे अपने जरूरत की लकड़ी कहां से लावें, बैंगू तहसील में कूप शोकुवात में गलत जगह काश्त करने व रास्ते नहीं बनाने से किसान जंगल में नहीं जा सकते, गये साल भी कूप नहीं कटा और इस साल भी नहीं काटा गया, गये साल और जंगलों में दी गई और इस साल बिलकुल धवालियां नहीं मिल रही हैं जिससे रिजका और गन्ने की बाड़ खराब हो जायगी, उससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा और सरकार को

(श्री चौसरसिंह)

भी नुकसान होगा। पीढ़ियों से इन जंगलों से वहां के किसान सुविधाएं पा रहे थे उनको बन्द कर दिया गया है।

१६२२ में बड़ा भारी आन्दोलन जंगल की सुविधाओं के लिये हुआ, गोलियां चलीं, फेफाजी और कर्ताजी वहां मारे गये। तो जंगल की सुविधाएं जो उन्हें पीढ़ियों से मिल रही थीं उनके लिये वहां के लोगों ने कुर्बानियां की हैं, उन सुविधाओं को आपने बन्द किया है। मन्त्री महोदय वहां जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी तकलीफें मिटायेंगे पर आज तक उनकी कोई तकलीफ नहीं मिटाई गई हैं। जब तक जंगल पंचायतों को नहीं दे दिये जायं तब तक कैसा पंचायती राज ? एक रुपये की चिट्ठी के लिये किसान को फोरेस्टर के पास जाना पड़ता है, फोरेस्टर उसको नाकेदार के पास भेजता है और इस तरह किसान को एक रुपये की चिट्ठी के लिये पांच पांच कोस, सात सात कोस के गोते खाने पड़ते हैं। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वालों ने उन गरीब लोगों से वादे किये थे कि हम तुम्हारी तकलीफें मिटायेंगे पर आज किसानों की कोई दाद फरियाद नहीं सुनी जाती, उनके दुखदर्द को दूर नहीं किया जाता, अगर आप यह चाहते है कि आन्दोलन करें, अगर आन्दोलन करने से ही आपके कान खुलते हों तो वैसा भी हो सकता है। मैंने बहुत तरह से समझाया पर अभी तक मन्त्री महोदय ने कोई सुनवाई नहीं की।

(१२.२० म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

मेरा नम्र निवेदन है कि वहां धीली लकड़ी की समस्या है, वह भी नहीं मिलती। लास, घाण, छोटा, पावड़ी जंगलों में जाकर यदि लकड़ी चोरी से लाते हैं तो बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है। जंगल बरबाद हो रहे हैं निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसानों का भला हो। आज दिन तक हजारों किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। १५० गांवों की बुरी हालत है। एक एक अफसर चार-चार साल से बैठा हुआ है। पांच पांच साल के बाद भी तबादला नहीं होता। सांठगांठ बना रखी है रिश्वतखोरी में। मेरा निवेदन है कि आप वहां की व्यवस्था करें और उन किसानों को लकड़ी दिलाने का मौका दें।

आपने इन जंगलात के बारे में कानून बनाए हैं, लेकिन उनकी पाबंदी नहीं होती है। जंगल काट देते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। अभी मेरे पूर्व श्री उपाध्याय ने कहा कि हजारों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ठेकेदार लोग अगर लकड़ी निकाल देते हैं तो मामूली दंड होता है और किसान की मियाद निकल जाती है तो ५-५ गुने पैसे वसूल किए जाते हैं। जिसको प्रजातंत्र का राज कहते हैं वहां ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप इन सब बातों पर विचार कर इन किसानों की तकलीफ को मिटाएं।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : मैंने दो कटौती के प्रस्ताव पेश किए हैं। एक वन के बारे में और दूसरा श्रम के बारे में। वन के विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि दिनबदिन हमारा ....

श्री उपाध्यक्ष : हमारे पास समय कम है। श्री मुरलीधर व्यास और श्री गोकुल प्रसाद बोलेंगे और उसके बाद में सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दिया जायगा।

श्री जोधसिंह चौहान : सारे राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। मुझे जयपुर से बाहर जाने का मौका मिला, पहले जहां जंगल था आज वहां रेगिस्तान बड़ी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। कई बड़े जंगलात थे वे आज नहीं हैं। यह यहां का हाल है।

उदयपुर जिले में गुलाम अब्बास बोहरे ने जंगलात पर मोनोपोली कर रखी है। सरकार ने उसको पानरवां का जंगल ठेके में दिया है। शर्त रखी कि ४० हजार की रकम वहां पर लगाएगें लेकिन आज तक उन्होंने रकम नहीं लगाई है। हमारी सरकार की सांठगांठ उस बोहरे के साथ में है। हमारे यहां पर सिटी इम्प्रूवमेंट का मैम्बर उसको बना रखा है। मिली-जुली भगत से इस प्रकार सरकार का काम चलता है और भ्रष्टाचार करते हैं। उस बोहरे ने जो कांग्रेस का मैम्बर है, उस पानरवां के जंगल का सत्यानाश कर रखा है। जो जंगल उसको दे रखे हैं उसके सिवा भी कई जंगल उसने काट रखे हैं। वह हमारे सारे का सारा जंगल बरबाद करता जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे में ध्यान दे।

गिरवा क्षेत्र में कई जंगलात की भूमि पड़ी हुई है जिसके अन्दर खेती की जा सकती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा सैटिलमेंट कराया जाय कि जहां पर पहाड़ी भूमि है, फालतू पड़ी है और गोचर के नाम से पड़ी है वह जंगल में लाई जाय और जंगल डिपार्टमेंट की जो भूमि हमारे खेती के लायक हो सकती है उसको खेती के लायक बनाया जाय। इसका निर्णय होना चाहिए।

साथ ही में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गिरवा क्षेत्र में अधिकतर व्यक्तियों की दो या चार बीघा जमीन है, उनकी सारी की सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं। पाई वाले क्षेत्र में वहां पर आजगढ़ के जंगल को काट लिया, जो हिस्सा बचा है वह पाईवालों का है। सरकार कुछ जंगल को बेचने जा रही है। सरकार जंगल बनाना नहीं जानती, बेचना जानती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस १७ साल की अवधि में सरकार ने कितने नए कूप तैयार किए हैं जिनसे सरकार को लकड़ी मिल सकती है, जिनमें बड़े बड़े पेड़ पैदा हो सकते है। मैं समझता हूं कि कूप काटने का कार्य सरकार करना चाहती है लेकिन कूप बनाने का नहीं। इसी प्रकार हमारे गिरवा क्षेत्र में सालूम्बर में लकड़ी नहीं मिलती है?........

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर) : मुर्दे जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है।

श्री जोधसिंह चौहान : भगवान जाने, यह सरकार योजना कब लाएगी; लेकिन आज मुर्दे हमारे यहां पर काउडंग से जलाते हैं। वहां जंगल की लकड़ी है, लेकिन काटने नहीं देते।

ज्यागढ़ के पास ग्राम पंचायत है। वहां जंगलात हैं। वहां पर पंचायती स्कूल है।

(श्री जोधसिंह चौहान)

उसके लिए उन्होंने लकड़ी के लिए कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन लकड़ी नहीं देते। भूरापुर के अंदर ऑफिस बना हुआ है। वह रेन्जर आफिस की भूमि एक ठूमा नाम के एक व्यक्ति की है। जबरदस्ती उससे ले गए। काम्पेन्सेशन नहीं दिया। रेन्जर उदयपुर में रहता है और ग्रामीणों को कठिनाई पड़ती है। ग्रामवासियों को ऊंट के ऊपर लकड़ी लाने और काटने के लिए उदयपुर जाना पड़ता है। इस प्रकार वहां का रेन्जर उदयपुर में बैठा रहता है। लोगों को तकलीफ होती है। इतना ही नहीं मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो जंगलात है उनमें ऊंटों की चराई होती है। सरकार ने २।। रुपए प्रति ऊंट बांध रखे हैं। लेकिन हजारों रेवड़ हैं जो ऊंट पालते हैं, जिनका धंधा यही है उनको इसका फायदा होता है। २।। रुपये चराई वाले जंगलात आज तक नहीं बतलाए गए। मेरे मित्र श्री झाला ने भी इस बात को यहां पेश किया था। मंत्री महोदय से भी मिले थे और उन्होने आश्वासन दिलाया था कि वे उनको जंगल अलॉट करेंगे। सरकार उनसे २।। रुपए वसूल करती है, लेकिन चराई की बहुत भारी समस्या हैं। चराने के लिए रेन्जर साहब रोकते है। १०–१० रुपए फी ऊंट ले लेते हैं और चराई कराते हैं। मैंने पहले भी आग्रह किया था लेकिन सरकार ने इंतजाम नहीं किया। मेरा आरोप है कि सरकार के बड़े बड़े मिनस्टर इसमें मिले हुए हैं, नहीं तो इस प्रकार ....

श्री भीखाभाई : ऊंटों के बारे में मिनिस्टर कैसे मिले होते हैं?

श्री जोधसिंह : उनसे रुपए वसूल किए जाते हैं कि चराई की सुविधा की जायगी। आप प्रबंध क्यों नहीं करते? यह आपकी जिम्मेवारी है।

इसी प्रकार चरमल के पास जंगल है। चरमल ग्राम पंचायत ने कुआ बनाया। लेकिन सरकार दीवार बना कर उसको बन्द कर रही है। इसी प्रकार नगावली, थूर आदि सात आठ गांव मिलते हैं। वहां पर भी जंगल पुराना है। किसानों को अधिकार है कि जानवर चरायें। लेकिन वहां भी दीवार बनाई जा रही है। सज्जनगढ़ के पास भी जंगलात आ गया है। देबारी के पास भी जंगलात। जंगलात जगह जगह घेरता जा रहा है और जंगलात के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारी श्रम की समस्या है। यह समस्या बड़ी भारी है। अब उदयपुर पी० डब्ल्यू० डी० यूनियन इंटक के अधिकार मे नहीं है इसलिए आये दिन तकलीफें उठानी पड़ती हैं। मैंने भी गत अधिवेशन में पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से निवेदन था कि उनकी कई मांगों को मंजूर करें। माननीय मिनिस्टर महोदय ने मेहरबानी करके एक समिति बिठायी २३.८.६३ को। मैं भी उसमें एक मैम्बर था। मेरे सामने उस समिति ने मजदूरों की १६ मांगे मंजूर कीं। लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं किया गया है। उल्टा क्या हुआ? एक व्यक्ति को बांसवाड़ा पानी नापने के लिए भेज रखा था उस व्यक्ति को हमारी मांग में यह मंजूर किया था सरकार ने कि वापिस उदयपुर लाया जायगा। लेकिन उसको नौकरी से ही निकाल दिया गया है। पी०

(श्री जोधसिंह चौहान)

डब्ल्यू० डी० कर्मचारी संघ के जो मंत्री थे उनको बिना किसी करण से नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार से १४ व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आये दिन कर्मचारियों को जलील करते हैं। वहां जो माथुर है, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, उनके खिलाफ कई गबन के घोटाले हैं। उन्होंने १८१२) के बजाय १८१२०) का पेमेंट कर' दिया। घोटाला किया। दस हजार के बजाय ६० हजार का पेमेंन्ट किया। उन्होंने सरकार को बड़ा बड़ा घाटा दिया। प्रश्न के द्वारा—

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

सरकार को आगाह किया। सरकार उनका तबादला नहीं करना चाहती। जब हमारे राजस्थान में व्यास मंत्रीमण्डल था तो उस समय यह निर्णय लिया था कि उदयपुर के सुप० इन्जीनियर जगदम्बालाल माथुर को नौकरी से बरख्वास्त किया जाता है। यहां तक कि ट्रान्स्फर भी इन्होंने नहीं किया उसका।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : (उप-मंत्री, गृह) It is a wrong allegation mandan against a person who is not here and remains nndefended.

श्री जोधसिंह (चौहान) : It is a fact, madam that they are taking revange from the labour.

तो, सभापति महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को वहां से निकाल दिया गया। उसकी होम कोन्स्टिटएन्सी है, वहां का रहने वाला है फिर भी उसका तबादला नहीं करते हैं और उसको वहां रख रखा है। इसलिए रखा है कि चुनावों में वहां से जीत कर आयें। इसलिए रखा है कि यूनियन उदयपुर में मजबूत न हो, इसलिए रख रखा है कि मजदूरों का गला काटा जाय। जिनकी आयु ५५ वर्ष से अधिक हो गयी है नौकरी में रखा है। जो इन्टक के मैम्बर नहीं हैं उनको निकाल दिया गया है।

(समय-समाप्ति--सूचक घंटी)

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण करे। पी डब्ल्यू डी यूनियन के साथ इस प्रकार की प्रवृत्ति उचित नहीं है। रौयल सरकार रौयल मजदूरों को ही रखना चाहती है, दूसरे उनको पालना चाहती है, मजदूरों को सरकार खराब निगाह से देखना चाहती है, यह बात ठीक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ माननीय सदस्य : सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुरलीधरजी व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदया, श्रम विभाग हमारे राज्य का बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और समाजवाद के युग में, मैं मानता हूं, श्रम विभाग को ही सबसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। क्योंकि श्रम से ही पूंजी पैदा होती है और पूंजी पैदा करने वाले श्रमिकों को ही उसका लाभ

(श्री मुरलीधर व्यास)

न मिले तो फिर श्रम विभाग का कोई लाभ नहीं है ।

जहां तक श्रम विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट का सवाल है, रिपोर्ट का सवाल है, रिपोर्ट वैसे तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है । उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी का भी एक फोटो छपा है, दूसरा फोटो जो हमारे श्रम मंत्री हैं उनका भी छपा है और उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है श्रमिकों के बारे में । फिर हमारे तीसरे नम्बर पर उप-मंत्री श्रम हैं नन्दवानाजी साहब । उनका भी फोटो उसमें छपा है और उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है और उसके बाद में हमारे मंत्री महोदयों को मजदूरों के साथ इतना प्रेम है कि वे मजदूरों के बच्चों के साथ केरम खेलते हुए बताये गये हैं । मैं मंत्रीजी का आभारी हूं कि वे मजदूरों के बच्चों के साथ खेलते हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट है कि आपने क्या क्या काम किये हैं यह बताती है ।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : माननीय सदस्य जिस रिपोर्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं वह रिपोर्ट नहीं है । वह दूसरी रिपोर्ट है जो सरकुलेट कर दी गई है । इस वर्ष की रिपोर्ट अलग है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह भी मैं पढ़ चुका हूं । इसमें उसमें कोई खास फर्क नहीं है । हिन्दी और अंग्रेजी में है ।

तो सवाल यह है कि आज के समाजवादी युग में सबसे ज्यादा श्रम विभाग का महत्व है । श्रम मंत्री का भी महत्व बहुत बड़ा है । इस हिसाब से श्रम मंत्री इतने पावरफुल होने चाहिये कि उनके मुकाबले में मुख्य मंत्री कुछ नहीं और मौका आ जाय और लड़ाई भी इसके लिए करनी पड़े तो लड़ाई भी करना चाहिये । मजदूरों के लिए बारगेन करें । आपका विभाग इसीलिए है । केपिटेलिस्टों और मजदूरों के बीच में बारगेन करने के लिए है । श्रम विभाग केपिटेलिस्टों की ओर हो जाता है........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उनके बच्चों के साथ खेलते हैं कैसे उनको कुछ कह सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस रिपोर्ट के साथ साथ एक कमीशन इस बात के लिए बिठाया जाय कि राजस्थान में जो श्रमिकों की हालत है, ऐसे कितने और कौन कौन सी जगह श्रमिक हैं, जो आपने सुविधायें दी उनको वे प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, और ऐसे कितने श्रमिक हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, होटल बोय्ज हों, सिनेमा कर्मचारी हो, पत्थर में काम करने वाले हों, चाहे गांवों में काम करने वाले हों, ऐसे कितने श्रमिक हैं जो श्रमिक कानून के अनुसार सुविधा पाने का हक रखते हैं, जो उस सुविधा से वंचित रह चुके हैं । इस प्रकार की रिपोर्ट भी इसमें रहनी चाहिये और अगर वह रिपोर्ट रहती है तो हम समझते हैं कि हमारे श्रम मंत्री छान बीन कर रहे हैं कि ऐसे कितने आदमी हैं कि जिनको समाजवादी युग में सुविधा पहुंचनी चाहिये वो उनको पहुंच रही है या नहीं । जब तक आप छानबीन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा । मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप यदि श्रमिकों के प्रति

Page No.111

(श्री मुरलीधर व्यास)

जागरुक हैं तो आप एक कमेटी सैट अप करें जो जांच करें इस बात की कि श्रम कानून के अन्तर्गत जो सुविधायें मिलनी चाहिये वे कितनी किन किन को मिल नहीं रही हैं। ऐसे कितने कर्मचारी हैं हर विभाग में जिनको उन सुविधाओं से वंचित रखा गया है ?

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वह एक नये परिवर्तन की है । हमारे मंत्री महो- कहते हैं कि नया परिवर्तन कर रहे हैं। जिस विभाग के खुद के वेतन स्तर सैन्टर के वेतन स्तर से कम हों और जहां सैन्टर का इन्स्पैक्टर और आपका इन्स्पैक्टर मामलों का बीच में बैठ कर फैसला करते हों, सैन्टर के इन्स्पैक्टर को ३००) रु० मिलता है तो आपके इन्स्पैक्टर को १५०) रु० मिलता है तो इससे यह अन्दाज लगता है कि आप कितने अपने डिपार्टमेंट के प्रति जागरूक हैं।

मैं मिनिमम वेजेज एक्ट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह एक ऐसा महत्व- पूर्ण अंग है।

श्रीमती सभानेत्री : सदन का समय कम रहा है, आप अपना भाषण जल्दी ही समाप्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : मिनिमम वेजेज एक्ट इस प्रकार का रहा है जिसमें हर मजदूर को लाभ मिलना चाहिये । आपके हजारों राज्य कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दो दो साल काम करते हुए होगये उनको ४५ रुपये से अधिक एक पैसा भी नहीं मिलता। जिनकी सर्विस दो साल से भी अधिक और दससाल तक हो गई वे ५२ रुपये से ऊपर नहीं गये हैं। ४५ रुपये से कम वेजेज में आपके यहां स्टाफ पड़ा है ।

इसके अलावा पिछड़ा वर्ग जो हरिजन हैं उसको दो रुपये से लेकर दस रुपये से अधिक नहीं देते हैं। इससे आप अन्दाज लगा सकते है कि किसी को दो रुपये मिले महीने के अन्दर तो वह किस प्रकार समाजवादी व्यवस्था कह सकते हैं। पंचायतों ने इस प्रकार की सिफा- रिश भी की है कि इनको ज्यादा मिलना चाहिये लेकिन पंचायत समितियों ने उसको रोक दिया पांच रुपये से ज्यादा बजट में नहीं दे सकते । जिस राज्य के अन्दर पंचायत समिति हरिजन को ५ रुपये से ज्यादा नहीं दे सकती जबकि पंचायतें देना चाहती है। इस मिनीमम वेजेज एक्ट को हर मजदूर पर लागू करना चाहिये, इसके विना कितना ही क्षेत्र बाकी पड़ा हुआ है।

होटलों में जो लड़के काम करते हैं उनको आपके इस एक्ट से कहां प्रोटैक्शन है ? सिनेमा के कर्मचारी हैं उनको तीस रुपय से अधिक नहीं दिया जाता। पत्थरों की खान में जो काम करते हैं जो हजारों की संख्या में मजदूर हैं उनके वेतन को देखिये जो कि मिनीमम वेजेज एक्ट से कितने ही कम हैं। उनको सिर्फ ३२ और चालीस रुपये अधिक नहीं मिलता। हमारे बीकानेर में ऊनका जो कांटा निकालती हैं औरतें उनको ३५-४० से अधिक पैसा नहीं दिया जाता।

लेबर डिसप्यूटस को ठीक करने के लिये थर्ड फाइव ईयर प्लान में हमने यह माना है

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि जोइन्ट मैनेजमेन्ट कौन्सिल की स्थापना की जायगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मजदूरों के मामले में जोइन्ट मैनेजमेंन्ट कौन्सिल प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर में कहां कहां कायम की है? थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो इसके लिये एक लाइन लिखी गई है वह मैं पढ़ देना चाहता हूँ।

Major programme for the third plan will be progressive extension of the scheme of joint Menagemnt council......

थर्ड प्लान में सारे डिसप्यूटस को ठीक ढंग से सुलझाने के लिये जोइन्ट मैनेजमेंन्ट कौन्सिल की स्थापना करेंगे। आप यह बता दीजिये कि राजस्थान के अन्दर कहां कहां मैनेजमेंट कौन्सिल की स्थापना की है? अपने सेक्टर में या प्राईवेट सैक्टर में।

दूसरा मैं कम्पैनसेसन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। डूंगर कालेज की जो नयी बिल्डिंग बनी हैं उसका रक्षक चौकीदार मारा गया। उस पर प्लास्टर गिर गया और उससे वह मर गया लेकिन आज तक उसको कोई कम्पैनसेसन नहीं मिला उसके परिवार को कम्पनसेसन नहीं मिला। पी० डब्लू० डी द्वारा जांच होनी चाहिये थी कि जिस ठेकेदार द्वारा यह प्लास्टर लगाया गया उसने क्या खामी रख दी जिसकी वजह से वह गिरा। जांच का सवाल अलग रहा, उस बेचारे के परिवार को कम्पनसेसन तक नहीं दिया गया।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय जब से मैंने बोलना प्रारम्भ किया है आपने घंटी बजा बजा कर मुझे बार बार टोका है, इससे जो क्रम बनता है वह टूट जाता है। मैंने जो मेरे लिये समय नियत था उससे ज्यादा एक मिनट भी नहीं लिया है। मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोकुल प्रसाद। आप अपना भाषण सिर्फ सात ही मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : तो आपकी आज्ञा हो तो नमस्कार करके ही बैठ जांऊ।

जितना समय और लोगों को दिया गया है उतना समय मुझे भी दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : केवल सात मिनट।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मेरी पार्टी का समय अभी बाकी है।

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी का समय देख कर ही कह रही हूं कि आप को सात मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : (मांडल) सभापति महोदया, हम श्रम द्वारा ही देश का उत्थान करना चाहते हैं। जब तक श्रमिकों का भला नहीं होगा देश का उत्थान होना मुश्किल है। हमें श्रमिकों के सारे हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें वे दिन याद है जब इस देश में मजदूरों को गुलाम समझा जाता था सुबह से लेकर रात तक जब तक उसके मालिकों को नींद नहीं आ जाती तब तक वह मजदूरी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

करता रहता। मुल्क आजाद हुआ, मजदूरों के लाभ के लिये कानून बने। राजस्थान में भी बने, उनके अधीन रूल्स बनाये गये, उनमें से कुछ को काम में लिया गया और बहुतों को आज तक काम में नहीं लिया गया। केवल नारों से मजदूरों का भला होने वाला नहीं, मजदूरों के प्रति हमें जागरुक होना पड़ेगा।

दो साल के करीब का अरसा हुआ मजदूरों में शान्ति रही। जब से चीन ने भारत पर हमला किया उस समय से लेकर आज तक मजदूर वर्ग शान्त बना रहा देश प्रेम उनमें भड़क उठा। तकलीफें पाकर के मजदूरों ने शान्ति रखी। ट्रीपार्टाइट कान्फ्रेंस हुई उसमें यह तय किया गया कि मजदूर लोग इतवार को भी काम करें उसको उन्होंने स्वीकार किया। कानून के तहत उस दिन का उनको डबल वेतन मिलना चाहिये लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारा वेतन जो होगा इतवार का हम सुरक्षा कोष में देने के लिये तैयार हैं उतना ही मालिक भी दें मालिकों ने स्वीकार किया। लेकिन मालिकों ने उसका पालन नहीं किया यह सरकार मालिकों को दबा नहीं सकी। मजदूरों के देश प्रेम की वजह से जो फायदा मिलना चाहिये आपकी सुस्ती की वजह से मालिकों को मिला है यह ठीक नहीं है।

दुकानों के लिये आपने कानून लागू किया लेकिन वह शौप एक्ट लेबर डिपार्टमेन्ट से लेकर इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट को दे दिया गया उसने मजदूरों के लिये क्या किया ?

इसके बाद लेबर वैलफेअर एक्टीविटीज की बात पर आता हूं। आपने सन् ६३ में एक लेडी वैलफेअर आफिसर को कम किया है उनको वैलफेअर एक्टीविटीज में खर्च में कमी की है। मजदूरों की स्त्रियों को और उनकी लड़कियों को जो सिलाई सिखाने का प्रावधान था उसमें दस पोस्टें कम कर दी। आपको एमर्जेन्सी इसी में नजर आयी मजदूरों की वेलफेअर एक्टीविटीज में कमी करके। लेबर एक तरफ उत्पादन बढ़ाने में लगा हुआ है दूसरी तरफ आप उनके वेलफेअर एक्टीविटिज में कमी कर रहे हैं यह ठीक नहीं है।

जहां तक स्टैटिसटिक्स का सवाल है लेबर डिपार्टमेन्ट सही तरीके के इकट्ठा करता था, उसे इस विभाग से अलग कर दिया गया।

ई० एस० आई० का जो डिपार्टमेन्ट था वह लेबर आफिस के अन्तर्गत था उस समय लेबर बड़ी आसानी से अपने अधिकारियों के पास चला जाया करता था और उनको जो भी शिकायत हो वह कर सकता था। अब वह हैल्थ डिपार्टमेन्ट के पास चला गया है। इस तरह से मजदूरों के हित के जितने भी काम थे उनको इस विभाग से हटाकर दूसरे विभागों को दे दिया। यह मैं समझता हूं मजदूरों के साथ न्याय नही हुआ है।

मिनिस्टर महोदय जो मेहनत कश वर्ग से आये हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने दसों सैक्रेटरी बदल दिये। मजदूरों के लिये श्रम विभाग के लिये आप अलग सेक्रेटरी नियुक्त क्यों नहीं करते ताकि मजदूरों के हित सुरक्षित रह सकें।

अब में भीलवाड़ा मिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो सरकार द्वारा चलाया

(श्री गोकुल प्रसाद)

जाता है अभी हाल ही में जो पांच रूपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई लेकिन इन मिल मजदूरों को वह पांच रुपये भी नहीं दिये गये। इसके अलावा जो फेमीन के इलाके में काम चलता है वहां भी मिनीमम वेजेज नहीं दी जाती है। फेमीन कोड में इस प्रकार छूट दी गई हो यह बात नहीं लेकिन रेवन्यु अधिकारी और पबलिक वर्क्स विभाग अपने मजदूरों को वे देना नहीं चाहते। इसलिये मनमानी वेतन लगाते हैं। इस के लिये फेमीन कोड में कोई अलग रूल्स नहीं हैं। इस तरह से जहां लोग अकाल से पीड़ित हैं वहां पर कम पैसा देते हैं। अगर मजदूरों का हित करना है तो यहां पर मिनीमम वेजेजे रूल्स एक्ट लागू होना चाहिये। माइका इन्डस्ट्री में मिनिमम वेजेज कमेटी बनाई हुई है उनके लिये जो कमेटी है उसका मैं भी मेम्बर हूं आज उसकी मिटिंग थी पर मुझे कल ही तार मिला है कि आप उसमें शामिल नहीं होइये वह मिटिंग २१ को रखी गई है। दो दो साल हो गये कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सोप स्टोन और चूने के पत्थर की खानों में जो मजदूर काम करते हैं कपास फैक्टरीज में काम करते हैं उनमें मिनीमम वेजेज नहीं हैं उनको शीघ्रता से लीजिए मिनीमम वेजेज के लिये कमेटियां बनाई हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया जा रहा है, आज मजदूर समझ रहा है। आप यह समझ कर कि हम आजाद हैं, आप सोते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे दो तीन मिनिट और कहना है सभा-नेत्री महोदया।

प्रोवीडेण्ड फण्ड मजदूरों का काट लिया जाता है। काट लेते हैं तो मालिक लोग वर्षों जमा नही करते। यदि जमा करादे तो सरकार रसीदें दो दो तीन तीन महिनों वर्षों तक नहीं देती। आपका डिपार्टमेन्ट इस बारे में कुछ कहता नहीं।

मिनिस्टर महोदय के पास वन मन्त्रालय भी है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मजदूरों को लेजाकर जंगल में छोड़ दो। मजदूरों को लेजाकर जगल में मत छोड़िये। मजदूरों का भी ध्यान रखिये।

जहां तक श्रम मन्त्रालय का प्रश्न है उसके बारे में बहुतों ने बहुत कहा है, मुझे तो एक ही बात कहनी है कि जितना खर्चा होता है इस पर उतना काम नहीं है, काम उतना नहीं करता यह मन्त्रालय।

रहा सवाल वन मन्त्रालय का। उसमें प्लान्टेशन का जितना एरिया तै किया है क्या कभी जाकर किसी ने देखा है कि उतना एरिया वास्तव में कवर कर लिया गया है पांच सौ एकड में हुआ है या एक सौ में। मुझे मालूम है, मैं अभी गया था आबू। पूछा गया यह प्लान्टेशन कब हुआ? एक अफसर ने जवाब दिया तीन साल पहले हुआ, दूसरे ने कहा चार पांच साल पहले हुआ, पर नौकर ने कहा कि जब बम्बई स्टेट थी यहां पर तब हुआ था। तो यह हाल है आपके विभागों की जानकारी का। तो जहां तक वन विभाग का सवाल है, मैं साफ कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बना हुआ है। नहीं होता तो १६ हजार वर्ग मील में जंगल लगा है जिसके आंकड़े इसने निकाले हैं १ करोड़ दो

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

लाख ४२ हजार रुपये खर्च करते हैं, पर आमदनी होती है कोरी ८६ लाख की और खर्च होता है ६७ लाख

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

जंगल नीलाम कर दिये जाते हैं। एक का मुझे मालूम है। ३६ हजार में नीलाम हुआ। स्वीकृति के लिये आता है मन्त्री महोदय के पास। मन्त्री महोदय से न मालूम किस ने दस्तखत करा लिये कि दस हजार में फलां संस्था को दे दिया जाय और ३६ हजार वाले को नहीं दिया जाय आपकी अगर किसी संस्था को सबसिडी देनी है तो सबसिडी के नाम से सीधी रकम दे दीजिये अलग से। पर सरकार की आय को इस तरह से नष्ट मत करिये। महिनों फाइलें चलती रहीं। तो इस तरह से सस्ते में जंगलों को लुटवाना है तो यह ठीक नहीं है। जो काम कमर्शियल ढंग से करने का है वह उस ढंग से ही करिये। खर्च करते हैं उससे अधिक मिलना चाहिये। जंगल तो आमदनी का एक सीगा है। ढंग से चलां जावे। जंगल की पहाड़ियां आज साफ दिखाई देने लग गई हैं। जंगल काट दिये हैं पुराने। जो पैसा आता वह पुराने जंगलों से। नये जंगलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सही बताता हूं मिनिस्टर साहब को तो यह सब देखने की फुरसत नहीं, वे विचारे आयुर्वेद में जावें, या कौनसे वेद में जावें, या मजदूरों में जावे या जंगलों में जावें ?

मजदूरों के बारे में एक बात और अर्ज कर देता हूं। श्रीमती सभानेत्री आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं सभापति महोदय। आपके आंकड़ों के अनुसार १८०० फैक्टरियां हैं राजस्थान में और उनके लिये छः इन्सपैक्टर तो क्या ३०० ३०० फैक्टरियां में एक एक इन्सपैक्टर देखेगा ? कबड्डी लगावेगा ? सौ पर एक हो तो समय निकाल कर २–३ महीनों में एक बार एक को देख लेगा यह समझ में आ सकता है। पर १८०० फैक्टरियों पर छः इन्सपैक्टर ? लेबर डिपार्टमेन्ट को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेबर डिपार्टमेन्ट में अधिकारियों की तरफ से बेईमानी है कोई ऐसी बात में नहीं मानता हूं इस विभाग के आदमी ठीक हैं आदमी ठीक मिलने चाहियें।

जंगलों का जहां तक सवाल है, बहुत ध्यान देने की बात है इस तरफ। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इसे मिटाने के लिये एन्टी करप्शन विभाग है, विजिलेन्स कमेटी भी बनी है, कहते हैं, पर ये कब बनेगीं ? कागजों में ही रह जावेगी या बनेगी भी ? इसमें जिस तरह से फिजूल खरचा होता है, जिस तरह से नीलामी में भ्रष्टाचार होता है, और जगह जगह भ्रष्टाचार होता है, पक्षपात होता है, यह सब बिलकुल खतम किया जावे।

जिलों में पंचायत समितियों का जहां प्रश्न है उनको तीस हजार रुपया दिया गया है जंगल लगाने के लिये वर्ष भर में अब आप बताइये चार चार रूपये में वे जंगल लगावेंगे ? मजाक कर रखा है। ८ हजार पंचायते हैं और तीस हजार रूपया आपने उनके लिये रखा है जंगल

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

लगाने के लिये ? एक तरफ तो आपने एक करोड़ रूपया इस विभाग को दिया है और दूसरी तरफ आप तीस हजार रुपया ८ हजार पंचायतों में देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जंगल लग जावेंगे। मैं वन मन्त्री से कहूंगा कि आप गलत खरचा कम करिये। आप सीड स्टोर के नाम पर बंगले बनाकर मत बैठिये, आप नर्सरी के नाम पर बंगलों में पाइपलाइन लगाने का काम मत करिये। जैसा आबू में किया है आप गावों में जंगल लगाने के लिये पंचायतों को पूरा पूरा सहयोग दीजिये सही मायनों में दीजिये। ज्यादा पैसा उनको दिया जावे। यही मैं अर्ज करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नाथूलाल करौल। पांच मिनट आपकी पार्टी के बाकी हैं, वे दिये जा रहे हैं।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) सभापति महोदय, जयपुर के रेन्जर व डी.एफ.ओ. जयपुर रेन्ज के जंगल नहीं देखते। ये आज बरबाद हो चुके हैं। नाहरी का नाका, पुराना घाट और झालाना के जंगल खतम हो चुके हैं। इसके लिये अगर कमेटी बिठाई जावे और देखा जावे तो इनको बरबाद पावेंगे।

फौरेस्ट गार्ड, फौरेस्टर, रेन्जर डी. एफ. ओ ये सब के सब इन जंगलों के रक्षक नहीं, भक्षक हैं और इन जंगलों को खत्म कर चुके है। इनकी हालत स्वयं मंत्री महोदय मेरे साथ चलकर देखें, तो पता लग जावेगा कि झालाना के जंगल में रोजब के, खेरी के सारे दरख्त खतम हो चुके हैं, और ये लोग सारा पैसा खा गये हैं। मैं इसे साबित करने को तैयार हूं।

कोई काश्तकार अपने खातेदारी के खेत में से लकड़ी बेचने के लिये लाते हैं तो ये तंग करते हैं पैसा लेते हैं उनसे। मैं कह देना चाहता हूं मन्त्री महोदय से किया तो ये तरीके बन्द करें, और इनके बन्द करने के लिये अगर रुल्स में प्रावधान करना पड़े तो वह करें वरना आंदोलन चलेगा और फौरेस्ट वालों को मैं चुनौती देता हूं कि उनकी इन ज्यादतियों को अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। खातेदार लकड़ी लावेगा और बेचेगा और इनसे तंग करके फौरेस्ट वाले जो पैसा खाते हैं वह भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा। एक काठी बेचने वाली बुढिया को मैंने देखा है, फौरेस्ट वालों ने उसे रोका और उस काठी के लिये भी उससे पैसा वसूल किया और उस गरीब काठी वाली बुढिया का भी नहीं छोड़ा। फौरेस्ट वालों के लिये और मिनिस्टर महोदय के लिये और इस सारे विभाग के लिये शर्म की बात है। इन जंगलों से नाजायज तौर पर ये फोरेस्ट के अधिकारी और छोटे मोटे सभी कर्मचारी सैंकड़ों रुपयों की रोजाना कमाई करते हैं और इस तरह सरकार के पैसे को बरबाद करते हैं, उसके जंगलों को पनपने नहीं देते और दूसरी तरफ गरीब लोगों को जो रोजी का सहारा है लकड़ी अपने खुद की जमीन में से काट कर लाने का उनको भी तंग करके पैसे खाते रहते हैं। वे ऊंट और बकरियों द्वारा सरकारी जंगलों को तबाह कराते हैं सबके पैसे बान्ध रखे हैं, उनसे पैसे लेकर जंगल कटवाते रहते हैं और इस तरह से जयपुर रेन्ज के जंगलों का मामला खतम हो चुका है। मैं इसके लिये यह मांग करता हूं जयपुर रेन्ज के डी. एफ. ओ, का और

Page No.117

(श्री नाथूराम करोल)

सारे स्टाफ का अविलम्ब तबादला कर दिया जावे। जल्दी से जल्दी किया जावे, अगर रहे सहे जंगलों को भी बचाना है तो। नहीं तो बहुत कुछ खतम हो चुका है, और बाकी को भी ये खतम करके छोड़ेंगे। मैं निवेदन करूं कि ये ही लोग है जिनके कारण आज फौरेस्ट से सब असन्तुष्ट हैं। असन्तुष्ट हैं तो इसके लिये कुछ न कुछ आपको करना होगा। अगर आपको इन्हें कटवाना ही है तो क्यों नहीं नीलाम पर दे देते हैं। और काश्तकारों के लिये जमीन क्यों नहीं निकाल दी जाती है ताकि जंगल जब साफ ही हो गये हैं, या कर दिये गये हैं तो फिर अन्न तो उसमें पैदा किया जा सके और आज जो महंगाई हो रही है, उसमें थोड़ी बहुत सस्ताई तो आ सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोती डूंगरी का जंगल है, राजस्व विभाग को उसे ले लेना चाहिये और खतम कर देना चाहिये और उस जमीन को खेतों के लिये उपलब्ध करानी चाहिये।

मैं चराई के लिये कहना चाहता हूं, बहुत बेईमानी बरती जाती है।

(१.०० म० प०)

माननीय सभानेत्री जी, मैं निवेदन करूंगा कि चराई के ६ महीने की करते हैं अप्रेल से सितम्बर तक जो ६ महीने की चराई करते हैं उसके अन्दर क्या करते हैं कि पूरे साल का पैसा ले लेते हैं और सालभर का पैसा लेकर ६ महीने तक जंगलों में नहीं ठहरने देते हैं। जो रेवारी के रहने वाले हैं उनसे ८-६ रुपये फी ऊंट लेते हैं वह बड़ा अन्याय कर रहे है और यहां पर फौरेस्ट में जितने भी व्यक्ति हैं वह यहीं के रहने वाले हैं इसलिए उनको इस रेंज में से दूसरे रेंज में ट्रान्सफर किया जाये। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : माननीय सभानेत्री महोदया, आज अभी अभी जो वन और श्रम की मांगे हैं उनके ऊपर एक चर्चा हुई और १७२ कटमोशन्स इन मांगों पर आये और लगभग १७ माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया। मुझे बहुत खुशी है कि उन माननीय सदस्यों के सारे सुझावों का अगर मैं ठीक ढंग से इस छोटे से समय में जवाब दे पाता लेकिन मुझे अफसोस है कि इन सारी बातों का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभानेत्रीजी, यह टाइम बढ़ा दिया जाये।

श्री भीखाभाई : फिर भी सभानेत्री महोदया, जिन जिन विषयों के ऊपर यह कट मोशन्स हैं उनके विषयों को लेकर मैं अवश्य कुछ कहना चाहूंगा। सभानेत्री महोदया, यहां पर वन के बारे में हमारे माननीय सदस्य जो विरोधी दल के नेता हैं और जिनको प्रशासन का काफी अच्छा अनुभव रहा है उन्होंने कुछ बातें यहां पर कहीं और मैं समझता हूं कि उनके भाषण को यदि पढ़ा जाये तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने सब जगह पर करीब करीब जो वन के संबंध में राज्य सरकार की नीति है उसका एप्रीसियेशन किया है।

(श्री भीखाभाई)

मैं यह बात अच्छी तरह से कह सकता हूं और मैं आपको एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं भी जंगल में रहने वाला आदमी हूं और जंगलों की स्थितियों को अच्छी तरह से जानता हूं और हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वह भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहां वन की पूंजी है उसके बारे में क्या किस प्रकार की स्थिति होगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर कुल मिलाकर जो हमारे वन हैं वह १५ हजार स्क्वायर माइल में हैं और उस १५ हजार स्क्वायर माइल जंगल को कुल मिलाकर २ करोड़ जनसंख्या और ३ करोड़ जो जानवर हैं उनका पालन करना पड़ता है इस प्रकार से एक एकड़ पर ५ जानवर ३ आदमियों का अनुपात पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यहां पर अभी महारावल साहब ने ग्रास के बारे में कुछ कहा। मैं यह निवेदन करूं कि ग्रास के बारे में राज्य सरकार की जो नीति है वह नीति बिलकुल साफ है कि जो फाडर है हम उसके फाडर बैंक्स स्थापित करना चाहते हैं। फाडर बैंक्स को स्थापित करने का हमने इस वर्ष निर्णय लिया है। उसके साथ साथ फाडर बैंक्स के जो गोदाम हैं उनको कायम करना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि राज्य की जो वन के संबंध में रीति और नीति के ... यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी कोई योजना नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी वन के बारे में स्पष्ट नीति है। एक जमाना था कि उन जंगलों के अन्दर जो कि उस समय शिकारगाह कहलाते थे—शिकारगाह नम्बर अव्वल और शिकारगाह नम्बर दोयम और दूसरे जो जंगल थे उनमें मवेशियों का जाना निषिद्ध था उसमें न केवल मवेशियों का बल्कि आदमियों का प्रवेश भी निषिद्ध था। अगर वहां कोई चला भी जाता तो आदमी का हाथ भी काट लिया जाता था। यह स्थिति थी एक जमाने में लेकिन जब हम तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें—तो उसके कन्टैक्स्ट में हमें जाना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना पड़ेगा कि पहले क्या था और आज क्या है। अगर इसको नहीं देखेंगे तो एक बात की बड़ी दिक्कत पड़ेगी। दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि एक जमाना जो ३० साल पहले था उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि जंगलों में घुस जायें।

मैंने डूंगरपुर राज्य में सर्विस की है और दूसरे राज्यों के बारे में अनुभव है और अच्छी तरह से समझता हूं कि आज जो स्थिति राजस्थान के अन्दर वनों के बारे में प्रयोग की जा जा रही है जो नीतिहै वह स्पष्ट है। यह बात सही है कि वनों के अन्दर बहुत सी दिक्कतें हैं। जहां तक नीति का संबन्ध है राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है हम वनों का विस्तार करना चाहते हैं। अब उसके अन्दर यह बात मैं मानता हूं कि कई कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं। वह दिक्कतें सीमांकन में होती हैं। वन का जब सीमांकन किया जाता है यद्यपि राज्य सरकार की ओर से मैं आपको निवेदन करू कि कई प्रकार के आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी हो रखे हैं। राज्य सरकार ने लिखा है

(श्री भीखाभाई)

कि दरअसल में सरपंचों को शामिल किया जाये, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को साथ रखा जाये। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कुछ तो हमारी जानकारी की कमी है और कुछ यह दिक्कतें आती हैं वहां जाकर फौरेस्ट अधिकारियों की उपेक्षा। मैं उनको डिफैण्ड नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी भी गलतियां होती हैं लेकिन एक बात जरूरी है कि जहां कानून साफ है उसके बारे में हमको कोशिश करनी चाहिए और मेरे दिमाग में आता है कि मैं मानता हूं कि सारे फौरेस्ट का एनेलाइज किया जाये तो मैं कहूंगा कि how to grow a tree, how to cut a tree, how to protect a tree; इसमें सारी साइकोलोजी फौरेस्ट की आ जाती है।

आज सभानेत्री जी, हमारे कई लोग ऐसे हैं कि जो पुरानी गाथाओं को याद करते हैं। रामायण की बात हम याद रखें कि जहां पूर्वजनों ने कहा कि एक दरख्त को पालना १०० बच्चों के पालने के बराबर है। हमारे जो पुराने कृषि मंत्री थे उन्होंने वन महोत्सव की बात को उठाया और हमको प्रेरित किया। मैं यह नहीं कहता कि दुरुपयोग नहीं होता है, लेकिन जो नीति है वह नीति स्पष्ट है और वनों को बढ़ाने की हमारी नीति है जो हमारी एक्सटेन्डिंग इकोनामी हो रही है, उसमें वनों को नहीं बढ़ाया जायेगा तो एक दिन ऐसी हालत होने वाली है कि लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाये।

(१.०६ म० प०)

राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन हमारे गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मरे हुए लोगों को काउडंग से जलाया जाता है। मैं कह सकता हूं कि उदयपुर डिवीज़न में मैं रहने वाला आदमी हूं और जो वहां की स्थिति को जानते हैं वह जानते होंगे कि वहां काउडंग से जलाने की स्थिति नहीं हो सकती, न यह समझ में आ सकता है। जैसलमेर जहां रेगिस्तान है या और भी जगह जहां बहुत रेगिस्तान है और जहां ६ भी वन नहीं हैं वहां यह बात समझ में आ सकती है। वहां भी अब तो राजस्थान कैनाल की वजह से यह स्थिति नहीं रही।

मैं निवेदन करूं कि जहां तक प्लान्टेशन का सवाल है हमारी ३ प्रकार की योजनायें हैं। माननीय सदस्य जो त्रेचट से आते हैं उन्होंने कहा कि वहां पर रेवेजेज़ के अन्दर जंगल लगाने की बात चल रही है और यह भी कहा कि सोईल कन्ज़र्वेशन के बारे में को-आर्डीनेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे यहां सोइल कन्ज़र्वेशन बोर्ड बना हुआ है और हमारे कृषि मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सीमांकन में बहुत दिक्कतें हैं, यह मुझे मालूम है। दूसरी बात यह है कि कबाड़ा नहीं मिलने के बारे में कहीं कहीं यह स्थिति हो सकती है। वहां पर वर्किंग सर्किल हैं उसमें यह हो सकता है कि जिस प्रकार की मांग हो उसके मुकाबिले में उस सर्किल में लकड़ी नहीं हो। मैं आपको कहता हूं कि जिस जगह से मैं आता हूं सागवाड़ा के आसपास कोई जंगल नहीं है। तो हमको जंगल के लिए कहां जाना पड़ता है आसपुर

Page No.120

(श्री भीखाभाई)

जाना पड़ता है, निठावा जाना पड़ता है। तो यह बात सही है उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां पर हम हैं सब जगह दरख्त उगाये नहीं जा सकते। आज हम देखते हैं जंगलों में कि जो हैं वहां एक प्रकार के जंगल हैं........

मैं यह मानता हूं कि कठिनाइयां है। एक माननीय सदस्य जो बेगू से आते है।

श्री जयनारायण सालोदिया : (निबाई) सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि माननीय मंत्री महोदय बहुत तेज बोल रहे हैं, वह समझ में नहीं आता है। जरा स्लो बोलें।

श्री भीखाभाई : राज्य सरकार एक बात पर विचार कर रही है। वह यह विचार कर रही है किस प्रकार से यह कानून की आड़ लेकर लेकिन पूर्णतया उसको टाल कर मामूली जनता को, सामान्य लोगों को किस प्रकार से परेशान करते हैं उसके बारे में निर्णय किया जाय। उसके लिए कांग्रेस सरकार जागरूक है। कांग्रेस की तरफ से कमेटियां स्थापित की जा रही हैं और विचार-विमर्श किया जा रहा है। उसके बारे में मैं कहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों को कान्फीडेन्स में लूंगा और मैं घोषणा करता हूं आज को तारीख में कि स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनाई जायेगी जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों को भी कोआप्ट किया जायगा। (सरकारी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)।

जहां तक कलचरल ऑपरेशन का सवाल है राजस्थान में, वह ठेकेदारों के द्वारा हुआ करता था। हम चाहते है कि ठेकेदारों को समाप्त करें।

(राज्य पक्ष की ओर से हियर हियर)

और डूंगरपुर और बांसवाड़े के अन्दर हमने ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि वहां पर चारकोल के लिए और ईंधन के लिए कोआपरेटिव सोसायटीज का निर्माण नहीं हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि उस जिले के जो रहने वाले हैं और जो विरोधी पक्ष से आये हैं उनकी भी जिम्मेदारी हैं और हम सब की जिम्मेदारी है और इसलिए जिम्मेदारी है कि जो राज्य सरकार ने फैसला किया है उसको परिपूर्ण करें, और वह तभी कर सकते हैं जब कि हम लोगों में जाकर उनके बीच में बैठ कर काम करें, लेकिन इतनी चीज हम से हो नहीं पाई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि फौरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी ने एक बात रखी थी कि ग्रेजुअल एलीमिनेशन ऑफ दी काट्रेक्टर्स। मैं समझा हूं कि यह जरूरी है। हम समाजवाद की बात करते हैं इसलिये आवश्यक समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इस तरह से करेंगे ताकि कोऑपरेटिव द्वारा काम हो या कलचरल आपरेशन वगैरह का डिपार्टमेंटल वर्किंग हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वित मंत्रीजी उनकी अध्यक्षता में यानी हमारी तीन आदमियों की कमेटी बनी हुई है कि डिपार्टमेंटल वर्किंग किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में धनराशि कितनी चाहिए। धनराशि देने वाले तो वह हैं इसलिए धनराशि देने के लिए उनको अध्यक्ष बनाकर एक कमेटी का निर्माण किया है।

Page No.121

(श्री भीखाभाई)

एक बात मैं कहना चाहता था कि झालावाड़ जिले के अन्दर, कोटा के अन्दर वहां पर इस प्रकार की स्थिति है, वहां पर चराई की कठिनाई है, कहीं पर चराने की शिकायतें हैं जैसे कन्सेंट्रेटेड एरिया वगैरह के बारे में शिकायतें हैं जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जैसा कि चेचट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि जो आदमी कमर्शियल परपजेज के लिए मवेशी रखते हैं उनसे कितना लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नान कमर्शियल परपजेज के लिए करते हैं, अगर उन पर लग रहा है तो मैं इसके लिए क्लेरिफिकेशन जारी करूंगा।

जहां तक झालावाड़ और कोटा क्षेत्रों का सवाल है वहां पर आम तौर पर चराई का ठेका हुआ करता था तो उस चराई के ठेके के लिए मैंने इस वर्ष इस प्रकार के आदेश दे दिये हैं कि आयन्दा भविष्य में किसी प्रकार का ठेका जो चराई के नाम से देते हैं जिस पर कि एक मिडिल मैन प्रोफिट लेता है और दूसरी आम जनता का शोषण करता है तो उसको बन्द किया जाना चाहिए।

(हियर. हियर)

जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है हमारे कुछ मित्रों ने चर्चा की है। राजस्थान के अन्दर जो वर्मा जी की सरकार पहले थी उस सरकार ने एक विज्ञाप्ति पहले जारी की थी और उस वक्त में उस विज्ञाप्त को जारी करने के लिए इस बात का ध्यान रखा था उस वक्त राजस्थान था उसके अन्दर आदिवासियों की संख्या ४० पर्सेन्ट थी। ४० पर्सेन्ट की जनसंख्या होने के कारण एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। और उस विज्ञप्ति को जारी करने के बाद फिर राजस्थान सरकार की तरफ से विचार हुआ और उस राज्य सरकार ने फिर एक दूसरी विज्ञप्ति जारी की और इसके बाद में तीसरी विज्ञप्ति जारी की और उसके अनुसार आदिवासियों, कृषकों को इस प्रकार से कन्सेशन देने की बात रखी गई और इन सारी को सारी विज्ञप्तियों में यह साफ लिखा है कि इसके मुताबिक कबाड़ा दिया जाना चाहिए। हमारे जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उन्होंने फर्माया था और मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था कि इस बात का क्लेरिफिकेशन करें कि एक लाख रुपया हम इस साल ज्यादा बता रहे हैं बस एक लाख रुपये का घाटा है, और हमने बताया कि १० लाख रुपये का फायदा है। इसका स्पष्टीकरण में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जहां १० लाख का मुनाफा बताया गया है, मैं समझता हूं कि वह प्रिंटिंग ऐरर है या मिस्टेक है। उसमें लगभग २० लाख का मुनाफा बताया जाना चाहिए था। वह इसलिए कि प्रति वर्ष ५९-६०, ६०-६१, ६१-६२ ६२-६३ से लगातार २० लाख का कबाड़ा मुफ्त आदिवासियों को देते हैं। वह कबाड़ा जो मिलता है वह इस वक्त विज्ञप्ति के अनुसार मिलता है। उस विज्ञप्ति के अनुसार कबाड़ा मुफ्त मिलता है तो निश्चित् रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी चाहे वे सिरोही के हों, चाहे

(श्री भीखाभाई)

आबू रोड़ के हों, चाहे कोटा के हों, चाहे बूंदी के हों, चाहे कहीं के भी हों, लेकिन उसके लिए हमें ताज्जुब है कि वहां पर लकड़ी हैड लोड पर नहीं लाने दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि लाने नहीं दी जाती है। तो मैंने वह देखा है लीन वह बड़ा ही आश्चर्यजनक था। इसलिए मैं हाउस में कहना उचित नहीं समझता क्योंकि कोई आदमी अपने रोजगार के जरिये के लिए कुछ करता है तो मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहता था कि वन के बारे में और जो बातें कही गई हैं यहां पर, और उसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि माननीय सदस्य जो सिरोही से आने वाले हैं उन्होंने यह कहा कि टाइम पर कबाड़ा मिलता है। आम तौर से आदि-वासी लोग गर्मियों में अपने मकान बनाते है तो यह निश्चत बात है कि वह छाने का काम मई और जून में करते हैं लेकिन फारेस्ट एन्वायरी कमेटी की जो एक सिफारिश थी उस सिफारिश में यह कहा गया था कि यह कबाड़ा उनको अप्रेल के अन्दर ही बन्द कर देंगे, लेकिन उसको बढ़ाकर अब १५ जून तक कर दिया गया है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसके बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात बताई और उन्होंने यह कहा कि वहां पर मैसर्स फतेहलाल एण्ड सन्स, जोधपुर के किशनलाल इल्लिसिट प्रेजिंग कराते हैं उसके बारे में एन्टी करपशन डिपार्टमेंट के द्वारा एन्क्वायरी कराई जा सकती है और माननीय सदस्य उसको साबित करें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि फैक्ट्स आज की तारीख में दें तो एन्टी करप्शन में देने को तैयार हूं....

एक माननीय सदस्य : Very good (हियर, हियर)

श्री दलपतसिंह : (आबू) वापिस जंगल खोलने का कौन सा टाइम रखा है ? सैप्टेम्बर में ?

श्री भीखाभाई : १५ जून से १५ अक्टूबर।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय मंत्री महोदय कोटा की स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री को जो घास दिया गया है २ लाख टन चालीस नये पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से उसका क्या जस्टीफिकेशन है कि उनको इतने सस्ते दामों पर घास दें।

श्री भीखाभाई : कोटा की जो स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री के बारे में कहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कितने मन घास इस साल दिया गया है, उसकी इन्फोर्मेशन तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में घास जो दिया है वह इसलिए दिया है कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। यह मैं मानता हूं कि घाटा हुआ है इसमें यह मैं नहीं कहता कि घाटा नहीं हुआ है। घाटा हुआ है लेकिन उसका दूसरा प्वाइन्ट ऑफ व्यू है उसको देखना

(श्री भीखाभाई)

पड़ेगा। एक इन्डस्ट्री राजस्थान में लगती है तो कितने आदमियों को रोजगार मिलता है, उससे कितना टैक्स मिलेगा, कितना इनकम टैक्स होगा उसका कितना शेयर हमको मिलेगा, सेल्स टैक्स मिलने से कितना फायदा होगा, और दूसरी बात यह है कि यह सारा प्रोटेक्शन दिया है और उसकी जिम्मेदारी ले है कि घास कटने के बाद में उसमें जानवर ली आ जा सकते है।

ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, कोई घाटे का सौदा नजर नहीं आता। माननीय सदस्यों के पास कोई सूचना हो तो मुझे अलग से समझा दें, मैं छानबीन करने की चेष्टा करूंगा।

मैं समझता हूं, वन के संबंध में मुझे जो कहना था मुख्यतः बातें मैंने कहीं। हो सकता है कि कुछ बातें रह गई हों तो मैं निवेदन करूंगा...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कनवास के बारे में कह दें।

श्री भीखाभाई : कनवास के बारे में आपके कहने के अनुसार मैंने जानकारी पहले की थी। जो सड़क जा रही है उसका विड्थ बढ़ता जा रहा है। वहां पर जो लकड़ी थी उसको फौरेस्ट विभाग ने नीलाम करने की कोशिश की। १००० मन लकड़ी थी २५-४-६३ को नीलाम की गई लेकिन किसी आदमी ने आकर बोली नहीं लगाई।

"Publicity was given in the Collectors' office. Panchayat Samiti and zila Parishad. The highest did was of Rs. 325- by Shri Narendra Pal Singh. No other higher bid was there."

इससे यह साबित होता है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया था लेकिन माननीय सदस्य को इस बात का शौक है कि यहां पर कोई मुद्दा उठाया जाय और उसको बाहर मेग्निफाई किया जाय एम्पलीफाई किया जाय (करतल ध्वनि)....

श्री हरिप्रशाद शर्मा : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, चैलेंज करके टालने की कोशिश की है। हम इसलिये दखल नहीं दे रहे थे कि आपकी पत्नि बीमार है, आपके पास टेलिफोन आया है, इसलिये हम चाहते थे कि आप जितनी बातें बताना चाहें वे बतादें ताकि जल्दी वहां जा सकें। आपने कई बातें सदन के सामने रौंग रखी हैं। यह कनवास रोड ५ मील लंबी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन पूछें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप यहां पर गलत बातें बताते हैं। हम चुपचाप इसलिये सुन रहे थे....

श्री उपाध्यक्ष : Order Pleae !

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जो कोटा से आते है उन्होंने एक बात कड़वी कमेटी को लेकर रखी और यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के लोग कड़वी कमेटी में आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार का उससे क्या ताल्लुक है। कोई

(श्री भीखाभाई)

रिलीफ कमेटी बनती है, अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिये कोई कमेटी बनती है, चाहे वह पोलिटिकल पार्टी की हो चाहे और किसी की हो, अपने यहां इस प्रकार की संख्या चलती है तो मैं समझता हूं इसपर कोई ऐतराज नहीं हो सकता।....

श्री महेन्द्रसिंह : सरकार का ताल्लुक इसलिये है कि कड़वी खरीदी जाती है वह सरकार के पैसों से खरीदी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण नहीं दें।

श्री भीखाभाई : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि जिन साहबानों के कट मोशन्स के उत्तर नहीं मिले हैं उनको मैं लिखित रूप में उत्तर भेजने की चेष्टा करूंगा।....

(कुछ माननीय सदस्यों के उठने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

क्योंकि सदन का समय शीघ्र ही समाप्त होने वाला है इसलिये कार्य सलाहकार समिति की राय के अनुसार प्रस्तुत २ मांगों को आज ही पारित करना आवश्यक है, इसलिये मैं समझता हूं सदन की अनुमति होगी कि समय बढ़ाया जाय। जब तक दोनों मांगे पारित न हो तब तक समय बढ़ाया जाय

(स्वीकृत)

(अनुमति प्रदान की गई)

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर श्रम नीति के बारे में भी चर्चा हुई और माननीय सदस्य जो अलवर से आते हैं उन्होंने और माननीय सदस्य जो गंगानगर से आते हैं उन्होंने और माननीय सदस्य जो लाखेरी से आते हैं उन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने इस बारे में कहा कि श्रम नीति राजस्थान की एक जोइन्ट मैनेजमेन्ट कमेटी जैसी या एक प्राइवेट कम्पनी जैसी है। श्रम विभाग के बारे में उनके आरोप हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य मुझ से रोज मर्रा पूछते हैं, मैं कह रहा था कि आप जैसे आंकड़े चाहें वैसे आज भी मेरे पास तैयार हैं। रोज मैं उनको अपने साथ कोन्फीडेन्स में लेकर किया करता हूं हालांकि मुख्तलिफ विचार दोनों के हैं फिर भी मैं इस बात की चेष्टा करता हूं कि श्रम के बारे में जो मूल भूत सिद्धान्त है, दरअसल में त्रिपार टाइट समझौता जिस प्रकार होता है जिसमें मजदूर सरकार और मैनेजमेन्ट तीनों बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं।

आज राजस्थान में जो श्रम नीति चलती है उस पर राजस्थान सरकार का अपना दावा नहीं है। श्रम नीति का संचालन एक जगह से होता है। वह होता कहां से है। वही उसका उद्गम है, वही उसका उद्घोष है और वह उनमें है जो जमीन पर पड़े हुए हैं, उनसे आवाज निकलती है, उनसे श्रोत बनता है। चाहे वे अफ्रीका में हो चाहे और किसी जगह हो। उनसे जो आवाज निकलती है उससे श्रम नीति बनती है। (हीयर हीयर) और उन श्रमिकों की प्रतिध्वनि आई. एल. ओ. से हिन्दुस्तान में

Page No.125

(श्री भीखाभाई).

आती है और उससे नीतियों का निर्माण होता है और उसी के अनुसार राजस्थान में भी वही नीतियां चलानी होती हैं। यह सब्जेक्ट हमारे संविधान की कान्करेन्ट लिस्ट पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को मालूम है जोकि मिनिमम वेज बोर्ड ने कहा। वे खुद उसके सदस्य होंगे। जो मिनिमम वेज कमेटीयां हैं उनमे सब के प्रतिनिधि रहते हैं। हमारे यहां आचार संहिता, कोड ओफ डिसीप्लेन्न बना हुआ है इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल के जरिये लेकिन आप देखेंगे कि माननीय सदस्य शान्तिवादी नहीं हैं, अशान्तिवादी नहीं हैं तो भी उनके कुछ मित्र अशान्तिवादी है (शेम शेम........

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या आप यह चाहते हैं कि आप मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करते रहें और मजदूर चुप चाप रहें ?

श्री भीखाभाई : मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको नाराज होना नहीं चाहिये। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपसे नाराजगी इसलिये नहीं है कि आपके वश में है नहीं आपकी कुछ चलती–चलाती है नहीं, हृदय से अच्छे होते हुए भी........

श्री उपाध्यक्ष : Ordr Please

श्री भीखाभाई : उन्होंने अपने भाषण के दौरान दो तीन बातें बताई। एक तो उन्होंने यह कहा कि पी. डब्ल्यूडी. के मजदूरों की छंटनी हो गई। यह सही है कि वहां पर काम नहीं था इसलिये छंटनी हो गई। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मजदूरों को ५) माहवार एडहोक बेसिस पर नहीं दिया गया। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि फरवरी ६४ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को ५) दिये गये है (करतल ध्वनि)

मैं निवेदन करूं कि पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में जो उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज उनकी ४५) है उसका पालन नहीं करते हैं उसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब ने आवश्वासन दिया है कि उनको बराबर इतने ही रुपये दिये जाते हैं और छुट्टियों तक का पेमेन्ट होता है.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : १ रु. २ आने वाली बात।

श्री भीखाभाई : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, वह फेमिन कोड में हैं, फिर भी एक प्रकार के एग्जेम्पशन की छूट है, इस पर विचार किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस वक्त एग्जेम्पशन का सवाल नहीं है। मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूरों की वेजज कम से कम ४५) होनी चाहिये। लेकिन स्केयर्सिटि एरियाज में १ रु. २ आने देते हैं। कोई लीगल एग्जेम्पशन नहीं है। फेमिन कोड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिनिमम वेजेज एक्ट की अवहेलना कर सके।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना

Page No.126

(श्री भीखाभाई)

चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज एडवाइजरी बोर्ड बना है। हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ गई है। वह रिपोर्ट बोर्ड के विचाराधीन है। जब वह सरकार के पास आयेगी तब उस पर सरकार की ओर से जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जायगा यह मैं आश्वासन दे रहा हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (मांडल) : जल्दी से जल्दी सरकार देना चाहती है उसमे कितना समय लगेगा ?

श्री भीखाभाई : बीकानेर के माननीय सदस्य ने कहा कि यही बात ऊन उद्योगों पर लागू करने का विचार है या नहीं। मैं समझता हूं लागू करना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : On Point of ordesr

मेवाड़ टैक्सटाइल, भीलवाडा है वह भी स्टेट कंट्रोल में है। उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में पांच रुपये बढ़ाने का निश्चय क्यों नहीं किया ?

श्री भीखाभाई : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं दिया है तो दिया जाना चाहिए।

जहां तक जोइन्ट मैनेजमेंट कौंसिल का सवाल है, मैं इस बात को मानता हूं। एक बात मैं आपसे कहूं कि जहां तक मंहगाई भत्ते का सवाल है, जो प्राइसेज में मंहगाई बढ़ती जा रही है, उसको मद्दे नजर रखते हुए सारे मजदूरों को इसका लाभ मिलना चाहिए और उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उनके मालिकों को उनका शोषण करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए (करतल ध्वनि) इसके लिए तारीख १८ को माननीय मुख्य मंत्री के तत्वावधान में

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : That too under the Chairmanship of the Chief Minister

श्री भीखाभाई : Yes १८ तारीख को, मैंने निवेदन किया कि सारे उद्योगपतियों को बुलाया गया। उसमें मंत्री मंडल के सभी सदस्य थे और इस बात का मारल परसुएशन हमने किया........

श्री रामानन्द अग्रवाल : हृदय परिवर्तन !

श्री भीखाभाई : हां, हृदय परिवर्तन। आप डंडे लगाते हैं, मैं नहीं लगा सकता। हमने उसमें हृदय परिवर्तन की भावना से काम किया। वे कोड आफ कन्डक्ट और ट्रूस रिजोल्यूशन के अंग है। उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उनके लिए प्रयत्न किया। उसके बाद में सफलता नहीं मिली तो पांच तारीख को फिर मीटिंग बुलाई। उसके बाद फिर मीटिंग १३ तारीख को, जब यहां सेमीनार चल रही थी, बुलाई और उसका नाम लेकर भाषण में मैंने कहा

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां बिड़ला ने धमका दिया, अखबारों में छपा है।

श्री भीखाभाई : कई लोगों ने उसपर एग्री किया और कहा कि हम इस बात से एग्री करते हैं। जितनी टैक्सटाइल मिलें हैं

Page No.127

(श्री भीखाभाई)

उन्होंने लिंकिंग के साधन को स्वीकार कर लिया है। जो स्लिमकों का सवाल था, वहां ५२ थे, अब ६० कर दिये हैं। इस प्रकार का इन्क्रीमेंट दिया है ८ रुपये का। यह इन्टरीम दिया है, हालांकि उनका मामला....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सादुल टैक्सटाइल मिल का क्या हुआ ?

श्री भीखाभाई : वह आये नहीं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इनमें तो कान्फ्रेंस में बातचीत हो जाती है। मिनिस्टर साहब ने मान लिया तो सवाल उठाया मत करो, दूसरों का टाइम खराब मत किया करो। मैं जानना चाहता हूं कि जब पिछली बार आपने जवाब दिया था तो कहा था जर्नलिस्ट के बारे में कहा था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो डाइरेक्शन हैं उनको पूरा किया जायगा। यह आपने सदन को आश्वासन दिया था। अब साल भर हो गया है तो क्या उसको पूरा कर दिया है। जैसा पहले बोले वैसा आज बोलेंगे, तो अगले साल आपको देखेंगे। जो आपने आश्वासन दिया था उसके लिए क्या किया ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य की एक आदत है। वे क्या हैं, यह सब लोग जानते हैं। एक बात और है, वह जोश में चढ़ाने वाली बात है। वे समझते हैं कि जोश में होश खो देंगे और वे सब बता देंगे जो वे चाहते हैं। मैंने कल या परसों सारी बातों की जानकारी इस सदन में सदस्यों को दी थी। मैंने कहा था, हमारे पास राष्ट्रदूत का सवाल है, दूसरी जगह उसको माना है। जो आश्वासन दिया था कि पैसा दे देंगे उसको माना है कि पैसा दे देंगे। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि कोई झगड़ा नहीं था। अगर श्रमजीवी पत्रकारों की आपके पास कोई शिकायत हो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह मैंने नहीं पूछा। आपके होश खोये हुए हैं। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लेरीफिकेशन चाहा है, वह दूसरी बात का चाहा है। आपके होश खोये हुए हैं इसलिए दूसरी बात कह गये

(करतल ध्वनि)

यह आप नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं इसलिए तालियां बजा रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर) : मंत्री महोदय को कुछ मत कहो। मंत्री महोदय, हर्टफुल हैं, सिक्सर लगा रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह खिलाड़ियों की बात नहीं है। यह सिक्सर तो आपने बहुत देखे होंगे।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण न दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं क्लेरीफिकेशन चाहता हूं।

मैंने पूछा, आपने आश्वासन दिया था। आपकी कमेटी जाकर देखे कि उनके बीच

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

में कोई झगड़ा है या नहीं, यह सवाल नहीं था। सवाल यह भी नहीं था कि उनमें आपस में कोई कम्प्रोमाइज कराने की बात हो, मालिक से कम्प्रोमाइज कराने की बात हो। बल्कि आपसे यह कहा था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा है उसके मासिक रिपोर्ट तैयार की है या नहीं आपने कहा था कि एक महीने में करवा देंगे। राष्ट्रदूत छूटा तो क्यों छूटा, सदन में यह बात करते हैं। सीधी बात क्यों नहीं करते और फिर आप होश की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि श्रमजीवी पत्रकारों के सवाल पर मैं उत्तर दे चुका हूं। येकहते हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट भी आ चुकी है। और मैंने बताया केटेगरीकली कि उसमें बताये केटेगोराइजेशन से श्रमजीवी पत्रकारों में संतोष है। आपके पास कोई आई तो उस पर विचार किया जायगा। अभी सैकिंड वेजेज..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। कमेटी बैठी है, तो फिर ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं दिया गया है?

श्री भीखाभाई : वह वेज बोर्ड था जिसमें........

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह वेज कमेटी बिठायी है उसने रिपोर्ट दी है।

श्री भीखाभाई : वेज कमेटी नहीं बनाई। एक कमेटी बनाई थी, उसमें वेज नहीं है। उसमें यह था जो आपको तथ्य कहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसकी क्या रिपोर्ट आई?

श्री भीखाभाई : कैटेगेरीइजेशन के बारे में रिपोर्ट आई। जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आधा घंटे का डिस्कशन मांग लें तो मैं जवाब दे सकता हूं। इस वक्त तैयार नहीं हूं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : सिक्सर।

श्री भीखाभाई : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टैक्सटाइल....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Not a single chance lost.

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : चान्स लिया है।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सादुल टैक्सटाइल के बारे में कहा था, तो जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सवाल होगा, उसका सवाल है वह ऑल इंडिया पैटर्न से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो कमेटी बनाई है, माथुर कमेटी, उसकी सिफारिशों का उस पर कोई असर नहीं होगा।

(श्री भीखाभाई)

दूसरे, उन्होंने कहा कि वेजेज टाइम से मिलें, इसमें कई दिक्कतें हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

तीसरे उन्होंने कहा था कॉटन जिनिंग फैक्ट्री के बारे में कि उसका कोई इन्सपेक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि गंगानगर के अन्दर जिनिंग फेक्ट्री है, उनका काम महीनों नहीं होता है लेकिन कोई सजा नहीं होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छः फैक्ट्रीज पर मुकादमा चलाया है, चार को सजा हुई है। साथ ही मैं इन्सपेक्शन के बारे में निवेदन करूं कि फैक्ट्री इन्सपेक्टर्स ने ५५ इन्सपेक्शन किये हैं, जिनमें ४८ का कन्विक्शन हुआ है और ७ में एक्विटल हुआ है। इस प्रकार इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार भी श्रमिकों के हितों की रक्षा हो।

इस बात का प्रश्न उठाया गया कि आज श्रम-कल्याण का काम है, वह कम हो रहा है। मैं एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, वह यह है कि राजस्थान के अन्दर हमारे यहां वर्कर्स एजुकेशन की स्कीम नहीं थी। हमने इस वर्कर्स एजूकेशन को राजस्थान में लागू किया है। भीलवाड़ा में जिस तरह से सेन्टर है, उस प्रकार रीजनल सेन्टर बन जाय, यह हमारी कोशिश है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार मजदूरों के बारे में जहां तक हो सकता है, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिक से अधिक उनको शिक्षित बना कर उनके अन्दर नेतृत्व की भावना पैदा करसकें ताकि वे अपने आपके लिए बार्गेनिंग कर सकें। अभी तक माननीय सदस्य उनके लिए बार्गेनिंग करते हैं वह बन्द करना चाहते हैं। हमारा यह विचार है कि जो मजदूर नहीं है, जो मजदूरी से पैसा नहीं कमाता है उसका यह हक नहीं होगा। इस प्रकार की स्थिति हम राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो बातें यहां कही गई हैं श्रम के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार और श्रम विभाग पूरी तरह सजग है, जागरुक है।....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : On a point of information......

श्री भीखाभाई : हम उनको ह्यूमन वैल्थ समझते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने प्रोवीडेंड फन्ड के बारे में नहीं कहा।

श्री भीखाभाई : उसका पालन हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह जिक्र किया गया कि उनको समय पर रसीदें नहीं मिलती हैं कि यह फंड में जमा करा दिया या नहीं। उसके सम्बन्ध में क्या जांच करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : उसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर कहीं ऐसा हो तो मुझे ज्ञानकारी दे दें, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Have you finished ?

श्री भीखाभाई : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९७ लाख ४७ हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३ मुख्य शीर्षक ३८-श्रम नियोजन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९७ लाख ३० हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २३ स्वीकार की गई।

सदन की बैठक कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही १.४० बजे बुधवार, दिनांक १८ मार्च, १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, दिनांक १७ मार्च,१९६४)

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

स्कम्भ

अनुसूचित जाति के छात्रोंके लिए छात्रावास-भीनमाल ।

गंगानगर शुगर मिल्स के क्लेरिकल व सुपरवाइजरी स्टाफ के सर्विस रूल्स ।

सेन्ड स्टोन पर रॉयल्टी ।

बालोतरा—सांचोर रूट पर बस का समय-निर्धारण ।

कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर टैक्सेज की बकाया ।

राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में अभिवृद्धि ।

पर केपिटा इन्कम ।

गावों को बिजली—जिला जयपुर ।

ग्रेजुएट अध्यापकों को ग्रेड, जिला भरतपुर ।

मिडिल स्कूल की अपूर्ण इमारत ग्राम गांधी, जिला गंगानगर ।

स्कम्भ

हरसाना (अलवर) में हायर सेकन्डरी स्कूल ।

मांस उद्योग ।

जयपुर नगर के लिये हायर सेकण्डरी स्कूल ।

नाइलोन फैक्ट्री, कोटा को ऋण ।

चीनी का कारखाना—अन्ता ।

कामां से नन्देरा—सतवास—नोनहरा सड़क ।

ठेकेदारों की जब्त की गई सिक्योरिटी डिपोजिट ।

रानी—देसूरी सड़क ।

विज्ञान ब्लॉक—गवर्नमेंट कॉलेज, सिरोही ।

अध्यापकों के इन्टरव्यू—जिला शिक्षणालय, नागौर ।

बाड़मेर में डिग्री कालेज ।

नृत्य-अध्यापक की योग्यताए ।

उद्योगों में अनियमितताओं की शिकायतें तथा उनकी जांच—जिला भरतपुर ।

स्कम्भ

महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा।

काटन मिल कि स्थापना—नोहर।

प्राथमिक स्कूल—जिला गंगानगर।

अपग्रेडेड प्राईमरी स्कूल—जिला पाली।

पुरातत्व विभाग में नियुक्ति एवं पदोन्नति के नियम।

पी. डब्लू. डी. के भूतपूर्व ओवरसीयर की नियुक्ति

सड़क निर्माण कार्य—खानपुर।

चूड़ी बनाने हेतु आयात माल।

पालू—रूपनगर सड़क।

रतनगढ—फतेहपुर सड़क।

स्थगित प्रश्न

(२६-२-६४)

चित्तौड़—बूंदी सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा।

(२-३-६४)

कन्या माध्यमिक शाला—बड़ी सादड़ी।

(३-३-६४)

स्कम्भ

मिडिल स्कूल, सूरजपोल दरवाजा, कोटा की इमारत।

(३-३-६४)

बीकानेर शिक्षा मंडल के ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड।

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

राजकीय छात्रावास तिलक नगर, जयपुर पर वार्षिक व्यय।

सामान की खरीद, शिक्षा विभाग, अलवर।

राजस्थान हाई कोर्ट में दायर की गई अपीलों की संख्या।

विद्युत विभाग के कर्मचारी तथा सर्विस रूल्स।

तिजारा—टपूकड़ा सड़क पर पुल।

मालाखेड़ा व अकबरपुर की जनता द्वारा बिजली की मांग।

तहसील लालसोट के गांवों को बिजली।

उद्योगपतियों को ऋण, जिला चित्तौड़गढ़।

उदयपुर जिले के उद्योगपतियों को ऋण।

प्रीमियर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कोटा को स्टेन-लेस-स्टील का कोटा।

३. स्थगन प्रस्ताव

(१) सेन्ट्रल जेल, जयपुर में कैदी श्रीनारायण सिंह द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

उप-गृह मन्त्री श्री निरन्जननाथ आचार्य ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) बाबा मूवासीनाथ चैरिटेबिल ट्रस्ट, हरद्वारीगढ़ (गंगानगर) की जमीन सरकार द्वारा अवाप्त कर लिये जाने से सम्बन्धित श्री मुरलीधर व्यास के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई।

उप-राजस्व मन्त्री इस सम्बन्ध में दिनांक १८–३–१९६४ को एक वक्तव्य देंगे।

(३) मेडिकल कालेज, बीकानेर के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई।

स्वास्थ्य मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

४. आयव्ययक, १९६४–६५

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन

(२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन

उपरोक्त मांगे श्री भीखाभाई, वन एवं श्रम मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गईं। इन मांगों पर कुल १७१ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

वन एवं श्रम मन्त्री के उत्तर के पश्चात् मांगे सदन द्वारा स्वीकार की गईं।

बुधवार, दिनांक १८ मार्च १९६४

की कार्य-सूची

अनुदान की मांगों पर मतदान

---

(१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य ।

(२) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१--विविध ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५४ का उत्तर देखिए)

रॉयल्टी की दरें जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में चार्ज की जाती है उसका विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	डिविजन—जिला	रॉयल्टी की दरें	रिमार्कस्
१	२	३	४
१	कोटा—कोटा, बूंदी, झालावाड़	२५ नए पैसे प्रति घनफुट	
२	स्थान—कोटडोनगर, भिरुनियां जिला—सवाई माधोपुर	३० नए पैसे प्रति घनफुट	
३	स्थान—भरतपुर	४० नए पैसे प्रति घनफुट	
४	जयपुर—जयपुर, टोंक, सीकर, झुंझनू	१ रुपया प्रति टन	
५	स्थान—अलवर	१२ नए पैसे प्रति घनफुट	इन क्षेत्रों में रॉयल्टी की दर में २५ प्रतिशत वृद्धि करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है।
६	जोधपुर—जोधपुर डिविजन में सब-जिलें	१ रुपया प्रति टन	
७	उदयपुर—उदयपुर, बांसवाड़ा	१ रुपया प्रति टन	
८	भीलवाड़ा—भीलवाड़ा, अजमेर	१ रुपया प्रति टन	
९	बीकानेर—बीकानेर सब-डिविजन	१ रुपया प्रति टन	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ का उत्तर देखिये)

1		2	3	4
				Total
1.	RJR 130	III & IV 63	712.50	1068.75
		I 64	356.26	
2.	RJR 132	Nov. & Dec, 58	205.50	2127.38
		year 1963	1537.50	
		I 64	384.38	
3.	RJR 144	I 64	356,25	356.25
4.	RJR 146	year 1963	1660.00	2075.00
		I 64	415.00	
5.	RJR 149	IV 62	285.00	2066.25
		year 1963	1425.00	
		I 64	356.25	
6.	RJR 150	III & IV 63	761.25	1141.25
		I 64	380.63	
7.	RJR 164	IV 63	356.25	712.50
		I 64	356.25	
8.	RJR 168	IV 63	337.50	675.00
		I 64	337.50	

	1	2	3	4
9.	RJR 173	year 1963	1522.50	1902.50
		I 64	380.00	
10.	RJR 180	year 1963	1725.00	2156.25
		I 64	431.25	
11.	RJG 200	I 64	346.88	346.88
12.	RJR 212	IV 63	384.38	768.76
		I 64	384.38	
13.	RJR 234	IV 63	380.63	761.26
		I 64	380.63	
14.	RJR 239	year 1963	1522.50	1903.13
		I 64	380.63	
15	RJR 256	III & IV 63	665.00	997.50
		I 64	332 50	
16.	RJR 257	III & IV 63	543.75	815.63
		I 64	271.88	
17.	RJR 887	I, II & III 63	1265 62	1687.50
		I 64	421 88	
18.	RJR 957	I 64	421.88	421.88
19	RJR 1055	I 64	356.25	356.25
20	RJR 1337	December, 57	115.00	
21	RJR 1337	IV 63	431.25	977.50
		I 64	431.25	
22.	RJR 1526	IV 63	421.88	843.76
		I 64	421.88	
23.	RJR 1623	IV 60	229.50	1917.00
		year 1963	1350.00	
		I 64	337.50	

1		2	3	4
24.	RJR 1700	year 1963 I 64	1687.50 421.88	2109.58
25.	RJR 1728	III & IV 63 I 64	862.50 431.25	1293.75
26	RJR 1794	IV 63 I 64	337.50 337.50	675.00
27.	RJR 1760	II 59 I 64	243.00 337.50	580.50
28	RJR 1839	I, III & IV 63 I 64	1096.88 362.63	1459.51
29,	RJR 1840	IV 60 I 64	297.00 412.50	709.50
			Grand Total	33337.90

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५७ का उत्तर देखिये)

INDUSTRIAL PRODUCTIONS IN RAJASTHAN

Name of the Industry	YEAR												
	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Cement ('000 Tonnes)	258	278	420	584	532	535	658	778	938	962	1086	1075	1190
2. Sugar* ('000 Tonnes)	8.3	0.6*	5.5	11.0	13.8	18.0	13.9	7.2	12.3	18.2	14.2	15.5	13.7
3. Cotton Cloth (Lakh Metres)	587	520	595	611	586	569	527	490	477	482	553	527	560
4. Yarn (Lakh Kilograms)	120	132	143	165	163	152	156	152	135	141	159	180	206
5. Ball Bearings (Lakh Nos)	2.3	4.2	6.5	7.0	8.1	10.4	15.8	21.3	16.6	27.2	31.8	38.8	41.5
6. Electric Metres (Nos.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47185	32429	69420	87909	100500	135000	179920	248070	269774
7. Glass (Tonnes)	254	173	254	386	544	823	706	693	841	683	817	527	552
All India Index of Industrial Production (General (Base) 1956—100	73.0	75.3	77.4	82.5	92.3	100	104.1	108.1	117.0	129.7	139.4	150.0	N.A.

* Relates to Sugar Year Starting from 1950-51.

** The Production is less as only one factory was working during the year.

N.A. Not available.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० ४७५ का उत्तर देखिये)

QUALIFICATIONS FOR TEACHERS OF MUSIC PRESCRIBED BY THE BOARD OF SECONDRARY EDUCATION, RAJASTHAN, AJMER.

Any one of the following with two years experience of teaching Music to the High School Classes :—

(1) Sangeet Visharad and any other Higher Secondary Examination of Bhat Khande College of Hindustani Music, Lucknow.

(2) Senior Diploma Examination of the Allahabad University.

(3) B. A. Examination with Music of a recognised Univesity along-with a diploma in Music from some recognised institution.

(4) Sangeet Nipun of the Madhav College of Music, Gwalior.

(5) The Highest diploma, or 5 years course examination of Indore or Kala Sansthan, Jaipur.

(6) Sangeet, Alankar Examination of the Gandharva Maha Vidyalaya Mandal, Bombay.

Note :—Seperat teachers possessing the minimnm qualifications ought to be appointed for teaching (i) Vocal, and (ii) Instrumental Music though either or both may be engaged on part time basis.

परिशिष्ट ५

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये गए तारांकित प्रश्नोत्तर)

मिडिल स्कूल की अपूर्ण इमारत ग्राम गांधी, जिला गंगानगर

४६३. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) देहातों में जहां पहिले से मिडिल स्कूल चालू हैं वहां स्कूल भवन के निर्माण हेतु सरकार कितना प्रतिशत खर्चा देती है ?

(२) ग्राम गांधी (जिला गंगानगर) के मिडिल स्कूल के अधूरे पड़े भवन की इमारत को पूर्ण करने हेतु ग्रामवासी १५ हजार रुपया देना चाहते हैं जिससे इमारत पूरी नहीं हो सकती इसलिये क्या सरकार इतना ही रुपये का खर्च स्वयं और करके इस भवन को पूर्ण कराने में योग देगी ?

उत्तर

(१) देहाती क्षेत्र में माध्यमिक पाठशाला भवन का निर्माण करने का उत्तरदायित्व स्थानीय ग्राम निवासियों का है। ग्राम निवासियों द्वारा न्यूनतम शाला भवन निर्माण के पश्चात् यदि छात्र संख्या में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता पड़ती है तो जितना धन ग्राम वासी देते हैं उतना ही सरकार भी अनुदान में दे सकती है।

(२) ग्राम गांधी बड़ी, जिला गंगानगर की माध्यमिक शाला के अधूरे भवन को पूर्ण करने हेतु वहां के ग्रामवासी १५,००० रु० देना चाहते हैं ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त होगी तो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार भी अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

उद्योगों में अनियमितताओं की शिकायतें तथा उनकी जांच—जिला भरतपुर

४७६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर जिले में चलने वाली फैक्ट्रीज तथा अन्य उद्योगों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत आने पर सी. आई. डी. द्वारा जो जांच की गई उसका क्या नतीजा रहा ? मय इनके मालिकों के नामों के इनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि संचालक, उद्योग विभाग ने नवम्बर सन् १९६० में इन सब मामलों को वापिस अपने पास मंगा लिया ? कितने मामले वापिस आये ? इनको वापिस क्यों मंगाया गया ?

(३) क्या संचालक महोदय ने स्वयं ने इनमें कोई विभागीय जांच करवाई ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) जिन उद्योगों के खिलाफ जांच सी. आई. डी. द्वारा पूरी की जा चुकी थी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या इनमें से कुछ के खिलाफ यह भी शिकायत थी कि वे कोटा के माल का ब्लेक करते हैं ? यदि हां, तो क्या वह शिकायत सही पाई गई ? यदि हां, तो क्या उसके बाद उनको कोटा देना बन्द कर दिया गया और उन्हें ब्लेक-लिस्ट कर दिया गया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा

४७७. **श्री मनिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान सरकार ने महिलाओं को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा वापस ले ली है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या महिलाओं की सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा की नीति को वापस ले लेने के कारण ही शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज) में लगाये शिक्षण शुल्क को महिलाओं पर लागू कर दिया गया है ?

(३) यदि महिलाओं में शिक्षा के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय नीति को दृष्टिगत रखते हुए उनसे शुल्क न लिया जाय तो कोष को कितनी हानि होगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं। प्रशिक्षण में जाने वाली सभी महिलाओं का प्रशिक्षणकाल में छात्रावृत्ति व निशुःल्क शिक्षा दी जाती है यदि वे तीन साल तक प्रशिक्षणकाल के उपरान्त विभागीय सेवा करने का बॉड भरने को तैयार हों यदि कोई बॉड नहीं भरती तो उनको उपवेतन नहीं दिया जाता है।

(२) जी नहीं।

(३) यह नीति गत कई वर्षों से चल रही है अतः कोष को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

काटन मिल की स्थापना—नोहर

४७८. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर में काटन मिल की स्थापना की योजना है ? अगर हां, तो इसका संस्थापक कौन है और इस मिल की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त काटन मिल की स्थापना के सम्बन्ध में किसी फर्म या व्यक्ति ने राजस्थान सरकार से कुछ ऋण लिया है ?

(३) अगर हां, तो यह ऋण किसने कितना, कब और किन शर्तों पर लिया ?

उत्तर

(१) जी हां। श्री के. एल. चिरानी। राजस्थान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेट, इस मिल के संस्थापक हैं। इस मिल को ६० एकड़ जमीन नोहर में दी जा चुकी है। पार्टी को ८,८५,२००) रु० की मशीनरी इम्पोर्ट करने के लिये, एसेन्शियेन्टिी सर्टीफिकेट मिल चुके हैं। मशीनरी खरीदने की बात-चीत विदेशी फर्मों से पक्की हो चुकी है। देशी मशीनरी (कार्डिङ्ग इञ्जिन व रिंग फ्रेम) के लिये ऑर्डर के साथ पेशगी भी दी जा चुकी है। पार्टी की इण्डस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया से ३२५ लाख रु० के ऋण लेने की बात-चीत करीब-करीब, पक्की हो चुकी है। कम्पनी इनकारपोरेट हो चुकी है। भारत सरकार ने ३२० अतिरिक्त स्पिंडल लगाने की आज्ञा दे दी है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्कूल—जिला गंगानगर

४७६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : Will the Education Minister please reply :

How many Primary Schools have been upgraded to middle standard in Ganganagar district during the current year ?

उत्तर

(१) गंगानगर जिले में चालू वर्ष में निम्नलिखित ८ प्राथमिक शालायें माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत हुई :—

(१) लाधूवाला

(२) चक भागसर

(३) घांघेला

(४) मालखाना खुर्द

(५) चढ़ाना

(६) बलियावाली

(७) संवतसर

(८) चक १६ जेड।

अपग्रेडेड प्राईमरी स्कूल—जिला पाली

४८०. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Education please state :

(1) How many Primary Schools have been upgraded to the Middle Standard this year in District Pali ?

(2) What schools were recommended for upgradation by the Zila Parishad and in what order of priority ?

(3) Why has the Primary School of village Bhanwari not been upgraded to the middle standard in spite of the fact that the Zila Parishad gave it top most priority in its recommendations this year ?

उत्तर

(१) जिला पाली में इस वर्ष निम्नलिखित प्राथमिक शालाएं माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित की गई :—

(१) सिरयारी, (२) सिवाड़ा, (३) कन्या प्राथमिक शाला, सोजत रोड, (४) कन्या प्राथमिक शाला सुमेरपुर और (५) नावी ।

इनमें से प्राथमिक शाला सिवाड़ा माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की पूर्ति देरी से की गई थी । इसे अब जुलाई ४ से प्रारम्भ करने का प्रावधान है । नावी प्राथमिक शाला को ३ साल के व्यय के भुगतान की शर्त पर माध्यमिक शाला बनाया गया है ।

(२) जिला परिषद पाली ने निम्नलिखित प्राथमिक शालाओं को प्राथमिकता के अनुसार अनुमोदित किया था :—

(१) सिरयारी, (२) गुढ़ाकलां, (३) रानीकलां, (४) मानगढ़, (५) लाम्पोद और (६) दायलान ।

(३) जिला परिषद पाली में भंवरी प्राथमिक शाला का नाम भी अनुमोदित किया था परन्तु इसे किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी गई थी अतः इसे माध्यमिक शाला नहीं बनाया गया ।

पुरातत्व विभाग में नियुक्ति एवं पदोन्नति के नियम

४८१. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या मंत्री पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पुरातत्व विभाग में नियुक्तियां एवं पदोन्नति के नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन नियमों के नहीं बनने की वजह से अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता ?

(३) क्या यह भी सही है ऐसे लोग सन् १९५८ तथा ५९ से सर्विस कर रहे हैं फिर भी नियमों के अभाव के कारण कन्फर्म नहीं किये गये हैं ?

(४) यदि हां, तो नियम कब तक बना दिये जायेंगे ?

उत्तर

(१) जी नहीं। नियम बन चुके हैं पर उनमें संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां। परन्तु उनको अस्थाई रूप से वेतन समय-समय पर दिलाया जाता रहा है।

(३) जी हां।

(४) नियमों में संशोधन के कार्य को पूरा करने की कार्यवाही चालू है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पी. डब्लू. डी. के भूतपूर्व ओवरसियर की नियुक्ति

४८२. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री ईश्वरीय प्रसाद अतरी, ओवरसीयर, पी. डब्लू. डी., जयपुर को १,६००) रु० की रिश्वत लेने के आरोप में अदालत से सजा हुई और श्री अतरी को एक साल की सजा भुगतनी पड़ी ?

(२) क्या यह सही है कि श्री अतरी को इस आरोप से बरख्वास्त किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि सजा भुगतने के बाद श्री अतरी को पी. डब्लू. डी. के एप्रूव्ड कान्ट्रेक्टर्स में लिया गया और उनको कॉन्ट्रेक्ट देना शुरू किया गया जिनमें लेजटों आइसोलेशन होस्पिटल का काम समय पर नहीं हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि इसके बाद भी श्री अतरी को अच्छी रोजी पर वर्क चार्ज में रखा गया ? यदि हां, तो श्री अतरी को इस प्रकार कुल कितनी रकम भुगताई गई ?

(५) क्या यह सही है कि इसके पश्चात् श्री अतरी को ओवरसियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया ?

(६) जिस समय श्री अंतरी बरख्वास्त हुए उस समय उनको कुल वेतन कितना मिलता था और आज कितना मिलता है, और उनकी पुनः नियुक्ति किस वेतन पर हुई थी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां। लेजर्टो आइसोलेशन हॉस्पीटल का कार्य सरकारी आज्ञा द्वारा बिना पूरा किये ही बन्द करा दिया था।

(४) जी हां। मस्ट्रोल पर रखा गया था रु० ३,८८२.५० पैसे।

(५) जी हां।

(६) जब बरख्वास्त किया गया था उस समय रु० १६३-४६ माहवारी मंहगाई मिला कर मिलता था। पुनः नियुक्ति ११०) रु० माहवार पर की गई। अब श्री अतरी १-१-६३ से राज-सेवा में नहीं हैं।

सड़क निर्माण कार्य—खानपुर

४८३. **श्री हरीराम चौहान** (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर से किशनगढ़ जाने वाली सड़क से खानपुर गांव करीब २ मील दूर पड़ता है और उसकी सड़क का कार्य काफी दिनों से बन्द पड़ा है ?

(२) क्या यह सही है कि उस सड़क पर गांव वालों ने पत्थर भी काफी अर्से से डाल रखे हैं किन्तु सरकार उस सड़क का कार्य शुरू नहीं कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क के न बनने से गांव वालों को बहुत असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब शुरू करने वाली है।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चूड़ी बनाने हेतु आयात माल

४८४. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(a) Is it a fact that before two years or so, the Director of Industries issued an order that no fnesh applications of bangle manufactures for imported material should be considered for Essential Certificate ? If yes, please lay copy of such order on the Table of the House ?

(b) Is it a fact that inspite of this order, certain bangle manufactures, who submitted their applications with a certificate that the imported material will not be utilised for bangle manufacture, were issued E.Cs. (Essentiality Certificates) ? If yes, please state the names of persons who issued E. C. along with valuation of material sought to be imported and also the list of persons whose applications were rejected under tl is plea ?

(c) Is it a fact that the parties who imported material according to sueh E. Cs. utilised this material only in bangle manufacture ? If so, wha action has been taken against such firms ?

उत्तर

(अ) नहीं ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था किन्तु कार्यालय के अफसरों के पथप्रदर्शन (गाईडेन्स) के लिए एक ऐसा निर्णय लिया गया था।

(ब) हां, उपरोक्त निर्णय के अनुसार ही जो E. Cs. दिये गये हैं, उनकी सूची सलग्न है।

(स) इसकी जानकारी की जा रही है।

सूची

LIST OF THE PARTJES WHO HAVE NOT BEBN GRANTED E. Cs. H. G. PLASTIC BANGLES

1. M/s. Mohd. Bux Waziruddin, Jodhpur.
2. M/s. B. K. Celluloid Industries, Jodhpur.
3. M/s. Rameshkumar Suder Lal, Balotra.
4. M/s. Husainbux Barkat Ali, Jalore.
5. M/s. Mazuddin Noor Mohd., Nagaur.
6. M/s. Hussain Ali Barkat Ali, Jalore.
7. N/s. Mumtaj Ahamed Gulam Mohd., Pipar city.
8. M/s. Sardar Ali Ramjan Ali, Nathduwara.
9. M/s. Imtyaeg Ali Barkat Ali, Bhilwara.
10. M/s. Rajasthan Plastic Industries, Jalore.
11. M/s. K. H. Amiruddin Rahim Bux, Pali.
12. M/s. Sardar Ali Ramjan Ali, Pali.
13. M/s. Ganganagar Celluloid Industries, Ganganagar.
14. M/s. Lal Mohammed Gafoor Ali, Jodhpur.
15. M/s. Shri Naran Celluloid Industries, Jodhpur.
16. M/s. Hira Chand Kailash Chand, Jodhpur.
17. M/s. Bharat Plastic, Pali.
18. M/s. Inayat Ali Barkat Ali, Pali.
19. M/s. Hussain Bux Abdul Gafoor, Pall.
20. M/s. Anwar Ali Akhtyar Ali, Pali.

21. M/s. Kantilal Bafana, Pali.
22. M/s. A. S. Loonkar Industries, Jodhpur.
23. M/s. Mola Bux Mohd. Ali, Jodhpur.
24. M/s, Anil Iudustries, Jodhpur.
25. M/s. Kishangopal Ramnarayan Rathi, Jodhpur.
26. M/s. Dhanraj Madanraj Kotheri, Jodhpur.
27. M/s. Akbar Hussain Kader Bux, Jodhpur.
28. M/s. Filco Products, Jaipur.
29. M/s. Ansari Plastic Industries, Pali.
30. M/s. Oriental Plastic Industries, Abu Road.
31. M/s. Paraswanath Industries, Sumerpur.
32. M/s. Marudhar Plastic Industries, Jodhpur.
33. M/s. Manubhai Bangle Industries, Jodhpur.

पालू—रूपनगर सड़क

४८५. **श्री अमरसिंह** (दुदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

ग्राम पालू, तहसील दुदू, से सावरदा, नरायना, ममाणा मरवा से रूपनगर को जोड़ने वाली सड़क कब तक बन जायेगी ?

उत्तर

यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

रतनगढ़—फतेहपुर सड़क

४८६. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ से फतेहपुर तक पक्की सड़क बनाने की योजना सरकार ने ८-१० वर्ष पूर्व हाथ में ली थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि सड़क व मार्ग अङ्कन हो चुका है तथा मिट्टी का काम भी समाप्त हो चुका है व सड़क पर कुटने के लिये कंकर भी समस्त सड़क पर डाले जा चुके है लेकिन उनकी कुटाई का कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह काम क्यों बन्द पड़ा है ?

(३) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अब उक्त सड़क का यह मार्ग पसन्द न करके इसे रद्द कर दिया है और नया मार्ग खोजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) इस सड़क पर अब तक हुए खर्च का ब्योरा क्या है, पुराने मार्ग निर्देशन तथा नया मार्ग खोजने में जो धन राशि व्यर्थ व्यय हुई है या होगी उसका उत्तरदायित्व किस पर है और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) फतेहपुर से वीरमसर पर सड़क कुटाई का कार्य चालू है। चुरू जिले में १३ मीलों में मिट्टी का कार्य करा दिया गया तथा रतनगढ़ की ओर से मील ०।० से ७ मील ४

फर्लाङ्ग तक कंकर डाले गये हैं और इस भाग में कार्य प्रगति पर है। बाकी मांग का कार्य राष्ट्रीय मार्ग नं० ११ के समानतर होने के कारण बन्द करा दिया गया है।

(३) जी हां। राष्ट्रीय मार्ग होने के कारण।

(४) सीकर जिले में—फतेहपुर वीरमसर सेक्शन का खर्च का हिसाब अलग नहीं रखा गया है। पूरी सड़क पर वीरमसर तक फरवरी १९६४ तक १४,२५,७५०) रु० खर्च किया गया है चुरू जिले में इस सड़क पर २,१४,९००) रु० खर्च हुआ है। कुछ भी धन न व्यर्थ हुआ है और न होगा।

स्थगित प्रश्न

(२६-२-६४)

चित्तौड़–बूंदी सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

८९. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़ गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चित्तौड़ से बूंदी सड़क पर कितने किसानों की जमीन सड़क बनाने के काम में ली गई और कितने किसानों को मुआवजा चुकाया गया है ?

उत्तर

७४ किसानों की भूमि ली गई है। ७२ किसानों को मुआवजा चुका दिया। है बाकी २ किसान सूचना देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए उनकी रकम वापस गया खजाने करादी गई है।

(२-३-६४)

कन्या माध्यमिक शाला—बड़ी सादड़ी

१२०. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी में अभी तक कन्या माध्यमिक शाला नहीं है ? यदि, हां, तो क्यों नहीं ?

(२) बड़ी सादड़ी में कन्या प्राथमिक शाला की छात्र-संख्या कितनी है तथा उसमें से कितनी पांचवीं कक्षा में हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। जनता द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तन करने के प्राप्त नहीं हुये हैं और माध्यमिक शाला के लिये भवन उपलब्ध नहीं है।

(२) कन्या प्राथमिक शाला सादड़ी में ११० छात्राएं हैं उसमें से २३ कक्षा ५ में पढ़ती हैं।

(३-३-६४)

मिडिल स्कूल, सूरजपोल दरवाजा, कोटा की इमारत

१२६. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मिडिल स्कूल, सूरजपोल दरवाजा, कोटा की इमारत नहर की वजह से तोड़ी गई थी ? यदि हां, तो उस इमारत के मुआवजे से दूसरी इमारत क्यों नहीं बनाई गई ?

(२) यदि बना दी गई तो कहां और इस इमारत का शिलान्यास कहां व किसके द्वारा किया गया था ?

(३) क्या मिडिल स्कूल की इमारत अभी पूरी नहीं हुई है ? यदि हां, तो कब तक पूरी होगी ?

उत्तर

(१) जी हां। दूसरी नयी माध्यमिक शाला एल. आई. जी. एच. स्कीम के अन्तर्गत मैन रोड के किनारे निरीक्षक शिक्षणालय, कोटा की सम्मति से मुआवजे की निश्चित धन राशि से विकसित बस्ती गुमानपुरा (कोटा) में निर्मित की गई है।

(२) इस इमारत का शिलान्यास महाराजा श्री हरिश्चन्द्र जी निर्माण एवं विद्युत् मंत्री द्वारा विकसित बस्ती गुमानपुरा में दिनांक १३-६-६२ को किया गया था।

(३) उक्त इमारत का निर्माण कार्य दिनांक २५-५-६३ को केवल डब्लू. सी. यूरीनल्स को छोड़कर सम्पूर्ण हो चुका है। यह उक्त कार्य जमीन नहीं मिलने से नहीं कराया जा सका। यह इमारत शिक्षा विभाग को दिनांक २-७-६३ को संभला दी गई है।

(३-३-६४)

बीकानेर शिक्षा मंडल के ट्रेण्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को ट्रेण्ड ग्रेड

१५२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने बीकानेर शिक्षा मंडल के ट्रेण्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को सन् १९५६ से ट्रेण्ट ग्रेड दिया जब कि दूसरे मंडल में सन् १९५१ से यह ग्रेड मिला ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर मंडल के अध्यापकों ने भी सन् १९५१ में ही ट्रेनिंग की थी ?

उत्तर

(१) यह सही है कि बीकानेर शिक्षा मंडल तथा अन्य स्थानों पर भी ट्रेण्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को सन् १९५६ से ट्रेण्ड ग्रेड दिया गया जब कि उदयपुर कोटा मंडल के कुछ अध्यापकों को सन् १९५१ से यह ग्रेड सम्बन्धित निरीक्षकों द्वारा अस्थाई तौर पर दे दिया गया था।

(३) यह सही है कि बीकानेर मंडल अध्यापको ने भी सन् १९५१ ट्रेनिंग में की थी।

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिए)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, तिलक, नगर जयपुर के छात्रों की कक्षावार सूचि :—

क्रम संख्या		छात्र का नाम मय पिता के	जाति	कक्षा
१.	श्री	कल्याणमल पुत्र भूथाराम	मीणा	१०
२.	,,	कल्याण सहाय पुत्र हनुमान सहाय	,,	११
३.	,,	कल्याणमल पुत्र नाथूराम	,,	९
४.	,,	जयनारायण पुत्र जगन्नाथ	,,	टी.डी.सी. (प्रथम)
५.	,,	जयदेव पुत्र कल्याण बक्श	,,	१०
६.	,,	प्रहलाद सहाय पुत्र जगदीशप्रसाद	,,	७
७.	,,	भंवरलाल पुत्र धन्नाराम	,,	११
८.	,,	रामगोपाल पुत्र रामनाथ	,,	११
९.	,,	रामस्वरूप पुत्र रामलाल	,,	८
१०.	,,	शंकरलाल पुत्र भैरूलाल	,,	१०
११.	,,	सुरेन्द्र कुमार पुत्र नाथूराम	,,	टी.डी.सी. (प्रथम)
१२.	,,	सीताराम पुत्र गंगाराम	,,	९
१३.	,,	शैतानमल पुत्र हनुमान	,,	९

१	२	३	४
१४.	,, सूरजमल पुत्र मंगलाराम	,,	टी.डी.सी. (प्रथम)
१५.	,, सोहनलाल पुत्र लादूराम	,,	८
१६.	,, रामजीलाल पुत्र नानगराम	,,	पी. यू. सी.
१७.	,, छोटूराम पुत्र हरनाथ	,,	१०
१८.	,, कन्हैयालाल पुत्र भूरामल्	,,	६
१६.	,, तुफान पुत्र भूराराम	,,	६
२०.	,, गणपतराय पुत्र नानाराम	,,	१०
२१.	,, जोहरीलाल पुत्र नानगराम	,,	१०
२२.	,, अर्जुनलाल पुत्र छोटूलाल	,,	६
२३.	,, गोपाललाल पुत्र नाथूराम	,,	६
२४.	,, रामगोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण	,,	६
२५.	,, जगदीश प्रसाद पुत्र घीसाराम	,,	१

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ का उत्तर देखिए)

क्र. सं.	वर्ष	कुल संख्या मुकदमों की	मकान मालिक		किरायेदार		रिमार्क्स
			स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	
१.	१९५०	४१	२	११	४	२४	
२.	१९५१	३८	५	१०	४	१९	
३.	१९५२	२०	१	४	३	१२	
४.	१९५३	२८	४	१०	२	१२	
५.	१९५४	३९	५	५	८	२१	
६.	१९५५	३३	८	५	५	१५	
७.	१९५६	३८	६	७	३	२३	
८.	१९५७	३०	१	६	२	२१	
९.	१९५८	८१	८	१४	१२	४७	
१०.	१९५९	७३	४	१२	५	५२	
११.	१९६०	१३५	६	२९	८	९२	
१२.	१९६१	१२६	६	२०	१०	९०	
१३.	१९६२	२५९	२०	२२	२५	१९२	
	कुल	९४१	७५	१५५	९१	६२०	

शुद्धि-पत्र *

(मंगलवार, दिनांक १७ मार्च, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	१	दिनाक	दिनांक
७	२१, २७	श्री मैंरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१७	शीर्ष	—	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
,,	२५	श्री रामानन्द अग्रबाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
२०	शीर्षक	तार्रकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२३	शीर्ष	(मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
३३	१	(कुशलगढ़ द्वारा पूछा गया)	(कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया]
,,	२४	श्री हरदत्तसिंह प्रश्न संख्या ४६३	—
३४	१४	नेकस्ट	श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट
,,	अन्तिम से ३	आचाय)	आचार्य) :
३५	शीर्षक	—१७, मार्च ६३	—१७ मार्च, ६४
,,	२१	श्री निरंजननाथ आचर्र :	श्री निरंजननाथ आचार्य :
३७	शीर्ष	—	(श्री दुर्गालाल बाड़दार)
३९	शीर्ष	—	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
४५	शीर्ष	—	(श्री दयाचन्द सोन)
४६	अन्तिम से ३	हरिप्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
४७	शीर्ष	—	श्री हरिप्रसाद शर्मा
४९	शीर्षक	तार।कित	तारांकित
,,	शीर्षक	—	(श्री रविशंकर याज्ञनिक)
,,	अन्तिम से ४	श्री जेठमल बखड़	श्री जेठमल बरवड़
५०	शीर्षक	तारांकत	तार।कित
,,	१८, २५	श्री जेठमल बखड़	श्री जेठमल बरबड़
५१	१	,, ,, ,,	,, - ,, ,,
५७	११	(नसीराबाद)	(नसीराबाद)
५९	शीर्षक	—१७, मार्च ६४	१७ मार्च, ६४
६३	शीर्ष	—	(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्ध ३	शुद्ध ४
६५	शीर्ष	—	(श्री श्रवणलाल)
६७	,,	—	(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
६९	,,	—	(विद्युत् मंत्री)
७१	,,	—	(उद्योग मंत्री)
७३	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव	अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(श्री कृष्णकुमार गोयल)	(उद्योग मंत्री)
८१	१७	श्री भेरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
८२	अन्तिम से ५	की विविध	की विधि
८३	शीर्षक	मांग संख्या ३४ व २३–१७ मार्च, ६४--काम नियोजन एवं वन	मांगों के लेने की विधि —१७ मार्च, ६४—मांग संख्या ३४ व २३
८४	अन्तिम से ५	कंवर श्री महेन्द्रसिंह	कु० श्री महेन्द्रसिंह
१०१	शीर्ष	—	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
१०३	,,	—	(श्री दयाचन्द सोन)
१०५	,,	—	(श्री देवीलाल मीणा)
१०७	,,	—	(श्री लक्ष्मीचन्द)
१११	,,	—	(श्री ललितमोहन)
११३ से २५९ तक	शीर्षक	मांग संख्या २३ व ३४	मांग संख्या ३४ व २३—
११३	शीर्ष	—	(श्री रामकिशन)
११४	२०	श्री भानुप्रसाद करोडिया	श्री भानुप्रसाद कराड़िया
१२१	स्कम्भ	२२१	१२१
,,	शीर्ष	(महाराव श्रील लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१२३	१६	श्री मुकटविहारीलाल गोयल	श्री मुकुटविहारीलाल गोयल
१३३	शीर्षक	१७–मार्च, ६४	–१७ मार्च, ६४
१५०	अन्तिम से ५	श्री भैरवलाल "कालाबादल"	श्री भैरवलाल "कालाबादल"
१५७	शीर्ष	(चतुर्भुज उपाध्याय)	(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)
१५९	अन्तिम से ५	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

Page No.160

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१६१	शीर्ष	(श्री रमानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
१६८	१०	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
१६६	शीर्ष	(श्री रामानन्द अग्रवाल)	(श्री भीखाभाई)
१६५	१७	श्रों रविशंकर याज्ञिनक (पिडवारा) :	श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाडा)
२०२	अन्तिम से ५	श्री रविशंकर याज्ञिक	—
२१३	१	श्री उपाध्यथ	श्रीमती सभानेत्री
२१४	२२	महाराबल	महारावल
२१५	शीर्षक	—१७ मार्च ६४	१७ मार्च, ५४
२१७	अन्तिम से ५	श्री जोधसिंह (चौहान)	श्री जोधसिंह चौहान
२३०	१	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा	—
२३३	शीर्ष	(श्री नाथूगम करोल)	(श्री नाथूलाल करौल)
२३८	१	राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)
२३६	६	(निवाई)	(निवाई)
२४६	११	श्री हरिप्रशाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
२५०	१६	श्री रामानन्द अग्रबाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
२५२	१४	,, ,, ,,	,, ,, ,,
२६१	शीर्षक	संक्षिप्त-विवरण--१८ मार्च, ६४--संक्षिप्त-विवरण	——
,,	४	स्कम्भ शीर्षक	स्कम्भ शीर्षक १
२६४	६ के सामने	स्कम्भ शीर्षक	शीर्षक ६१
२७४	शीर्षक	—	परिशिष्ट
२७५	शीर्षक	परिशिष्ठ	,,
२८०	२	बाजार	——

* विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में मुद्रित होगा ।